महानगर नई दिल्ली बुधवार 26 जून, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कांग्रेस इतनी ऊंची हुई कि जड़ों से उखड़ गई : मोदी

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के अलावा किसी और के योगदान को महत्व नहीं देने का आरोप लगाया, वही उन्होंने आज के ही दिन (25 जून) देश में आपातकाल लागू करने पर कहा, 'ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इस दाग को बार-बार इसलिए स्मरण करने की जरूरत है ताकि फिर कोई ऐसा पाप न कर सके।'

कांग्रेस का नाम लिए बिना मोदी ने कहा, 'हम दूसरे की लकीर छोटी करने में विश्वास नहीं करते, हम अपनी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखनी बंद हो गई है। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ गए हैं।' उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनता द्वारा सरकार की 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' नीति का अनुमोदन करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'कई दशकों बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है।'

प्रधानमंत्री ने निचले सदन में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि आज 25 जून है और (1975 में) इस रात को देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश बाकी पेज 8 पर

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, कई दशकों बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है

आपातकाल का दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए इस दाग को बार-बार याद करने की जरूरत है, ताकि कोई फिर ऐसा पाप नहीं करे

प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित

'बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विभिन्न दलों के सांसदों का आह्वान किया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसरों पर पूरे देश को जोड़ना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, 'आज हमारे पास बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है, आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों के बलिदान से बड़ी कोई याद नहीं है।'

पंडित नेहरू को याद किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्रहवीं लोकसभा में दिए अपने पहले ही भाषण में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात को याद करते हुए नए भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए सभी से कर्तव्य के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मोदी ने मंगलवार को निचले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए 14 जुलाई 1951 के पंडित नेहरू के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए यह बात बाकी पेज 8 पर

सुनवाई पूरी होने पर भारत के हवाले हो सकता है चोकसी

एंटीगुआ/नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

कैरेबियाई देश एंटीगुआ के एक अखबार ने प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी के हवाले से कहा है कि भारतीय बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में फरार मेहुल चोकसी की एंटीगुआ की हासिल की गई नागरिकता कानूनी प्रक्रिया अपना कर रद्द की जा सकती है और उसे अपील का पूरा अवसर देने के बाद भारतीय अधिकारियों के हवाले किया जा सकता है।

चोकसी (60) ने नवंबर, 2017 में निवेश के जरिए नागरिकता कार्यक्रम (सीआइपी) का इस्तेमाल करते हुए एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता बाकी पेज 8 पर

एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी का एक अखबार में बयान

मेहुल चोकसी की एंटीगुआ की हासिल की गई नागरिकता कानूनी प्रक्रिया अपना कर रद्द की जा सकती है

वित्तीय संकट के मद्देनजर दूरसंचार विभाग का आदेश

खरीदारी और सभी तरह के ठेके रोके बीएसएनएल

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से सभी तरह के ठेके और खरीदारी के आर्डर देने का काम रोकने को कहा है। कंपनी के समक्ष मौजूद वित्तीय संकट को देखते हुए समझा जाता है कि विभाग ने यह आदेश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीएसएनएल के वित्त विभाग ने इस बारे में 12 जून को आदेश जारी किया है जिसमें सभी मंडल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पूंजी व्यय के लिए निविदा जारी करने से पहले दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय से अनुमति ली जाए।

बीएसएनएल के एक अधिकारी ने कहा, 'यह आदेश 12 जून को कंपनी के मंडल प्रमुखों को जारी किया गया। इसमें कहा गया कि बीएसएनएल अस्थायी वित्तीय दबाव से गुजर रही है। ऐसे में वह एकत्रित समूची देनदारी को निपटाने की स्थिति में नहीं है।' उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के वित्त विभाग को दूरसंचार विभाग के वित्त खंड से सभी पूंजी खर्च रोकने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आदेश में बीएसएनएल अधिकारियों से कहा गया है कि वह अग्रिम खरीद आर्डर और अंतिम रूप दिए जा चुके अनुबंध खरीद आदेश को फिलहाल अगले आदेश तक रोक दें।

बीएसएनएल ने 2014-15 में 672 करोड़ रुपए का परिचालन मुनाफा हासिल किया था। इसके बाद 2015-16 में 3,885 करोड़ रुपए और 2016-17 में 1,684 करोड़ रुपए का परिचालन मुनाफा हासिल किया। रिलायंस जियो जैसी नई दूरसंचार कंपनी के आने के बाद अन्य कंपनियों की तरह बीएसएनएल को भी राजस्व दबाव झेलना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के प्रवर्तक जहां हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं वहीं बीएसएनएल बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार की तरफ से 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन की प्रतीक्षा कर रही है। बीएसएनएल ने सरकार से उसके पास उपलब्ध जमीन को बेचकर नकदी जुटाने की मंजूरी मांगी है लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया।

बीएसएनएल के वित्त विभाग को दूरसंचार विभाग के वित्त खंड से सभी पूंजी खर्च रोकने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

12 जून के आदेश में बीएसएनएल अधिकारियों से कहा गया है कि वह अग्रिम खरीद आर्डर और अंतिम रूप दिए जा चुके अनुबंध खरीद आदेश को फिलहाल अगले आदेश तक रोक दें।

गुजरात : दो सीटों पर रास उपचुनाव साथ कराने की याचिका पर विचार नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि गुजरात कांग्रेस के नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया लेकिन राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करने की उन्हें छूट प्रदान कर दी।

गुजरात से राज्यसभा की ये सीटें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गांधीनगर और स्मृति ईरानी के अमेठी लोकसभा सीट से निर्वाचित होने की वजह से रिक्त हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने गुजरात की इन दो सीटों के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने लेकिन एक ही दिन चुनाव कराने का निर्णय लिया था। आयोग के इस निर्णय को कांग्रेस के विधायक और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। निर्वाचन आयोग ने साफ किया था कि राज्यसभा सहित सभी सदनों के लिए उपचुनाव बाकी पेज 8 पर

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिका दायर करने की सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

आयोग ने साफ किया था कि उपचुनाव के लिए रिक्त हुए स्थानों को अलग-अलग रिक्तियां माना जाता है

जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा

गांधीनगर, 25 जून (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। यहां पांच जुलाई को चुनाव होने हैं।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेने के कुछ घंटों बाद जयशंकर सोमवार शाम अमदाबाद पहुंचे थे। मोदी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में जयशंकर (64) विदेश सचिव थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। गुजरात भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जुगलजी ठाकोर ने बाकी पेज 8 पर

जम्मू कश्मीर में उर्दू दैनिक के संपादक गिरफ्तार, जमानत मिली

श्रीनगर, 25 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में लगभग तीन दशक पुराने मामले में गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर एक वरिष्ठ संपादक को स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को पुलिस को शर्मसार होना पड़ा ।

अधिकारी ने बताया कि उर्दू दैनिक 'डेली अफाक' के संपादक गुलाम जिलानी कादरी को सोमवार की देर रात 1990 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) की धारा तीन के तहत दर्ज किया गया था। तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से 15 अक्तूबर 1992 में जारी गैर जमानती वारंट बाकी पेज 8 पर

तीन दशक पुराना मामला

'डेली अफाक' के संपादक गुलाम जिलानी कादरी को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया था

ढुल्ल व जाकिर ने उतारी ऐनक, थामा कमल

विधायक पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर

चंडीगढ़, 25 जून (जनसत्ता)।

हरियाणा विधानसभा में इनेलो के दो विधायकों ने मंगलवार को ऐनक उतारकर कमल का दामन थाम लिया। दोनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा ने विपक्षी दल इनेलो के जींद और मेवात के गढ़ को साफ कर दिया है।

जुलाना विधानसभा सीट से इनेलो विधायक परमिंदर सिंह ढुल्ल और मेवात से विधायक जाकिर हुसैन का इनेलो को अलविदा करना पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों विधायकों ने भाजपा में शामिल होने से पहले विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसे विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने स्वीकार कर लिया। मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने इनेलो को अलविदा करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा रोहतक जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलराम मकड़ौली भी आज भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनेलो के तीन विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

ढुल्ल के भाजपा में शामिल होने के बाद किसी समय में इनेलो का गढ़ कहा जाने वाला जींद जिला पूरी तरह से खत्म हो गया है। वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जींद जिला की पांच विधानसभा सीटों में से तीन सीटों पर इनेलो के विधायक जीते थे जबकि एक पर भाजपा व एक बाकी पेज 8 पर

दोनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्षी दल इनेलो के जींद और मेवात के गढ़ साफ हो गया है

परमिंदर ढुल्ल (ऊपर), जाकिर हुसैन (बाएं)

'कट मनी' लेने वालों को हो सकता है आजीवन कारावास

कोलकाता, 25 जून (भाषा)।

पश्चिम बंगाल में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से 'कट मनी' स्वीकार करने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को अब एक कड़े कानून के तहत आरोपी बनाया जाएगा, जिसमें दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। यह बात मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को कही। इस बाकी पेज 8 पर

दरअसल

गुप्ता बंधुओं के बेटों के विवाह के बाद अब तक 235 क्विंटल कूड़ा उठाया गया | शाही शादी का विवाद | कूड़ा-कचरा हटाने में नगरपालिका के 20 ट्रक और कर्मचारी लगे हुए हैं

दो सौ करोड़ की शादी से निकला दो सौ टन कूड़ा, खर्च वसूली का फरमान

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून 25 जून।

उत्तराखंड के हिमक्रीड़ा स्थल चमोली जिले के औली में 20 और 22 जून को गुप्ता बंधुओं के बेटों की दो सौ करोड़ के खर्चे से हुई शादी का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। शादी के बाद विवाह स्थल और उसके आसपास कूड़ा फैला हुआ है।

इसे लेकर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि गुप्ता बंधुओं को विवाह स्थल और उसके आसपास कूड़ा कचरा छोड़े जाने पर नोटिस जारी करने के साथ-साथ उन पर चालान भी कर दिया गया है। साथ ही कूड़ा-कचरा हटाने में नगरपालिका का जो भी खर्चा आएगा, वह गुप्ता बंधुओं से ही वसूला जाएगा। जिलाधिकारी चमोली ने नगरपालिका जोशीमठ के अधिकारियों को सफाई में हो रहे खर्चे का बिल बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि कूड़ा-कचरा हटाने में नगरपालिका के 20 ट्रक और कर्मचारी लगे हुए हैं। इन ट्रकों का किराया और कर्मचारियों का पारिश्रमिक गुप्ता बंधुओं से वसूला जाएगा।

माना जा रहा है कि दो सौ करोड़ रुपए से संपन्न हुई शादी में शामिल घराती और बाराती करीब दो सौ टन से ज्यादा कूड़ा छोड़ गए हैं जिससे क्षेत्र में बदबू आ रही है और आवारा पशु बचे हुए खाने को खा रहे हैं। नगरपालिका जोशीमठ के सफाई कर्मचारी अब तक 235 क्विंटल कूड़ा उठा चुके हैं और यह काम अभी बाकी है। चमोली के एडवोकेट रक्षित जोशी ने इस शादी रोकने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनकी बाकी पेज 8 पर

सितारों से लेकर राजनेता तक

शादी में मुंबई फिल्मजगत मुंबई की जानीमानी अभिनेत्री कटरीना कैफ, उर्वशी रौतेला, सिद्धार्थ कपूर, गायक कैलाश खेर समेत दर्जनों कलाकारों ने जमकर महफिल जमाई। वही दूसरी ओर जानेमाने कथा वाचक रमेश भाई ओझा, योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके कैबिनेट के कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत उत्तराखंड के कई छोटे-बड़े राजनेता गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी में शामिल हुए।

सौ पंडितों ने कराया विवाह

गुप्ता बंधुओं के दोनों बेटों की शादियां कराने के लिए 100 पंडितों की एक टीम बनाई गई थी। शादी के विशाल मंडप को सजाने के लिए स्विटजरलैंड से फूल मंगवाए गए, जिनकी कीमत लगभग पांच करोड़ आंकी जा रही है। दो किलो चांदी से बना शादी का शानदार कार्ड भी बेहद चर्चित रहा और एक कार्ड की कीमत आठ लाख रुपए आंकी जा रही है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Neera Rani W/O-Naresh Nath R/O H.No.C-35 near Maharani Bagh Kalindi Colony Sriniwaspuri East of kailash Phase-1 kalkaji South Delhi-110065declare that name of mine has been wrongly written as Neera Rani Aggarwal in my SBI Account .The actual name of mine is Neera Rani, which may be amended accordingly. 0040500690-10

It is for general information that I, Pavita Puri, D/o Mr P.K.Puri, residing at 7138, B-10, Vasant Kunj, New Delhi, declare that I am the mother of legally adopted girl child named Riya in the adoption court order. The adopted child's name has since been changed to FIDA PURI as per the birth certificate. It is certified that I have complied with all legal matters in this connection. 0040500656-1

I,Vishal Kumar Rana S/O Vijay Rana R/O.Kh. No.17/6, Ground-Floor, Gali.No.12, Block-B, NathuPura, Burari, Delhi-84. Changed My Name To Vishal Rana. 0040500717-9

I,Vinod S/o Hari Kishan, R/o-H-159, Gali No.6,Ashok Vihar, Phase-3, Gurugram (Haryana) -122001,have changed my name to Vinod Yadav. 0040500717-8

I,Umesh Thapa R/o-C-10/110 Block-C-10 Sector-5, Rohini Delhi-85. have changed my minor son's name Divyannshu Thapa to Divyanshu Thapa. 0040500632-8

I,Sunny S/o-Kewal Singh R/o-N-256, Mangolpuri, New Delhi-110083 have changed my name to Sunny Singh. 0040500717-4

I,Sidhak Singh Juneja S/o-Manpreet Singh Juneja R/o-M3/4,DLF Phase-2, Gurgaon Haryana, have changed my name to Sidak Juneja. 0040500717-6

I,Roohi Raina D/O-Karan Raina R/O-C-93, Inderpuri, New Delhi-110012, Have Changed My Name To Roohi Sharma. 0040500717-5

I, Nishant Kamboj R/o Flat.No.157 Platinum Height Apartment Block-B, Sector-18B, Dwarka N.S.I.T New Delhi-110075 inform that my son's name Garva Kamboj and Garv Kamboj both are one and same person. 0040500672-4

I,Bhuwan Singh S/o-Lal Singh R/o-131, Type-2,Staff Quaters,BSA Hospital,Sector-6,Rohini,Delhi-110085,have changed my minor son's name Saksham Dharmshaktu to Shaksham Dharmshaktu, for all purposes. 0040500665-1

I, Yash Pal,S/O Karam Singh R/O T020204 Crescent Green-Parc Sarehomes, Sector-92, Gurgaon Haryana-122505. Changed My Name To Yashpal Chauhan. 0040500632-10

I, Yachika D/O.Pradeep Kumar Bhardwaj R/O.RZ-93/b, gali. no.1, Maksudabad colony, Najafgarh, south/West Delhi-110043.have changed my name to Yachika Bhardwaj,for all purposes. 0040500676-2

I, Vinod Kumar S/O Gulab Singh, R/O Flat.No-9g, Shivalika Apartments, Sector-9, Plot.No-16,Dwarka, NewDelhi-110075.Have Changed My Name To Vinod Kumar Rawat. 0040500665-5

I, Vandna w/o Mukesh Kumar Batar r/o E-181, Inder Enclave Phase-2, Budh Bazar Road, Nangloi, Delhi-110086, have changed my name to VANDNA BATAR. 0040500626-1

I, Uma Devi Sharma W/o Mahadev Sharma R/o-582 Janta Flat GTB Enclave Delhi-110093 have changed my name to Uma Sharma. 0040500635-7

I, Tarun Kawatra S/o Prem Prakash Kawatra R/o-Z-16, Naveen Shahdara, Delhi-32,have changed my name to Tarun Kwatra. 0040500672-1

I, Sushil Mehta, W/o Bodhraj, R/o. A-4, Balaji Appartment, New Colony, Palwal, Haryana-121102 have changed my name to Sushil Kumari. 0040500658-1

I, Sushil Kumar S/O-Ushnak Rai R/O F-15/23, Pkt-15, Rohini, Sector-15,Delhi-110085. Have Changed My Name To Sushil Kalra. 0040500676-8

I, Surender S/O-Baldeva R/O-Ghanghas Patti, Dhakal Tehsil Narwana, Jind Haryana-126116 Have Changed My Name To Surender Singh. 0040500690-7

I, Afzaal S/o Mohd.Irfan R/o A-132, S.F.Old Seemapuri, Delhi-110095, have changed my name to Mohammad Afzaal, for all purposes 0040500635-6

I Kishan Chand Tayal S/o Chandan Lal R/o-35 AdarshKunj Appartment Sector-13 Rohini Delhi-85.have changed my name to Kishan Tayal. 0040500632-7

I, CHANDER SHEKHAR S/o Sh. Komal Prasad R/o RZ-356/296, Gali No.-6, Geetanjali Park, West Sagar Pur, New Delhi-110 046, have changed my minor son's Name from Paras to Paras Singh for all future purpose. 0040500660-1

व्यक्तिगत

I, Sonam W/o-Ankit Malik R/o-230 Second Floor BU-Block Pitampura Delhi-110034. changed my name to K. Sonam for all purposes. 0040500665-2

I, Siddhant Sachdev S/o Rajeev Sachdeva R/o 5/25 Second Floor, New Delhi-110008 and Temp. R/o Flat No.1002, Mohid Heights, R.T.O. Road, Suresh Nagar, Lokhandwala, Andheri West, Mumbai, have changed my name to Sidhaant Sachdev. 0040500625-1

I, Sheena D/o K. V. Joseph R/o H.No-67, Flat No-206, Gali No-2M, Back Side Badarpur Police Station Budh Vihar, Badar, New Delhi-110044 have changed my name to Sheena Saji. 0040500624-1

I, Sheela Devi W/o-Harbans Lal Malik, R/o-CU-13, 3rd Floor, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Sheela Rani for all purposes. 0040500646-1

I, Seema Kumari W/O-Gurpreet Singh R/O-WZ-283/278, Gali. No.9, Maddi-Wali Gali,Vishnu Garden, Delhi-18chaged My Name To seema. 0040500717-10

I, Santosh Devi, Widow of Army No. 4174402A Naik Time Scale Bikram Singh of Kumaon Regt, Resident of Village Shekhupur Majri, PO Sewari, District Gurgaon. I have changed the name of my Son from Pravin Singh to Parveen Singh as recorded in his Matriculation Certificate. 0070661982-1

I, Sagardeep Singh S/O-Harwinder Singh H.No. 364, Sushant Lok-2, Gurgaon-122002 Haryana. Have Changed My Name To Sagardeep Singh Khokhar. 0040500632-6

I, Ria D/O Ramesh Lalwani R/O C-5/45-B, Keshav Puram, Delhi-110015. Have Changed My Name To Ria Lalwani. 0040500665-6

I, Ravinder Kumar, S/o Dhalla Ram Chugh,R/o-House No.165, Ward.No.2, Daya Nand Colony, Gurgaon (Haryana)-122001, have changed my name to Ravinder Kumar Chugh. 0040500717-7

I, Ratandeep Singh Vilkhu S/o Jasbir Singh Residence F-214 Vishnu Garden New Delhi have changed my name to Ratandeep Singh. 0040500690-5

I, Rashmi Maharana W/O-Sanjeev Kumar Subudhi R/O F-915 Sector-3,Vaishali Gaziabad near shiv mandir I.E. Sahibabad U.P. inform that in my daughter namely Ishani Subudhi school records my name has been wrongly written as Kiran Subudhi instead of Rashmi Maharana. 0040500690-9

I, Rajender Jain S/O Mahavir Parsad Jain Resident 4/177,Gali No-9,Kathmandi, Sonipat,Haryana Have Changed My Name To Rajendar Parsad Jain. 0040500690-1

I, Rajat Goyal S/o Sh. Dinesh Goel R/o A-10, Swaran Singh Road, Adrash Nagar, Delhi-110033 have changed my name to Rajat Goel. 0040500690-3

I, Quazi Md Shakil Anwar S/O Quazi Abdul Lateef R/O 1080-E,WardNo-1, Mehrauli, ND-110030 Changed My Name To Quazi Mohd Shakil. 0040500632-5

I, Prashant Prasad;Residing of-A-36/A, DDA-Flats Munirka,New Delhi-110067,have change the name of the my minor daughter Jiyanshi Prasad aged 2-Years and she shall hereafter be known as Mayra Prasad. 0040500635-2

I, Prakash Kumar S/O-Leeladhar R/O-F-27d,Dda Mig-Flats Hari Nagar New Delhi-110064. Changed My Name To Prakash Kumar Mallah. 0040500665-7

I, Poonam Lata Sidhwani W/O Ashwani Arora R/O A-50, First-Floor, Gujranwala Town-1, Delhi-110009 Changed My Name To Poonam Arora. 0040500632-9

I, Paramjit Kaur W/O.Inderjeet Singh R/O 23/2A, Prem-Nagar, Janakpuri, NewDelhi-110058. have changed my name to Paramjeet Kaur,for all purposes. 0040500676-1

I, Nirmal Sharma,W/O Dinesh Sharma Resident-374, Pradhan-Market Gali-Hardeva, Dhirpur-Nirankari-Colony,Delhi 09,have changed my minor son's name,from Bhavaya Sharma to Bhavya Sharma. 0040500635-3

I, Niranjan Kumar Jaisawal S/o Jagdish Prasad Jaisawal R/o-Khasra. No.141/4,Gali No.6 Milan-Vihar, Burari,Delhi-110084, have changed my name to Niranjan Jaiswal. 0040500635-1

I, Neelam Kumari W/o Rajesh Kumar Thakur R/o B-26 Takshshila Apartment Plot No-57 I.P. Extension Delhi-110092, have changed my name to Neelam Thakur. 0040500668-1

I, Anita Devi W/O,Ravinder Sehrawat R/o-187/67, Near-Main Market Sector-17, Sukhrali, Gurgaon(HR)have changed my name to Anita Sehrawat. 0040500676-7

I, Anil Sharma S/o Surender Pal Sharma R/o-75 Vani Vihar(D.k Mohan,Garden) West Delhi Uttam Nagar-110059.changed my minor son's name Kabir to Kabir Sharma. 0040500690-2

I, Naveen Singhla S/O-Keshri Singhla H.No-1710,Sector-7, Block-E, Faridabad Haryana-121006, Have Changed My Name To Naveen Kumar Singla. 0040500632-2

I, Naveen Singhla S/O-Keshri Singhla H.No-1710, Sector-7, Block-E, Faridabad Haryana-121006, Have Changed My Name To Naveen Kumar Singla. 0040500632-3

I, Naresh Kumar S/o Late Sh. Harbans Lal R/o H.No-A-46, Rajouri Garden, New Delhi-110027 in my son's 10th class school certificate my name is wrongly written as Naresh Juneja instead of Naresh Kumar, but both are one and same person. 0040500618-1

I, Muskan Sachdeva,D/o-Sh.Upkar Singh,R/o-574, Ground Floor, E-Block, Greater -Kailash-2,New Delhi-110048, have changed my name and I shall hereinafter be known as Muskan Kaur Sachdeva. 0040500635-4

I, Mohammad Shahan R/o B-27, Ground Floor Nizamuddin West New Delhi-110013 have changed my minor daughter name from Hiza Shahan to Aayat for all purposes. 0040500622-1

I, Mo Yasar S/o Zaheer Ahmed R/o R-20 Street No-21 Braham puri Delhi-110053, have changed my name to Mohd Yasar. 0040500668-3

I, Km.Kshama Singhal D/o.Sh.Hariom Singhal R/o. House No.2,Harishah Near-Monkey Tample Sikandrabad Bulandshahr U.P.203205.have changed my name to Kshama Singhal.for all purposes. 0040500676-4

I, Km. Rakhi Ahuja W/o-Bharat R/o VP-88-D Maurya-Enclave Pitampura Delhi-34. changed my name to Rakhi Vanjani, for all purposes. 0040500665-3

I, Km Shaista Zainab D/o Sywd Afzal Abbas R/o F-89A II-Floor West Jawahar Park Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Shaista Zainab. 0040500668-2

I, Kailash Mantion S/o.Rupa Ram Mantion R/o-T-634/A Baljeet-Nagar, Patel-Nagar, Delhi-110008.Have Changed My Name To Kailash And my Father Name Roopa Ram. 0040500676-9

I, Jasmeet Singh Mattoo/ Jasmeet Singh S/O, Amarjit Singh Mattoo R/o 1403, Tower H, BPTP Freedom Park Life, Sector-57, Gurgaon have changed my name to Jasmeet Mattu. 0040500653-1

I, Inderjit Singh S/O.Late Amrik Singh R/O.23/2A, Prem-Nagar, Janakpuri, New Delhi-110058,have changed my name to Inderjeet Singh,for all purposes. 0040500676-3

I, Hitherto known as Anita Rai,D/o Malkeet Rai,Surinder Kaur,W/o Maninder Singh R/o-133-A Pocket-J&K,Dilshad-Garden Delhi-110095,have changed my name and shall hereafter be known as Arshdeep Kaur 0040500635-5

I, Gurvinder Singh Ravgochar S/o S.Surinder Singh. R/o 2599/A, Mandir Waligali, Shadipur, N.Delhi-08.have changed my name to Gurvinder Singh. 0040500676-5

I, Gauri Chopra W/o-Rahul Gupta R/o 122 Sandesh-Vihar Pitampura Delhi-110034, changed my name to Arika Gupta, for all purposes. 0040500665-4

I, Dinesh Goyal S/o Late Sh. Ram Kishan Goel R/o A-10, Swaran Singh Road, Adrash Nagar, Delhi-110033 have changed my name to Dinesh Goel. 0040500690-4

I, Chinki W/o Neeraj Gupta R/o B-70A, Sector-19, Noida(U.P) have changed my name to Jahnvi Gupta. 0040500672-2

I, Atul Kumar Dixit S/o-Ganesh Shankar Sharma R/o-A-2/996, Keshav Puram, Delhi-110035, have changed my name to Atul Kumar for all future purposes. 0040500650-1

I, Asma Mehta D/O Prithvi Raj Mehta Resident-82, Sangam Apartment, Paschim Vihar, Delhi-110087. have changed my name to Aasma Mehta. 0040500632-1

I, Ashwani Kumar/Ashwani Kumar Sehgal S/O-Chuni Lal Sehgal R/O-Wz-14a, Gali.No-15,New Mahavir-Nagar,New-Delhi-110018. Changed My Name To Ashwani Sehgal. 0040500717-3

I, Ashok Mehra S/O Bawa Ram, H.No-Wa-29, Wa-Block, Shakarpur, Delhi-110092. Have Changed My Name To Ashok Kumar. 0040500632-4

I, Arvind Singh S/o Sh.Gurbachan Singh Munjal R/o H-86, Ashok Vihar Phase-1, Delhi-110052, have changed the name of my minor son from Mehar Munjal to Mehar Singh Munjal for all purposes. 0040500613-1

I, Md Shamim Ansari,S/O Md Mulazim Hussain, H.No-197/5, Shakti-Vihar, Block-A, Meethapur, Badarpur N.Delhi-110044.Change My Name To Shamim Akhtar. 0040500676-6

I, Anjuli Bansal W/O-Heman Bansal R/O-B-292, Ground Floor, Green Fields Colony, Faridabad, Haryana-121003 Changed My Name To Anjali Bansal. 0040500690-8

I, Anita Kumari W/o Mukesh Kumar Dahiya R/o H.No.561, Sector-6, Bahadurgarh Distt.Jhajjar Haryana.have changed my name to Anita Dahiya 0040500665-8

व्यक्तिगत

मैं, शिव नारायण, पुत्र स्व. श्री मूल चन्द, निवासी मकान नं. 89, पोल नं. 874, गाँव व डाकखाना खैरा, नजफगढ़ नई दिल्ली-110043, सूचित करता हूं कि मेरे जमीन के कागजात (खतोनी) में मेरा नाम शिव नारायण के स्थान पर श्योनरायण लिखा हुआ है। अतः भविष्य में सभी कार्यों हेतु मेरा वास्तविक नाम शिव नारायण का ही प्रयोग किया जाए।

I, Arun Kumar R/O 26P/61, Indira Park, Delhi, informs that in my Pan card My father's name has wrongly mentioned as Satyaprakash Chaudhry. The Correct and documented name is Shambhu Prasad for all future purposes. 0040500698-1

I, Anil Kumar Rathor S/o-Sh. Raj Bahadur Rathore R/o-H.No.-B-226, Street No. 2, Chandu Nagar, Karawal Nagar Road,North-East Delhi-110094 have changed my name from ANIL KUMAR to ANIL KUMAR RATHOR for all future purposes. 0040500690-6

खोया+पाया

I, POOJA choudhary,D/o sanjeev Choudhary R/o-wz-164 Dasghara near p.o.box pusa newdelhi-110012,have lost my original-certificates/mark-sheets Class-10th (2006) roll-no- 6426334 class-12th(2008) rollno-6691402 C.B.S.E Delhi. 0040500665-10

I, Rashmi D/o Raj singh R/o D-214 Daryapur-village Delhi-39, have lost my original-certificate class-10th year-2006 Rollno-6351220 C.B.S E.Delhi 0040500665-9

I, Sh.Praveen Kumar S/o Late Sh. Jagdish Mitter R/o A-102, Dayanand Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-24 have lost Conveyance Deed of my property duly Registered as Document No.6752 Addl. Book No.1, Vol. No.1179 pages-9 to 12, dated-25-06-1997 with Sub Registrar-VII, Delhi.If found kindly contact me at No.9999355660 0040500672-6

It is notified for information that my original Qualifying Examination Xth & XIIth class passing certificates and Marksheets Roll No. 6154434 year 2008 and 9142314 year 2011 respectively issued by CBSE, Delhi has been actually lost. Reha Jagga R/o AB-11, Mianwali Nagar, New Delhi-110087 Phone : 9899230504 0040500620-1

It is notified for the information that my original certificate of CBSE Examination, 10th Class Year-2002, Roll No-6140357 & 12th Class Year-2004, Roll No- 6232454 has been actually lost, in the Name of Ritu D/O Kapoor Singh Ghanghas R/O G-12, Kiran Garden, Uttam nagar, West Delhi, Delhi-110059. 0040500612-1

Lost my original examination certificate of Main Secondary Examination Roll.No.9609030, Year-2014, From CBSE.Finder Pls contact: Yogita R/o-582 Prakash Nagar Khora Colony Ghaziabad Uttar Pradesh-201001.Mob-9990058036. 0040500672-5

I, Col. Vinay Kumar Naroola (Retd) S/o-Jeshth Anand Naroola R/o-A-27-D,First Floor, DDA-Flats Munirka,New Delhi-110067.have lost my original document 5th and Final Demand,DDA possession letter,Allocation/ Allotment letter,NOC (Electricity & water) Bank challan etc. On 2-6-2019 Place New Delhi. 0040500635-8

PUBLIC NOTICE

My Clients Sh. Parveen Kumar Sharma S/o Late Sh. J.M. Sharma and Smt. Shashi Bala Sharma W/o Sh. Parveen Kumar Sharma both R/o 21 A Pocket 'C' Mayur Vihar, Phase II, Delhi-110091 have severed all their relations from their son namely Sh. Akash Sharma and his wife Smt. Payal Sharma & debarred them from all their movable, immovable Properties and all assets due to their misconduct and bad behaviour towards my Clients.

Sd/-
ANURAG SAXENA (ADVOCATE)
Enrl.No.-D/208/91
Ch. No.- G-222
KKD Court Delhi-32

PUBLIC NOTICE

I HERE BY DECLARE ON BEHALF OF MY CLIENTS RAJENDER KUMAR S/O BALBIR SINGH AND REKHA W/O RAJENDER KUMAR BOTH R/O H.NO.-179 C - 3, BASANT NAGAR, VASANT VIHAR, DELHI-110057. THAT THEY HAVE SEVERED ALL THEIR TIES HIS DAUGHTER **(APARNA ROHILLA)** BECAUSE SHE HAS ELOPED WITH SOMEONE AGAINST MY CLIENTS WILL AND THEREFORE THEY ARE ALSO DEBARRING HER FROM ALL THEIR MOVEABLE & IMMOVABLE PROPERTY FOR GOOD.

Sd/-
UMESH KUMAR CHOUBEY
Office 201 Kirti Shekhar Building, District Center
JANAK PURI, NEW DELHI
M.8881768410, 9560792632.

PUBLIC NOTICE

BE KNOWN TO ALL that my client Smt. Om Kala Devi wife of Late Harbans Lal resident of 84/1-2, Chirag Delhi, New Delhi-110017, has severed all her relations with his son Sandeep Kumar and his wife Smt. Guddi, henceforth my client hereby debar/disown them from all their movable and immovable properties. In future my client has no relation with the said Sandeep Kumar son of Late Harbans Lal and his wife Smt. Guddi. Anyone dealing with them, shall doing at his/her own cost/risk and consequences and my clients shall not be responsible for their acts and deals in any manner whatsoever.

Sd/-
DHANKESH YADAV
ADVOCATE
Enrl, No. D/449/ 2010

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clientess **Smt. Shakuntla Devi** wife of Late Tara Chand R/o 4256, Gali Jatan, Pahari Dhiraj, Sadar Bazar, Delhi-110006 **disowned her son Amit and his wife Bhawna and their children,** from her all movable immovable properties as they have abusing and quarreling with my clientess and other family members and my clientess has broken all relations from them and my clientess have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner,

G.L. GOSWAMI
(Advocate)
3530, Qutab Road, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

My Clients SMT Nisha W/o Bunda Lal and Sh Bunda lal @ Subhash S/o Hukum Singh, both R/o E-151, second Floor Nehru Vihar, Delhi 54, have disowned their son namely Vikas and her wife Pooja from all their movable and immoveable properties & severe their relations from them as they are no more in the control of my clients. If anybody dealing with them shall be, doing at his /her own risk & responsibility. My clients shall not be responsible for any act, deed and omission of them.

Sd/-
HIMANSHU NAGPAL
ADOVACTE
9818981831

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Shri Anil Gurtoo S/o Kashi Nath and Smt. Veena Gurtoo W/o Shri Anil Gurtoo, R/o GH-5/7, Flat No. 208, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi-110087, have severed all their relations with their son Shakti Gurtoo, his wife Smt. Himani Gurtoo & their daughter and have disowned them from all their moveable and immoveable properties. Henceforth my clients shall not be responsible for any of the acts and deeds of his above-named persons hence anyone dealing with them in any manner, shall be doing so at his/her own responsibility.

GULSHAN KUMAR (Advocate)
Ch. No. 814, Dwarka Court, N. Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to Public at large that my Clients S. Kawaljeet Singh S/o Late S. Bakshish Singh & Smt. Lakhvinder Kaur W/o S. Kawaljeet Singh Both R/o A-25, Sham Nagar, Tilak Nagar New Delhi-18 they have severed all their relations from her son S. Harjeet Singh & his Wife Smt. Parvinder Kaur & disowned them from all movable & immovable with immediate effect because of harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them shall be during so at their own risk, cost & consequences. R.K. Dev (Advocate)
Enrl. No. 001/10, R-246, G.F., Vani Vihar, Uttam Nagar, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to Public at large that my clientess Smt. Anita Verma Wd/o Late Sh. Rakesh Kumar Verma R/o. 37/A-3, Shri Ram Road, Civil Lines, Delhi-110054, hereby declaring/disowing her son namely Yogesh Kumar Verma from her life & all properties (moveable & immovable) because her son Yogesh Kumar Verma is out of control of my clientess so any body dealing with him, he/she/they would be liable for that dealing. My client & her family will not be responsible for any kind of his acts in future from today.

Nand Kishor Raghav-Advocate
Ch. No.8, Gate No.2,
Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Raj Veer** son of Bani Singh & **Bimla** wife of Raj Veer both R/o 57, Shikharpur, Daulatpur Najafgarh, New Delhi-110043, , have disowned/ debarred their son namely **SURENDER** and his wife **JYOTI** From their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Utttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Ashok Kumar Malhotra** son of DD Malhotra **& Anju Malhotra** wife of Ashok Kumar Malhotra both R/o A-3A, Nand Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/debarred their son namely **HIMANSHU** and his wife **NEERU** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

My Client Mr. J.R. Duggal S/o Late Lala Niranjan Dass, lost all Original documents i.e. Share certificate, allotment letter and possession letter of his residential flat no. B-64, Nav Shakti Co-operative Group Housing society Ltd. Plot no. 5, Sector-9, Rohini, Delhi-85. If found contact, Mobile No. 9811676418.

Sd/-
(R.K. MITTAL)
ADVOCATE
E.No. D-185A/74
C-4/40, Sector-15,
ROHINI, New Delhi-110089

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Shri Birendra Bahadur S/o. LATE SHRI BIJAI BAHADUR, R/o. House No.273, Pocket-09, Sector-21, Rohini, Delhi-110086, Email: rakeshsinglaadv.12@gmail.com, Allottee/purchaser of House No. 273, Pocket-09, Sector-21,Rohini, Delhi-110086 has applied for the conversion of aforesaid property from leasehold to free hold in DDA the original allotment cum demand letter, possession letter & other documents etc. Of the aforesaid property have been lost. An FIR to this effect has been loged in police Station date 02.05.2019. Any Person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original document may write/contact with above named person at above address with in 15 days from the date of publication of this notice and can personally contact Deputy Director(LAB) housing or director(H), D block 3rd floor, Vikas Sadan INA, NewDelhi.

PUBLIC NOTICE

To know men all these presents that my client (1) Sh. Subhash Chand, S/o. Sh. Shyam Lal and (2) Smt. Uma Rani W/o. Sh. Subhash Chand, both R/o. Khasra No. 7/4, Street No.14, Block-D, Tomar Colony, Burari, Delhi -110084, hereby disown and disinherit their daughter Smt. Anita Kumari W/o. Sh. Rajnish Kumar R/o. Harkesh Nagar, Faridabad, Haryana, son Mr. Gulshan Kumar and his wife Smt. Sujata, as well as another son Sh. Amit Kumar and his wife Smt. Reshma, R/o. Khasra No. 7/4, Street No. 14, Block-D, Tomar Colony, Burari, Delhi -110084 from all moveable and immoveable properties/assets of my clients. My clients also severe all their relations from their above named son Amit Kumar and his wife Smt. Reshma. Any person dealing with them shall be doing so, at his /her/their own costs, risks and consequences.

MAHENDRA SHARMA-ADVOCATE
Chamber No.931, Rohini Courts Complex,Rohini, Delhi -110085

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client **D. N. Pandita S/o R. C. Pandita R/o-39-D, Pocket-I, MIG Flats, Dilshad Garden, Delhi-110095** for my original Possession Letter & Demand Letter allotted by DDA File No. MO 22(240) 84/DG/S/R dated 20.03.1985 and NOC of water & Electricity, Challans etc of Flat No. 39D, Pocket-I, Dilshad Garden, Delhi has been actually lost /misplaced. An FIR to this effect has been lodged in the **Police station, Crime Branch, Delhi vide (LR No.710614/2019, Dated 20.02.2019).** Any Person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original document, may write/contact with above **Address/Phone No. 9560211422** with in 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to **Deputy Director (LAB) or Director (Lab Housing), DDA Vikas Sadan, New Delhi-23**

S.K. Gupta(Advocate)
Ch. No. D-209, Karkardooma Courts, Delhi

सीबीआइ जांच के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश सिंह यादव की आगरा में दीवानी अदालत परिसर में गोली मार कर हत्या के मामले की सीबीआइ जांच के लिए दायर याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इसके लिए उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जहां तक बार की नेता की हत्या के मामले का सवाल है तो इसके लिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना होगा।

पीठ ने याचिका में की गई प्रार्थनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकांश उस घटना से संबंधित हैं जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने जब दिल्ली की एक अदालत परिसर की घटना का हवाला दिया तो पीठ ने कहा–कृपया आप पूरी तैयारी कीजिए। इसके लिए अलग से याचिका दायर करें। आपकी प्रार्थनाएं मूल रूप से एक घटना के संबंध में हैं। आप अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट जाएं।

याचिकाकर्ता ने जब यह कहा कि याचिका में महिला वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है तो पीठ ने कहा–क्या हाई कोर्ट इस पर विचार और राहत देने में शक्तिहीन है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट प्रदान की है। उप्र बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव को एक अन्य वकील मनीष शर्मा ने 14 जून को न्यू आगरा में दीवानी अदालत परिसर में तीन गोलियां मारी थीं और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी। दरवेश यादव को गोली मारने वाला वकील मनीष शर्मा उनका पुराना परिचित था।

PUBLIC NOTICE

My client Sanjeev Jain S/o Sh. G.S. jain R/o A-1/35, Sector-8, Rohini, Delhi have cut off his family relations with his brother Sh. Dharmender Jain and his wife Smt. Neha Jain Both R/o H. No. 73, 1st Floor, Pkt-12, Sector-24, Rohini, Delhi due to their quarrelsome nature and arrogant behavior towards my client and his family members. My client shall not be responsible for any of their acts in future.

ANIL DAGAR (ADVOCATE)
DELHI HIGH COURT
CHAMBER NO. 915, ROHINI COURTS, DELHI- 110085
Mob: 9811570337

PUBLIC NOTICE

My Client Sh. Ramesh Batra S/o Late Dharam Chand Batra and his Wife Smt. Shanti Batra R/o H.No. 178-179, Second Floor, Pocket-A-3, Sector-5, Rohini, Delhi-110085. Do hereby disown/debar their Son Rahul Batra and his wife Shilpa Batra from their all movable and immovable Properties and sever their relations from them due to their misconduct and my client will not be responsible for their any acts.

Tarun Bhardwaj (Advocate)
F-244, Rishi Nagar, Rani Bagh Delhi-110034

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

राम रहीम की पैरोल पर फैसला डीसी, एसपी की रिपोर्ट के बाद : खट्टर

चंडीगढ़, 25 जून (भाषा)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख एवं बलात्कार–हत्या मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम के पैरोल आवेदन पर निर्णय राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। खट्टर ने यहां कहा, 'जो कोई भी पैरोल के लिए हकदार है, वह मांग सकता है। हम किसी को भी रोक नहीं सकते।' उन्होंने यह बात उस संवाददाता सम्मेलन में कही, जिसमें इनेलो विधायक जाकिर हुसैन और परमिदर ढुल भाजपा में शामिल हुए।

यह पूछे जाने पर कि उस स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा, जब यदि डेरा प्रमुख को पैरोल प्रदान करने पर हिंसा भड़क जाए, खट्टर ने कहा, 'आप स्वयं ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं जैसे कोई निर्णय कर लिया गया है।' बलात्कार के दो मामलों और एक पत्रकार की हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले के सुनरिया जेल में बंद राम रहीम ने सिरसा जिले में अपने खेतों की देखभाल के लिए 42 दिन के पैरोल का अनुरोध किया है। 51 वर्षीय राम रहीम डेरा अनुयायी रंजीत सिंह की हत्या मामले में भी सुनवाई का सामना कर रहा है। इसके साथ ही उस पर अनुयायियों को नपुंसक बनाने का भी एक मामला चल रहा है। राम रहीम को जेल अधीक्षक से एक अनुकूल रिपोर्ट मिली है जिन्होंने कहा कि उसका आचरण अच्छा है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

बस के खड्ड में गिरने से दो लोगों की मौत, 72 घायल

जयपुर, 25 जून (भाषा)।

राजस्थान में करौली जिले के गरमोडा थाना क्षेत्र में बस के सड़क से फिसल कर खड्ड में गिर जाने से बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई और 72 अन्य घायल हो गए। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि बस में सवार सभी लोग दौसा जिले में विवाह समारोह में भाग लेने के बाद करौली लौट रहे थे। उकारी घाटी के पास बस सड़क से फिसल कर खड्ड में गिर गई।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

EXPRESS EDUCATION

IBPS RRB
ऑनलाइन प्रिलिम्स क्रैश कोर्स
M Tyra और team द्वारा
100+ घंटे की क्लास
प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट
प्रतिदिन डाउट क्लास
प्रिवियस पेपर डिस्कशन
30 दिन में सिलेबस पूरा
सिर्फ ₹1100 में
सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही इनरॉल करें, सीमित सीटें उपलब्ध हैं।
LIVE live.bscacademy.com
+91-8287206390

IAS GS World PCS
Committed To Excellence
You Deserve the best...
Now in English Medium...
Our Faculty
Manikant Singh, Alok Ranjan, Rameshwar, Srikant Bhagat, Dharmendra (Sociology) & Others...
GENERAL STUDIES
Foundation Batch
27th June
Time :- 6:30 PM
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011-27658013, 7042772062/63

ETHICS
CLASSROOM PROGRAMME by M.K. MOHANTY
27 JUNE @ 08:00 AM
CONTENT ENRICHMENT PROGRAMME FOR MAINS 2019
PUBLIC ADMINISTRATION
COURSE DETAILS
ANSWER DISCUSSION SESSIONS
100 PROBABLE QUESTIONS FOR MAINS 2019
5 CONCEPT ENRICHMENT CLASSES
10 TESTS & DISCUSSION
ETHICS 27 JUNE @ 08:00 AM
COURSE DETAILS
125 CASE STUDIES DISCUSSION
100 PROBABLE QUESTIONS FOR MAINS 2019
4 CONCEPT ENRICHMENT CLASSES
6 TESTS & DISCUSSION
Ph:- 011-25744391, 9870146185
SYNERGY AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION
16-A/2, Ist Floor, Ajmal Khan Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-05

YDM IAS
Y.D. Misra's IAS
JOIN IAS : 2020-21 PRELIM-CUM-MAIN
GENERAL ST

'आप' ने फिर साधा लचर कानून व्यवस्था पर निशाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

● जब दिल्ली में विपक्ष के नेता का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी : आतिशी

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी के साथ मंडी हाउस में हुई लूटपाट की घटना के बहाने आम आदमी पार्टी (आप) ने राजधानी की लचर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि अगर ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के परिजनों के साथ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं तो आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।

'आप' की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को मंडी हाउस इलाके में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी की गाड़ी कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवाई और जैसे ही वह गाड़ी के बाहर निकल कर आईं तो एक व्यक्ति उनका बैग लेकर भाग गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी महिला जो खुद निगम पार्षद के संवैधानिक पद पर रह चुकी हैं, वही आज सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था आज जनता के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। एक महीने में राजधानी में 220 राउंड फायरिंग, 43 शूटिंग और 16 हत्याओं की घटना हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस को राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हैं, तो दिल्ली पुलिस ट्विटर के माध्यम से जवाब देती है। उन्होंने पुलिस से जानना चाहा कि सुरक्षा इंतजाम की जो बातें आप ट्विटर पर कर रहे हैं, क्या नता के बीच जाकर आपने मालूम किया कि वह सुरक्षित है या नहीं?

राजनीतिक दल की महिला कार्यकर्ता से लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा विजेंद्र के साथ हुई झपटमारी की वारदात के बाद शाहदरा में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की महिला कार्यकर्ता प्रवीणा शर्मा का पर्स झपटने का मामला सामने आया है। शाहदरा में घटित यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वित्त मंत्रालय के बाहर जवान ने खुद को गोली मारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

नॉर्थ ब्लाक स्थित वित्त मंत्रालय के दफ्तर के बाहर राजस्थान पुलिस बल के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी तैनाती नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर–2 पर थी। यह घटना दोपहर 12:45 बजे हुई। अभी यह पता नहीं चल सका है कि उसने खुद को गोली क्यों मारी। पुलिस उसके परिजनों और साथियों से पूछताछ शुरू कर दी है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा के मुताबिक 48 साल के जय नारायण लंबी छुट्टी के बाद मंगलवार को ड्यूटी पर लौटे थे।

'आप' विधायक को तीन महीने की कैद, जमानत भी मिली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद सुनाई। 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केंद्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। इससे वह अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ऑयल एंड नैचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)
में
निदेशक (तटवर्ती)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त, 2019 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।

रोड – V डिवीजन, सिविल इंजीनियरिंग विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
कमरा सं. 229, एस.बी.एस प्लेस, गोल मार्केट, नई दिल्ली
लघु ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
निविदा आईडी सं. – 2019_NDMC_174899_1
कार्य का नामः 2019–20 के दौरान आर–V डिवीजन में एसडब्ल्यूडी सिस्टम का टी/एम।
उपशीर्षः राष्ट्रपति एस्टेट के समीप नार्थ एवेन्यू में गली नं. 35 से गली नं. 37 के बीच ड्रेनेज सिस्टम का सुधार।
अनुमानित लागत राशि : ₹ 7,52,590/-
निविदा प्रकाशन की तिथि : 24.06.2019
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय : 05.07.2019 अपराह्न 4.00 बजे तक
विस्तृत जानकारी के लिए https://govtprocurement.delhi.gov.in देखें
नोटः एनडीएमसी की ई–निविदा में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के ई–निविदा प्रणाली के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।
अधिशासी अभियंता (आर–V)
To be the global Benchmark for a Capital City

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, GWALIOR (M.P.)
No./IPRO/DFA/2019-20/629 Dated : 25.06.2019
ADMISSION NOTICE (SECOND)
Applications on plain paper are invited from the **Non Resident Indian (NRI)** candidates for admission in **B.Sc. (Hons.) Agriculture & B.Sc. (Hons.) Horticulture** degree programmes for the academic session **2019-20** under **Non Resident Indian (NRI)** quota.

S.No.	Name of Degree programme	No. of Seats
1.	B.Sc. (Hons.) Agriculture	11
2.	B.Sc. (Hons.) Horticulture	2

Intending NRI candidates may apply with the **"NRI Certificate"** in the prescribed proforma or certificate from Indian Embassy/High Commission of the concerned country as to **his/her** parents are NRI and certified copy of relevant documents such as mark-sheet, NRI residential proof, NRI passport and bank account to the **Dean, Faculty of Agriculture, Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Raja Pancham Singh Marg, Gwalior-474002 (M.P.)** on or before **10/07/2019 upto 5:00 P.M.** General information and NRI proforma are available at our website **www.rvskvv.net**
Dean Faculty of Agriculture
RVSKVV, Gwalior (M.P.)
For any enquiry please contact on 0751-2970506-7

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

indiamart®

IndiaMART InterMESH LIMITED

Our Company was incorporated in New Delhi as 'IndiaMART InterMESH Limited' on September 13, 1999, as a public limited company under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("**RoC**").

Corporate Identity Number: U74899DL1999PLC101534

Registered Office: 1st Floor, 29 Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi 110 002, India; **Tel:** (+91) (11) 3027 2100; **Fax:** (+91) (11) 4350 9807. For details of the change in the registered office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 178 of the Red Herring Prospectus dated June 17, 2019 ("**RHP**"). **Corporate Office:** 7th & 8th Floors, Advant-Navis Business Park, Plot No. 7, Sector 142, Noida 201 301, Uttar Pradesh, India; **Tel:** +91 (120) 6777 800; **Fax:** +91 (120) 4873 101; **Contact Person:** Manoj Bhargava, Senior Vice President (Legal and Secretarial), Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 (120) 6777 800; **Fax:** +91 (120) 4873 101; **E-mail:** cs@indiamart.com; **Website:** www.indiamart.com

OUR PROMOTERS: DINESH CHANDRA AGARWAL AND BRIJESH KUMAR AGRAWAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 4,887,862 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDIAMART INTERMESH LIMITED ("INDIAMART" OR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]* PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") THROUGH AN OFFER FOR SALE OF (A) UP TO 2,590,000 EQUITY SHARES BY INTEL CAPITAL (MAURITIUS), LIMITED; UP TO 255,753 EQUITY SHARES BY AMADEUS IV DPF LIMITED AND UP TO 475,000 EQUITY SHARES BY ACCION FRONTIER INCLUSION MAURITIUS (TOGETHER, THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), (B) UP TO 852,453 EQUITY SHARES BY DINESH CHANDRA AGARWAL AND UP TO 577,656 EQUITY SHARES BY BRIJESH KUMAR AGRAWAL (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND (C) UP TO AN AGGREGATE OF 137,000 EQUITY SHARES BY THE OTHER SELLING SHAREHOLDERS (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 10,000 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES, (WHICH SHALL NOT EXCEED 5% OF THE POST-OFFER EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER", AGGREGATING UP TO 4,877,862 EQUITY SHARES. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE 16.99% AND 16.95% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

***A discount of ₹ 97 per Equity Share is being offered to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion.**

QIB Category: Not less than 75% of the Net Offer
Retail Category: Not more than 10% of the Net Offer
Non-Institutional Investor Category: Not more than 15% of the Net Offer
Employee Reservation: 10,000 Equity Shares for Eligible Employees

Price Band: ₹ 970 to ₹ 973 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 97 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 97.3 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 15 Equity Shares and in multiples of 15 Equity Shares thereafter.
Employee discount of ₹ 97 per Equity Share is being offered to Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.**
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE — Now available in ASBA for Retail Individual Investors

*Investors have to apply through the ASBA process. *ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 500 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA Bid-cum-Application Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018. For details of the Banks eligible to act as Issuer Banks for UPI, kindly refer to the website of SEBI (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=40).*

Risks to Investors:

- **The three Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 25 public issues during the current financial year and two financial years preceding the current financial year, out of which 7 closed below the issue price on listing date.**
- **The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for fiscal 2019 for the Company at the upper end of the Price band is as high as 203.41, on an unconsolidated basis and 127.79, on a consolidated basis. The P/E of Nifty 50 as on June 17, 2019 is 28.87.**
- **The average cost of acquisition per Equity Share for our Selling Shareholders is in the range of ₹ 0.24 to ₹ 385.00 per Equity Share. The Offer Price at the upper end of the Price Band is ₹ 973.**
- **Weighted Average Return on Net Worth for fiscals 2019, 2018 and 2017 is (4.68)% on an unconsolidated basis and 9.20% on a consolidated basis.**

BID/OFFER PERIOD

BID/OFFER CLOSES TODAY

In case of a revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band subject to the Bid/Offer Period not exceeding a total of 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the websites of the Book Running Lead Managers ("**BRLMs**") and at the terminals of the other members of the Syndicate.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, (the "**SCRR**") and the Net Offer constitutes 16.95% of the post-Offer paid-up Equity Share capital of our Company. The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 26(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("**SEBI ICDR Regulations**"), where at least 75% of the Net Offer will be Allotted on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Category**"), provided that our Company in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. Further, 5% of the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Net Offer cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer through the Application Supported by Block Amount ("**ASBA**") process, and shall provide details of their respective bank account in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs. Anchor Investors are not permitted to participate in this Offer through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "*Offer Procedure*" on page 500 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (if applicable, in case RIIs are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, investors are requested to see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 178 of the RHP and Clause III (A) of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 565 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹ 979,425,584 comprising 30,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each, 1,493,903 0.01% cumulative preference shares of ₹ 328 and 1,894,254 compulsorily convertible cumulative preference shares of ₹ 100 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of our Company is ₹ 287,748,200 divided into 28,774,820 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the capital structure, see "*Capital Structure*" on page 94 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company are Dinesh Chandra Agarwal, Brijesh Kumar Agrawal, Chetna Agarwal, Pankaj Agarwal, Naresh Chandra Agarwal, Prakash Chandra Agrawal and Praveen Kumar Goel who subscribed to 100 Equity Shares each, of face value of ₹ 10 each as initial subscription.

LISTING: The Equity Shares offered through the RHP are proposed to be listed on the BSE and NSE. Our Company has received in-principle approvals from the BSE and the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters dated August 7, 2018 and August 3, 2018, respectively. For the purpose of this Offer, NSE is the Designated Stock Exchange. A signed copy of the RHP has been and the Prospectus shall be delivered for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013 ("**Companies Act**"). For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the RHP up to the Bid/ Offer Closing Date, see "*Material Contracts and Documents for Inspection*" on page 565 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. Investors are advised to refer to page 472 of the RHP for the full text of the 'Disclaimer Clause of SEBI'.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus". The investors are advised to refer the Red Herring Prospectus for the full text of the "Disclaimer clause of the BSE" on page 486 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document". The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE" on page 486 of the RHP.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the RHP including Risk Factors carefully before making an investment decision in the Offer. For making an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the RHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 20 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ICICI Securities	Edelweiss (Ideas create, values protect)	Jefferies	LINK Intime	
ICICI Securities Limited ICICI Center, H. T. Parekh Marg Churchgate, Mumbai 400 020 Maharashtra, India **Tel:** (+91) (22) 2288 2460/70 **Fax:** (+91) (22) 2282 6580 **Email:** indiamart.ipo@icicisecurities.com **Website:** www.icicisecurities.com **Investor Grievance E-mail:** customercare@icicisecurities.com **Contact Person:** Arjun A Mehrotra/Nidhi Wangnoo **SEBI Registration No.:** INM000011179	**Edelweiss Financial Services Limited** 14th Floor, Edelweiss House Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai 400 098 Maharashtra, India **Tel:** (+91) (22) 4086 3535 **Fax:** (+91) (22) 4086 3610 **E-mail:** indiamart.ipo@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Investor Grievance E-mail:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Contact Person:** Yash Modi **SEBI Registration No.:** INM0000010650	**Jefferies India Private Limited** 42/43, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Maharashtra, India **Tel:** (+91) (22) 4356 6000 **Fax:** (+91) (22) 6765 5595 **E-mail:** INDIAMART.IPO@jefferies.com **Website:** www.jefferies.com **Investor Grievance E-mail:** jipl.grievance@jefferies.com **Contact Person:** Jayaraman Ganapathy **SEBI Registration No.:** INM000011443	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4918 6200 **Fax:** +91 22 4918 6195 **Email:** indiamart.ipo@linkintime.co.in **Investor Grievance e-mail:** indiamart.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.** INR000004058	**Manoj Bhargava** **IndiaMART InterMESH Limited** 7th and 8th Floors, Advant Navis Business Park Plot number 7, Sector 142, Noida 201 301 Uttar Pradesh, India **Tel:** (+91) (120) 677 7800; **Fax:** (+91) (120) 4873 101 **E-mail:** cs@indiamart.com **Website:** www.indiamart.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLMs or the Registrar to the Offer, in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, and non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc.

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "*Risk Factors*" on page 20 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the BRLMs at www.icicisecurities.com, www.edelweissfin.com and www.jefferies.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **IndiaMART InterMESH LIMITED**, Tel: (+91) (11) 3027 2100; Fax: (+91) (11) 4350 980; **BRLMs: ICICI Securities Limited**, Tel: (+91) (22) 2288 2460/70, Fax: (+91) (22) 2282 6580; **Edelweiss Financial Services Limited,** Tel: (+91) (22) 4086 3535, Fax: (+91) (22) 4086 3610; **Jefferies India Private Limited,** Tel: (+91) (22) 4356 6000, Fax: (+91) (22) 6765 5595; **Syndicate Member: Edelweiss Securities Limited**, Telephone No: (+91) (22) 4063 5569, Facsimile: (+91) (22) 6747 1347 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, CRTAs and CDPs for participating in the Offer. ASBA will also be available on the websites of the Stock Exchanges and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd.; Axis Capital Ltd.; Centrum Broking Limited; Dalal & Broacha Stock Broking Pvt. Ltd.; DB(International) Stock Brokers Ltd.; Edelweiss Securities Limited; HDFC Securities Limited; ICICI Securities Limited; IIFL Securities Ltd.; J M Financial Services Ltd.; Jobanputra Fiscal Services Pvt. Ltd.; Karvy Stock Broking Ltd.; Keynote Capitals Limited; Kotak Securities Limited; LKP Securities Ltd.; Motilal Oswal Securities Ltd.; Prabhudas Liladhar Pvt Ltd.; Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Ltd.; RR Equity Brokers Pvt Ltd.; Sharekhan Ltd.; SMC Global Securities Ltd. and Trade Bulls Securities (P) Ltd.

ESCROW BANK(S)/PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/REFUND BANK: HDFC Bank Limited.

SPONSOR BANK : HDFC Bank Limited.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

Corrigendum to the Red Herring Prospectus

This corrigendum is with reference to the Red Herring Prospectus dated June 17, 2019, in relation to Offer. In this regard, please note the following: • The fax number for the Registered Office should be read as (+91) (11) 4350 9807. • The fax number for the Corporate Office, contact person and the Chief Financial Officer should be read as (+91) (120) 4873 101. The Red Herring Prospectus, the Application Forms, the Abridged Prospectus and Price Band Ad shall be read in conjunction with this Corrigendum. The RHP, the Application Forms, the Abridged Prospectus and Price Band Ad stands amended to the extent of modification stated above. Relevant changes shall be reflected in the Prospectus, including on the cover page and in the sections entitled "***General Information***" and "***Other Regulatory and Statutory Disclosures***", when registered with the RoC and filed with SEBI and the Stock Exchanges. Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Red Herring Prospectus.

For **IndiaMART InterMESH LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: June 25, 2019

IndiaMART InterMESH LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares and has filed a Red Herring Prospectus dated June 17, 2019 with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana. The Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the BRLMs at www.icicisecurities.com, www.edelweissfin.com and www.jefferies.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Red Herring Prospectus, including the section titled '*Risk Factors*' on page 20 of the Red Herring Prospectus.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The securities described in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. No public offering of securities in the United States is contemplated.

CONCEPT

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	39.0 डि.से.	39.0 डि.से.	38.5 डि.से.	39.5 डि.से.
न्यूनतम	27.8 डि.से.	27.8 डि.से.	27.6 डि.से.	27.7 डि.से.

गुस्सा अमेरिकी विदेश सचिव के भारत आगमन के खिलाफ वामदलों की ओर से दिल्ली में मंगलवार को जुलूस निकाला गया। फोटो : आरुष चोपड़ा

'क्लीनिंग अप' अभियान के निशाने पर शहर और गांव के बकाएदार

इलाकों में काटे जा रहे बिजली कनेक्शन

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 25 जून।

चुनावी गहमागहमी समाप्त होने के बाद बिजली विभाग ने बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। क्लीनिंग अप अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी बकाएदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अभी तक ग्रामीण इलाके में दो हजार से ज्यादा और शहरी इलाकों में करीब दो हजार बकाएदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। करीब 10 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली भी की जा चुकी है।

बताया गया है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों के 50 फीसद से ज्यादा और शहरी इलाकों के 30 फीसद से ज्यादा लाइन लॉस वाले बिजली घर और फीडरों पर क्लीनिंग अप अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय अग्रवाल के मुताबिक डिस्कॉम के तहत ग्रामीण इलाकों में पांच हजार रुपए से अधिक और शहरी क्षेत्र में 10 हजार रुपए से अधिक राशि वाले बकाएदारों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अभियान के तहत अभी तक दो हजार 746 ग्रामीण बकाएदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। इनसे पांच करोड़ 79 लाख रुपए के राजस्व की वसूली हुई है। 76 मीटर बदले गए हैं और करीब 80 कनेक्शन मालिकों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के एक हजार 93 बकाएदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। उनसे 11 करोड़ 81 लाख रुपए वसूले गए हैं। बकाएदारों के अलावा संदिग्ध उपभोक्ताओं के यहां औचक जांच की जा रही है।

बकाया वसूली और बिजली चोरी रोकने की पूरी जिम्मेदारी टीजी-2 और अवर अभियंताओं को दी गई है। अभियान के तहत अधिकारियों के छापे में यदि किसी बकाएदार के यहां बिजली आपूर्ति होने पर इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर ही विभाग के करीब 300 करोड़ रुपए बकाया हैं।

ग्रामीण इलाकों में पांच हजार रुपए और शहरी क्षेत्र के दस हजार रुपए से अधिक रुपए वाले बकाएदारों पर नजर

अभी तक करीब 10 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली भी की जा चुकी है

ज्यादा निवेश लाने पर कंपनी देती थी महंगी कार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 25 जून।

बाइक बोट फर्जीवाड़े की जांच कर रही अपराध शाखा की टीम ने एक और आरोपी विनोद कुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी का अपर निदेशक रह चुका है। लोगों को झांसे में लेकर कंपनी में बड़ी रकम निवेश करा चुका यह आरोपी 20 लाख रुपए से अधिक कमा चुका है। निवेश कराने में उसे इनाम के तौर पर फॉर्च्यूनर कार भी मिल चुकी है। पदाधिकारियों को कंपनी इनाम देती थी।

गौतम बुद्ध नगर अपराध शाखा प्रभारी शीलेश कुमार के मुताबिक मामले में मेरठ निवासी विनोद बाइक बोट कंपनी का अपर निदेशक रहा है। कंपनी में अपर निदेशक पद पर 12 लोग काम कर रहे थे। कंपनी हर महीने अधिक निवेश कराने वाले पदाधिकारी एवं टीम लीडर को इनाम में फॉर्च्यूनर कार देती थी। विनोद कुमार की फॉर्च्यूनर कार बरामद करने की पुलिस कोशिश कर रही है। कंपनी में आने से पहले विनोद पहले एक मोबाइल कंपनी में बतौर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। नवंबर, 2017 में बाइक बोट कंपनी में लक्ष्य आधारित नौकरी शुरू की थी। पूछताछ में बताया कि कंपनी से काफी संख्या में निवेशक जुड़ने लगे थे। निवेशकों के ज्यादा से ज्यादा रुपए हड़पने के लिए कंपनी ने अक्तूबर, 2018 में साजिश के तहत एक नई योजना बनाई। योजना के तहत 62 हजार के बजाए 1.24 लाख रुपए निवेश करने पर तीन गुना से अधिक का भुगतान मिलने का भरोसा दिया गया था।कंपनी के मालिक संजय भाटी ने कोर्ट में समर्पण किया था। विजय कसाना को मेरठ से गिरफ्तार किया था। दोनों जेल में हैं।

बाइक बोट कंपनी फर्जीवाड़ा

- कंपनी में अपर निदेशक रह चुके आरोपी को किया गया गिरफ्तार
- हजारों लोगों से निवेश कराने पर आरोपी को मिल चुके हैं 20 लाख रुपए

हिंदी अनिवार्य करने का इरादा नहीं : जेएनयू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में स्नातक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। 28 जून को होने वाली विद्वत परिषद (एसी) की बैठक में हिंदी से संबंधित एक प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा को भी टाल दिया गया है। विद्यार्थियों ने चर्चा टालने के जेएनयू प्रशासन के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की है। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में कुछ विद्यार्थियों द्वारा फैलाई जा रही सूचना पूरी तरह से गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने सोमवार को आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय हिंदी को स्नातक पाठयक्रमों में अनिवार्य विषय बनाने की तैयारी कर रहा है।

जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ छात्र मीडिया में गलत सूचना फैला रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में हिंदी को अनिवार्य विषय के तौर पर लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान अस्वीकार्य एवं निंदनीय हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेएनयू प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। कुमार ने कहा कि एसी बैठक के एजंडे में स्नातक पाठ्यक्रमों में हिंदी को एक संभावित पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किए जाने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालय के विचार जानने के लिए भेजे गए एक पत्र पर चर्चा से जुड़ा था। कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था। इसलिए अब एसी बैठक में इस एजंडे पर चर्चा को टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह रेखांकित किया जाता है कि जेएनयू ने अपने स्नातक पाठ्यक्रमों की अध्ययन सूची में हिंदी लागू करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

अनिवार्यता के परिपत्र को वापस ले यूजीसी : माकपा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का कहना है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की यूजीसी की कोशिश अन्य भाषाई समूहों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगी और इससे देश की एकता प्रभावित हो सकती है। हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने को लेकर यूजीसी ने जुलाई, 2018 में पत्र लिखा था कि वे स्नातक पाठ्यक्रमों में इस भाषा को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करें। यूजीसी से उस परिपत्र को वापस लेने की मांग करते हुए वामदल ने कहा कि इससे पहले भी हिंदी को थोपने का प्रयास विफल रहा है। वामदल ने एक बयान में कहा कि माकपा पूरे भारत में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के प्रयासों को लेकर चिंतित है। कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 के मसौदे के तहत हिंदी को थोपने के प्रयासों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में यह परिपत्र जारी किया जाना थोड़ा अजीब है।

मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले मांगी जलभराव से निपटने की रिपोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्य सचिव विजय देव से कहा कि मानसून आने से पहले महानगर में जलभराव वाले क्षेत्रों की सूची सौंपें, जिनकी पहचान विभिन्न विभागों ने की है। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर इसे रोकने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वर्तमान वर्ष के लिए बाढ़ नियंत्रण आदेश रिपोर्ट की शुरुआत के मौके पर दिल्ली के मुख्य सचिव देव को यह निर्देश दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी कैबिनेट के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन क्षेत्रों में समस्या नहीं हो। उन्होंने कहा कि अगर ढांचागत खराबी जैसे कारणों से जलभराव को नहीं रोका जा सकता है तो इसे स्पष्ट रूप से रेकॉर्ड किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव देव को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित विभागों को निर्देश दें कि दिल्ली में जलभराव के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनकी सूची अगले सात दिनों में सौंपें।

भीड़ की हिंसा के खिलाफ संविधान बचाओ संघर्ष समिति करेगी धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहे अपराधों और स्वास्थ्य मामले में लापरवाही के मद्देनजर धरना व प्रदर्शन का एलान किया है। समिति उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के खिलाफ 27 जून को राजधानी के जंतर मंतर पर धरना व प्रदर्शन करेगी।

राजधानी में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक डॉ अनिल जयहिंद, अनिल चमड़िया, आरके यादव, प्रवीण यादव व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ सूरज मंडल व डॉ रतन लाल शामिल हुए। इन नेताओं ने कहा कि देश में जगह-जगह अल्पसंख्यकों की भीड़ द्वारा पीटकर मारे जाने की खबर बेहद चिंताजनक है और इसके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जब नेता व पार्टियां डर से चुप हो जाएं, तो जनता का सड़कों पर उतरना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। इन नेताओं ने कहा कि देश प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं और उस पर विदेशी गाड़ियां दौड़ रही हैं। महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाने की बात भी हो रही है, पर राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देश को आईना दिखा रहे हैं। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट ने कई राज्यों के दावों की पोल खोल दी। अपराध के मामले में उत्तर भारत के राज्यों को इस रिपोर्ट ने जिस तरह से आईना दिखाया है, वह गौर करने वाली बात है। देश में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए उत्तर प्रदेश अव्वल है। इधर बिहार में चमकी बुखार के कहर ने स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष्मान भारत योजना की कलई खोल दी। डॉक्टर, दवाई और इलाज की कमी के कारण सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चे काल के मुंह में समा गए। बिहार की कानून व्यवस्था भी उतनी ही लचर है और अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 2019 चुनाव के बाद से राजनैतिक कारणों से विपक्ष समर्थक लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं।

- 27 जून को राजधानी के जंतर मंतर पर धरना व प्रदर्शन होगा

जामिया के अंग्रेजी विभाग में पहला स्पार्क पाठ्यक्रम शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंग्रेजी विभाग में मंगलवार को एमएचआरडी स्पार्क के पहले पाठ्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जिसका शीर्षक 'थिंकिंग विद द सीः हिस्ट्रीज ऑफ इंडियन ओशियन' था। यह अल्पकालिक पाठ्यक्रम जोहांसबर्ग की विटवाटर्सरैंड विवि की ओर से डॉ सारा जैपी ने पेशकश किया है। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर थीं, जिन्होंने पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वालों की हौसला आफजाई करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितना भी मुमकिन होगा, वह उसे मदद और बढ़ावा देंगी। अंग्रेजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर निशात जैदी ने स्वागत संबोधन दिया। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर जाहिद अशरफ ने प्रोग्राम का महत्त्व बताया। उन्होंने जानकारी दी कि जामिया को एमएचआरडी स्पार्क के ग्यारह प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिसमें से चार अंग्रेजी विभाग को मिले हैं। अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर सिमी मल्होत्रा के धन्यवाद भाषण से समारोह का समापन हुआ।

आंबेडकर विवि में आज से ईडब्लूएस कोटे के आवेदन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) ने भी आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दस फीसद आरक्षण लागू करने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय ईडब्लूएस उम्मीदवारों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन का मौका देने के लिए 26 से 30 जून तक पंजीकरण खोलेगा। सभी पाठ्यक्रमों के लिए अब तक 25,717 आवेदन विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं।

विश्वविद्यालय इस आरक्षण के लागू होने के फलस्वरूप बढ़ने वाली कुल 25 फीसद सीटों में से इस साल 10 फीसद बढ़ाएगा जबकि बाकी बचीं 15 फीसद सीटों का इजाफा अगले साल किया जाएगा। अभी विश्वविद्यालय में एमए की कुल 618 सीटें हैं जो अब बढ़कर 680 हो जाएंगी। इसी तरह बीए की अभी 541 सीटें हैं जो अब बढ़कर 598 हो जाएंगी। एयूडी से मिली जानकारी के मुताबिक ईडब्लूएस वर्ग के जो उम्मीदवार अब तक आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें ईडब्लूएस का प्रमाणपत्र दाखिला पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

विश्वविद्यालय के मुताबिक, उनके कश्मीरी गेट परिसर के बीए पाठ्यक्रमों के लिए 12800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह कर्मपुरा परिसर में चलने वाले बीए पाठ्यक्रमों के लिए 3029, बीवोक पाठ्यक्रमों के लिए 991, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 8030, एमबीए के लिए 664, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए 28 और शोध पाठ्यक्रमों के लिए 175 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

ईडब्लूएस कोटा लागू होने के बाद एमए में 62 और बीए में 57 सीटें बढ़ीं

Ambedkar University Delhi

'दोबारा न पैदा हो आपातकाल जैसी स्थिति'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से देश में आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न होने देने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि 'आज ही के दिन 34 वर्ष पहले भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र पर किए सबसे बड़े हमले का साक्षी बना था। आएं हम इस महान लोकतंत्र के संविधान पर दोबारा ऐसा हमला ना होने देने का संकल्प लें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाया था, जो 21 मार्च, 1977 तक लागू रहा था'।

आज के कार्यक्रम

नृत्य

इंडिया हैबीटेट सेंटर : कथक नृत्य, सेंटर सभा, लोधी रोड, शाम सात बजे।

थ्री सी बिल्डर से प्राधिकरण निकाल सकेगा अपने 850 करोड़ रुपए का बकाया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 25 जून।

थ्री सी बिल्डर कंपनी की ग्रेनाइट गेट परियोजना में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) ने नोएडा प्राधिकरण को भी लेनदार मानते हुए सीओसी में शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) में शामिल होने के बाद प्राधिकरण को बिल्डर कंपनी से बकाया निकालने में आसानी होगी।

साथ ही लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक में प्राधिकरण भी अपना पक्ष रख सकेगा। बिल्डर पर परियोजना को लेकर कितनी देनदारी है, इसका ब्योरा प्राधिकरण ने एनसीएलटी में जमा कर दिया है। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। प्राधिकरण ने थ्री सी बिल्डर कंपनी को ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए भूखंड की कुल कीमत का महज 10 फीसद समेत कुछ अतिरिक्त धनराशि जमा कराकर आबंटन किया था। सेक्टर-100 व 110 में ग्रेनाइट गेट नाम की परियोजना का आबंटन के बाद बिल्डर कंपनी ने प्राधिकरण का भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण के भुगतान के अलावा परियोजना में निवेश करने वाले खरीदारों को भी फ्लैट नहीं मिल सके। थ्री सी कंपनी पर प्राधिकरण का करीब 850 करोड़ रुपए बकाया है। रकम के भुगतान को लेकर प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किए थे। इसी बीच कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया एनसीएलटी में शुरू हो गई। जिसके चलते अंतरिम समाधानकर्ता (आइआरपी) नियुक्त किया गया। आइआरपी की नियुक्ति के बाद प्राधिकरण ने अपनी दावेदारी पेश की। जिसके बाद एनसीएलटी ने प्राधिकरण को भी लेनदारों की समिति में शामिल कर लिया है। इसके बाबत फैसला 10 जून को हुआ था। जुलाई में सुनवाई होने से पहले लेनदारों की समिति की एक बैठक होनी है। इस बैठक में प्राधिकरण अपना पक्ष रखेगा। प्राधिकरण का मत है कि इस तरह फैसला लिया जाए, ताकि बकाया भुगतान के अलावा खरीदारों के हितों की भी रक्षा हो सके।

नोएडा प्राधिकरण को लेनदारों की समिति में जगह मिली

उत्तरी निगम का आर्थिक स्थिति पर सवाल

स्थायी समिति ने दिल्ली सरकार के सिर फोड़ा ठीकरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 जून।

उत्तरी नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर निगमों का शोषण कर विकास कार्यों तथा निगम के सुचारू संचालन में अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। निगम मुख्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमेयर योगेश वर्मा, नेता सदन तिलकराज कटारिया व स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विपिन मल्होत्रा उपस्थित थे।

जय प्रकाश ने बताया कि दिल्ली सरकार के चतुर्थ वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के कारण निगम को 2012 से 2016 तक 968.97 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। दिल्ली सरकार ने पांचवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों में भी निगम की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने वाले मदों को लागू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीसरे आयोग की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा सहायता, निगम भवनों का रखरखाव, पूंजीय संपदाओं का रखरखाव, पुनर्वास कॉलोनियों का रखरखाव, बेसिक टैक्स असाइनमेंट, निगम सुधार जैसे मदों पर निगमों का राशि दी जाती थी किंतु पांचवें वित आयोग की सिफारिशों में बेसिक टैक्स असाइनमेंट को छोड़कर किसी अन्य मद में राशि आबंटित नहीं की जा रही है। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को तो लागू ही नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि यदि योजना अनुदान को अलग-अलग करके देखें तो 2019-20 में विकास कार्यों के लिए केवल मात्र 327.16 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, शेष 711.99 करोड़ गैर-योजना मद में स्थानांतरित किया गया है।

नलिनी को व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति

चेन्नई, 25 जून (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को छुट्टी की याचिका पर बहस करने के लिए पांच जुलाई को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की मंगलवार को अनुमति दे दी। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के इंतजाम करने के लिए छह माह की सामान्य छुट्टी मांगी है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार के खंडपीठ ने नलिनी को अपनी याचिका पर बहस करने के लिए पांच जुलाई को दोपहर सवा दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी। करीब 27 साल से जेल में बंद नलिनी ने अदालत से वेल्लोर में महिलाओं के विशेष कारागार के पुलिस अधीक्षक को उसे अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सके।

● नलिनी ने 27 साल से भी अधिक समय से ऐसी सामान्य छुट्टी नहीं ली है, इसलिए उसने 25 फरवरी को जेल अधिकारियों से छह माह की छुट्टी देने का निवेदन किया था, ताकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम कर सके।

अदालत ने 11 जून को गौर किया कि याचिका पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नलिनी के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। नलिनी के मुताबिक उम्रकैद की सजा पाने वाला व्यक्ति दो साल में एक बार एक महीने की छुट्टी पाने का हकदार होता है और चूंकि उसने 27 साल से भी अधिक समय से ऐसी सामान्य छुट्टी नहीं ली है, इसलिए उसने 25 फरवरी को जेल अधिकारियों से छह माह की छुट्टी देने का निवेदन किया था, ताकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम कर सके। इसके बाद उसकी मां ने भी 22 मार्च को इसी प्रकार का निवेदन किया था। अधिकारियों ने उनके निवेदन पर विचार नहीं किया, जिसके बाद नलिनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में तमिलनाडु सरकार ने 24 अप्रैल, 2000 को उसकी सजा उम्रकैद में बदल दी थी। नलिनी ने दावा किया है कि उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के बाद से उम्रकैद की सजा पाए ऐसे करीब 3,700 कैदियों को तमिलनाडु सरकार रिहा कर चुकी है, जो दस साल या इससे कम समय जेल में गुजार चुके हैं।

कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की

जयपुर, 25 जून (भाषा)।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान एक किसान ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। थानाधिकारी किशन सिंह ने मंगलवार को बताया कि किसान सोहनलाल (45) ने रविवार को सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक किसान पर करीब ढाई लाख का कर्ज था और वह कर्ज माफ नहीं होने से परेशान था।

शौचालय में बच्चे को जन्म देने के मामले में नर्स का तबादला

शामली, 25 जून (भाषा)।

शामली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय में महिला के बच्चे को जन्म देने के मामले में स्टाफ नर्स का तबादला कर दिया गया है, जबकि दो वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।

एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि नर्स पर आरोप है कि उसने गर्भवती महिला को नहीं देखा, जबकि अधीक्षक व चिकित्सा अधिकारी ने त्वारित कार्रवाई करने के बजाय उसे दूसरे केंद्र भेज दिया। इसके बाद महिला ने केंद्र के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। यह घटना 27 मई को तब सामने आई, जब महिला के ससुर ने शिकायत दर्ज कर केंद्र के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया।

अधिकारी ने बताया कि विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय भंडारकर ने कहा कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी केपी सिंह द्वारा की गई जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की गई है। भंडारकर ने बताया कि स्टाफ नर्स एंजेलिना का तबादला कर दिया गया है और उसकी वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है, जबकि अधीक्षक रमेश चंद्र और चिकित्सा अधिकारी मंजित कौर को चेतावनी पत्र दिए गए हैं।

कुलपति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

जबलपुर (मप्र), 25 जून (भाषा)।

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल पर 40 साल की एक महिला से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी प्रवीण सिंह धुर्वे ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर जुयाल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
लोकपाल के पद पर नियुक्ति

लोकपाल (Ombudsman), डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के पद को भरने के लिए पात्र रेलवे अधिकारियों (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

इस पद से संबंधित विवरण भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.indianrailways.gov.in/railwayboard** पर जाकर आई आर पर्सनल (IR personnel) पर क्लिक करके फिर रिक्ति पत्र (vacancy circulars) पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं।

जीवनवृत्त (तीन प्रतियों में) जिसमें संबंधित विवरण का उल्लेख हो सहित आवेदन पत्र श्री के. गंगाधरन, निदेशक/प्रतिनियुक्ति, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), कमरा नं. 110 ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001 को भेजा जाए ताकि वह दिनांक **23.07.2019** (1730 बजे) तक अवश्य पहुँच जाए।

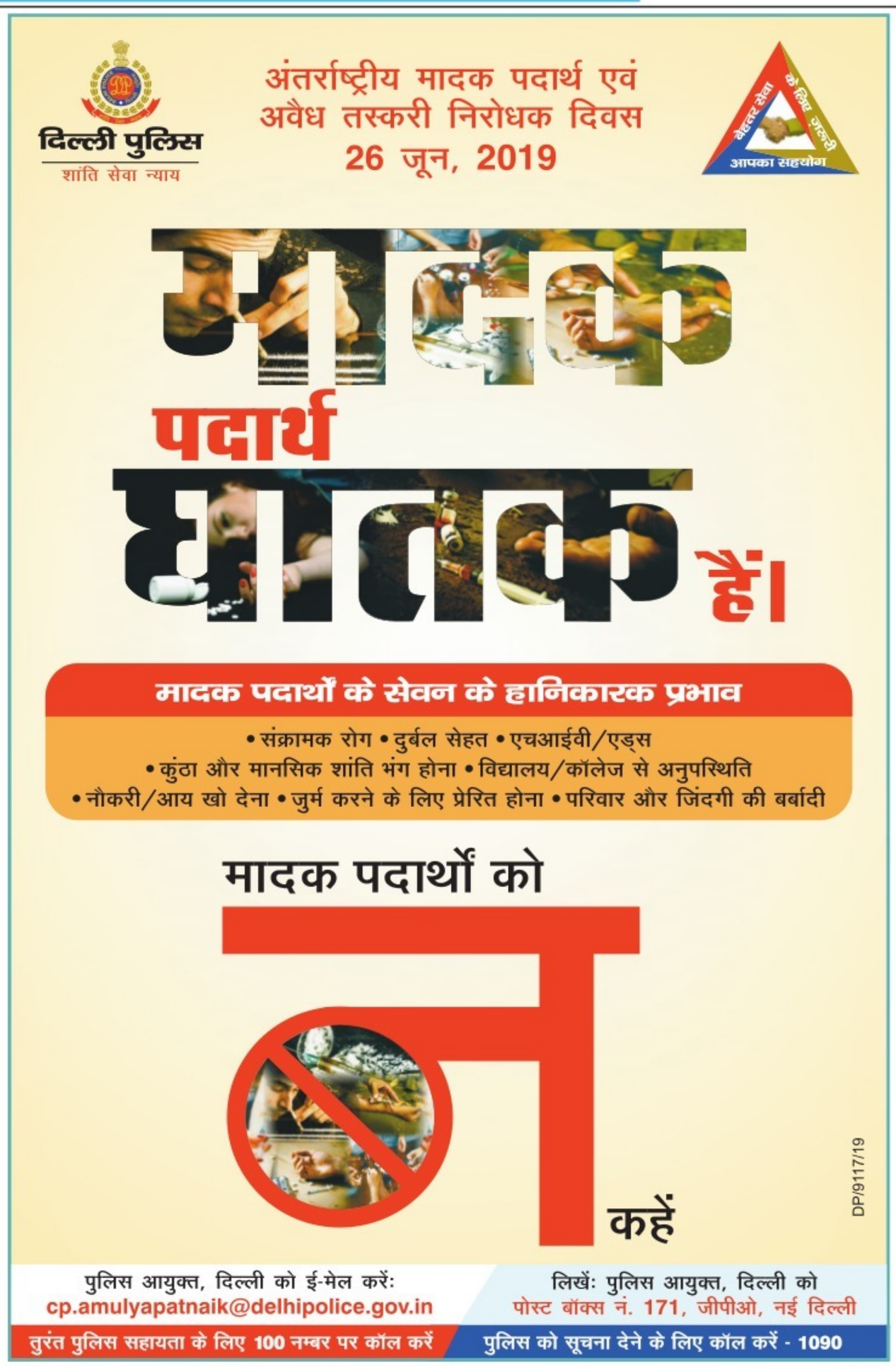

जनसत्ता

26 जून, 2019

संरक्षणवाद के विरुद्ध

दो दिन बाद जापान के शहर ओसाका में जी-20 देशों की बैठक के मुद्दे और प्राथमिकताएं भले कुछ हों, लेकिन इतना तय है कि कारोबारी जंग के मसले पर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठेगी। पिछले दो साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से संरक्षणवादी नीतियों की खुल कर पैरवी की है और अमेरिकी उद्योगों को बचाने के नाम पर चीन, भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ जो कारोबारी रुख अपनाया है, वह चिंताजनक है। इसलिए इस बार बैठक से अलग इस मुद्दे पर भारत, रूस और चीन के बीच बात होगी और भविष्य की रणनीति का खाका तैयार हो सकता है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों का सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ रहा है। यों चीन भी ऐसी ही नीतियों को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। इसलिए असली कारोबारी जंग अमेरिका और चीन के बीच ही है। भारत और अमेरिका के बीच भी कई वस्तुओं पर शुल्क लगाने को लेकर तनातनी हुई है। ज्यादातर देश अब महसूस कर रहे हैं कि वक्त रहते अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों का विरोध नहीं किया गया तो वैश्विक कारोबार पर अमेरिकी दादागीरी हावी हो जाएगी और दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है।

चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत पिछले साल तब हुई थी जब अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर भारी आयात शुल्क लगा दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगा कर संदेश दिया कि वह कारोबारी जंग में पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब तर्क दिया था कि चीनी आयात के कारण अमेरिकी कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और अमेरिका को पौने चार सौ अरब डॉलर सालाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए इसकी भरपाई चीन से ही की जानी चाहिए। अमेरिका ने पड़ोसी देश कनाडा और यूरोपीय संघ के सहयोगी देशों को भी नहीं बख्शा। इन देशों पर भी व्यापार युद्ध की इस रणनीति के तहत आयात शुल्क थोपे गए। हालांकि बदले में उसे भी ऐसी ही कार्रवाई का सामना कर पड़ा। अब जी-20 के सदस्य देशों के सामने यह बड़ा सवाल है कि वे इस बैठक में अमेरिका की संरक्षणवादी नीति के खिलाफ कितनी ताकत से आवाज उठा पाते हैं। फिलहाल भारत, रूस और चीन ने अमेरिकाकी कारोबारी नीतियों के विरोध का फैसला कर लिया है।

दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच भी कारोबारी विवाद तब पैदा हुआ जब भारत ने हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क पचास फीसद बढ़ाने की बात कही थी। इससे अमेरिका भड़क गया और उसके बाद ही भारत से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर भारी उत्पाद शुल्क लगा दिया। फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अमेरिका से खरीदे जाने वाले उनतीस उत्पादों पर शुल्क लगा दिया। सवाल है कि अगर अमेरिका अगर अपने हितों को सर्वोपरि रखता है तो दूसरे देश कैसे अपने हितों से समझौता कर सकते हैं। अगर सारे ताकतवर देश इसी रास्ते पर चलने लगें तो इससे तो वैश्विक व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा और मंदी जैसे बड़े खतरे मंडराते रहेंगे। ट्रंप की निगाहें इस समय अगले राष्ट्रपति चुनाव पर हैं और फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए वे तमाम ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे अमेरिकी जनता के भीतर उनकी एक मजबूत राष्ट्रपति की छवि बने। ईरान के साथ युद्ध, चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार युद्ध ऐसे ही कदम हैं। अब जी-20 की बैठक में अगर ट्रंप पर कोई दबाव बनता है तो यह संतुलन की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

सुरक्षा का सफर

सड़कों पर यातायात से संबंधित जितने भी नियम-कानून बनाए गए हैं, उसका मकसद मुसाफिरों या वाहन चालकों की सुरक्षा और सुविधा ही सुनिश्चित करना है। लेकिन यह विचित्र विडंबना है कि बेहद मामूली सुविधा से लेकर महज शान बघारने के लिए कुछ लोग उन नियम-कायदों को धता बताने से नहीं हिचकते। जबकि इससे पैदा जोखिम का शिकार वे भी होते हैं। हालांकि इन नियमों का पालन करने के लिए संबंधित महकमे कई बार सख्ती बरतते हैं और इनका उल्लंघन करने वालों को कानूनी तौर पर कैद या आर्थिक रूप से दंडित भी किया जाता है, लेकिन आज भी सड़क पर नियमों के उल्लंघन को रोक पाना मुश्किल काम है। हैरानी है कि लापरवाही बरतने वाले पकड़ में आते हैं तो कई बार बिना किसी संकोच के निर्धारित आर्थिक दंड चुका देते हैं, मगर नियम तोड़ने पर कोई अफसोस जताना जरूरी नहीं समझते। इसलिए अक्सर ऐसे सुझाव सामने आते रहे हैं कि सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन पर तय जुर्माने की रकम को इतना कर दिया जाना चाहिए, ताकि आरोपी के लिए उसे चुकाना भारी पड़े और वह भविष्य में ऐसी गलती करने से बचे।

शायद यही वजह है कि सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के जिस मसौदे को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। मसलन, बिना लाइसेंस, शराब के नशे में, निर्धारित सीमा से तेज और तय मानकों से ज्यादा लोगों को बिठा कर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जुर्माने की रकम पहले भी कम नहीं थी, फिर भी नियमों को तोड़ने और आर्थिक दंड चुका कर वही गलती दोहराने की प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं आ रहा था। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किसी मरीज को आपात स्थिति में ले जाने वाली एंबुलेंस तक के लिए लोग रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं होते। जबकि एंबुलेंस के रास्ते में बहुत कम वक्त के लिए भी बाधा बनना उसमे मौजूद मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया के कई देशों में मरीज को ले जाती एंबुलेंस का संकेत भर मिलने पर सड़क पर मौजूद लगभग सभी गाड़ियां रास्ता पूरा खाली कर देती हैं, ताकि एंबुलेंस आसानी से आगे निकल जाए।

इसके अलावा, नाबालिगों और किशोरों के वाहन चलाने और नियम तोड़ने की स्थिति में अब वाहन के मालिक या फिर अभिभावक को दोषी माना जाएगा और तीन साल की सजा के साथ-साथ पच्चीस हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। यातायात नियमों का खयाल नहीं रखना बुनियादी रूप से लापरवाही और दिखावे के रोग से जुड़ी समस्या है, जिसका न केवल आर्थिक तौर पर, बल्कि कई बार अपने जीवन को भी भारी नुकसान वाहन चलाने वालों को ही भुगतना पड़ता है। कई बार लगता है कि इस मसले पर व्यापक जन-जागरूकता और ऐसे संदेश प्रसारित करने की जरूरत है कि सड़कों पर नियमों का पालन करना सभ्य और बेहतर इंसान होने का परिचायक है, जबकि उसे तोड़ना असभ्यता के साथ-साथ आपराधिक आचरण भी है। चूंकि समाज के ज्यादातर लोग आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, इसलिए शायद ही कोई व्यक्ति अपने लिए असभ्य और आपराधिक पहचान को पसंद कर पाएगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, चौराहे की लालबत्ती पर रुकने जैसे तमाम साधारण यातायात नियमों का पालन नहीं करने की वजह से देश भर में रोजाना न जाने कितने हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। इसलिए नई कानूनी व्यवस्था के जरिए अगर इस पर रोक लगाई जा सकी तो यह सबके हित में होगा।

कल्पमेधा

भूतकाल के अनुभव से समझदार व्यक्ति भविष्य का अनुमान कर लेते हैं।

– सोफ़ोक्लीज़

सरकार में पेशेवरों की भूमिका

जयंतीलाल भंडारी

हालांकि सरकारी तंत्र में निजी क्षेत्र के पेशेवरों और विशेषज्ञों की नियुक्तियां लाभप्रद दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। इनमें से प्रमुख चुनौती नियुक्त विशेषज्ञों की गुणवत्ता संबंधी है। दूसरी चुनौती यह है कि विशेषज्ञों और आम नौकरशाहों के बीच तनाव अनिवार्य है। बाहरी पेशेवरों के लिए प्रशासनिक सेवा के नौकरशाहों के साथ मिल कर काम करना आसान नहीं है।

सरकार नौकरशाही के स्वरूप में बदलाव की डगर पर बढ़ रही है। हाल में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले निजी क्षेत्र के अधिकारियों को उपसचिव और निदेशक स्तर के पदों पर भर्ती करने के औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सरकारी निर्णय प्रक्रिया में ये पद काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। शुरू में ऐसे कुल चालीस अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। ये नियुक्तियां नीति आयोग करेगा। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह जरूरी है कि विशेषज्ञों को सीधे उच्च पदों पर निश्चित अवधि के अनुबंध पर व्यवस्था में शामिल किया जाए।

इसी प्रकार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी कहा है कि सरकार कंपनियों में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। इससे कंपनी कानून, नीतिशास्त्र और पूंजी बाजार की जानकारी रखने वाले ही कंपनी में स्वतंत्र निदेशक बन पाएंगे। आइएलएंडएफएस जैसे घोटालों पर गौर करते हुए सरकार कंपनियों में सुशासन को लागू करने और गड़बड़ियां रोकने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। सरकार का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में निजी क्षेत्र के पेशेवरों का प्रयोग पर्याप्त रूप में सफल दिखाई दिया है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सरकारी क्षेत्र में लेने के अभियान का उद्देश्य विभिन्न असाधारण योग्यता वाले अनुभवी पेशेवरों को उनकी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से प्रशासन व देश के विकास में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित करना है। इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के द्वारा चयनित नौ विभिन्न असाधारण योग्यता वाले अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति दी गई है। सरकारी तंत्र में शुरू हुए निजी क्षेत्र के पेशेवरों के उपयोग के इस अभियान के तहत अपनी सेवाएं देने के लिए देश और विदेश में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों ने आवेदन किए थे। इनमें सॉफ्टवेयर डवलपर, डाटा साइंटिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर, एडवर्टाइजिंग पेशेवर, अकादमिक विशेषज्ञ, सोशल मीडिया विशेषज्ञ और ऐप डवलपर थे। आवेदकों में अमेरिका के कोलंबिया, कॉर्नेल और येल जैसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, एप्पल, गूगल, फेसबुक सहित अन्य प्रमुख वैश्विक कंपनियों में काम करने वाले पेशेवर और वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

देश में पहली बार निजी क्षेत्र से पेशेवर योग्यताओं के चलते नियुक्ति पाने वाले संयुक्त सचिवों को नागर विमानन, कृषि, वित्त, नौवहन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। अभी इन पदों पर आइएएस अधिकारी करीब पच्चीस साल की सेवा के बाद पहुंच पाते हैं। संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल तीन साल का होगा और अच्छा प्रदर्शन होने पर इसे पांच साल तक किया जा सकेगा। इन पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र चालीस साल रखी गई थी। वेतन और अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के समान हैं।

देश में नौकरशाही में इस तरह कती नियुक्तियों का पहला प्रस्ताव 2005 में आया था। प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की गई थी। तब इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद सन 2010 में प्रशासनिक सुधार अयोग की दूसरी रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने इस पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की। जुलाई, 2017 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी किया था। तब कहा गया था कि नौकरशाही में बाद में शामिल होने वाली इस तरह की पेशेवर प्रतिभाओं के माध्यम से मध्यम स्तर के अधिकारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसमें कहा गया था कि इनके चयन के लिए सिर्फ साक्षात्कार होगा और कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में पंद्रह साल काम का अनुभव रखने वाले इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं।

यह महत्त्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सरकारी क्षेत्र में लेने के इस नए अभियान का उद्देश्य विभिन्न असाधारण योग्यता वाले अनुभवी पेशेवरों को उनकी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से प्रशासन व देश के विकास में योगदान देने का मौका सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को विशिष्ट वेतन भत्तों के साथ नौकरशाही में सीधे शामिल करने को विभिन्न सरकारों के उन प्रयासों की निरंतरता के साथ देखा जा सकता है जिसके तहत सरकारें शासन में बाहर से विशेषज्ञता लाना चाहती थीं। अब निश्चित रूप से अनुभवी कुशल पेशेवर प्रशासन का सक्रिय भाग बन कर देश के विकास को गति दे सकते हैं। पहले भी विभिन्न प्रधानमंत्रियों के द्वारा कुछ-कुछ प्रतिभाओं और पेशेवरों को सरकार के कार्यों में सहयोग के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में नंदन नीलेकणि को लाया गया था और उन्हें आधार कार्ड पर काम करने के लिए अधिकार दिए गए। इंदिरा गांधी भी नियमित रूप से कारोबारी जगत की प्रतिभाओं को बेहतर उपयोग में लाती रही थीं। दूरसंचार में क्रांति के लिए राजीव गांधी सैम पित्रोदा को लाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरवी शाही को बिजली सचिव की महत्त्वपूर्ण भूमिका दी थी, जिसके बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वीपी सिंह ने अरुण सिंह को देश के रक्षा संगठन का आधुनिकीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पीवी नरसिम्हा राव भी हरसंभव बेहतरीन प्रतिभाएं जुटाने में सफल हुए। वे मनमोहन सिंह को लाए और उन्हें सीधे वित्त मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह के वित्त सचिव मोंटेकसिंह आहलूवालिया ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में अब सरकारी सेवा में देरी से प्रवेश से देश और विदेश की कुशल प्रतिभाओं और पेशेवरों का प्रशासन व सरकारी कार्य में सहयोग लेने का जो अभियान चलाया गया है, वह अवश्य लाभप्रद होगा।

हालांकि सरकारी तंत्र में निजी क्षेत्र के पेशेवरों और विशेषज्ञों की नियुक्तियां लाभप्रद दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। इनमें से प्रमुख चुनौती नियुक्त विशेषज्ञों की गुणवत्ता संबंधी है। दूसरी चुनौती यह है कि विशेषज्ञों और आम नौकरशाहों के बीच तनाव अनिवार्य है। बाहरी पेशेवरों के लिए प्रशासनिक सेवा के नौकरशाहों के साथ मिल कर काम करना आसान नहीं है। जिन लोगों को विशेषज्ञों और पेशेवरों के रूप में चुना जा रहा है, उनके लिए फाइलों और मंत्रियों की बैठक तक पहुंच बनाना भी आसान नहीं है। ऐसे में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक कार्यपालिका इन बाहरी विशेषज्ञों को किस हद तक काम करने देती है। पिछली बार इस तरह की सरकारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसकी उपयुक्तता पाई गई है। अब सरकार द्वारा नियामकीय प्रमुखों की खोज का दायरा बढ़ाया जा रहा है। देश के निजी क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है। सरकार इनकी सहायता से अपने नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया में सुधार कर सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार देश और विदेश में गहरा कार्य अनुभव रखने वाली प्रतिभाओं का प्रशासन में पूरा लाभ उठाएगी। अनुभवी प्रतिभाओं और पेशेवरों की नियुक्ति के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, उससे प्रशासन में अच्छे पेशेवर आएंगे और देश को आर्थिक शक्ति बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उम्मीद के साथ

रजनीश जैन

दुनिया मेरे आगे

आधुनिक जीवनशैली अपने साथ कुछ विकारों को भी साथ ले आई है। मनुष्य को कॅरियर और रिश्तों को बनाए रखने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसकी सहनशीलता और धैर्य का पैमाना भौतिकता की तुलना में उस गति से नहीं बढ़ा है, जिस गति से बढ़ना चाहिए था। आमतौर पर हरेक मनुष्य की आकांक्षा होती है कि उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए, जिस रूप में वह इस समय मौजूद है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। हरेक व्यक्ति बेहतर की तलाश में है। फिर वह साथी की तलाश हो या उम्मीदवार की। जब चयन करने वाला अपने उपयुक्त व्यक्ति को नहीं पाता तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी असहमति व्यक्त कर देता है। यही वह बिंदु है जहां 'अस्वीकृत' व्यक्ति अपने अंदर कुछ दरकता हुआ महसूस करता है।

कुछ लोग इसे जीवन का नियम मानते हुए स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इस इनकार को आसानी से नहीं पचा पाते। समय आगे बढ़ जाता है, मगर वे उसी लम्हे में फंस कर रह जाते हैं। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जब आप अपनी मनोव्यथा किसी को बता कर मन का बोझ हल्का नहीं कर सकते। मन में यही विचार बार-बार कौंधता है कि आप अपनी 'पराजय' को सार्वजनिक चर्चा बनाने का मौका दे रहे हैं। आपको लगता है कि अब से आप एक पराजित व्यक्ति मान लिए जाएंगे। आखिर वे कौन-सी परिस्थितियां रहीं और ऐसा क्यों हुआ होगा कि अपना दुख साझा करने को हमने अपने पराजित होने के रूप में देखना शुरू कर दिया होगा!

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सबसे पहले जिस विचार को हवा देते हैं, वह उसी तरह के सैकड़ों विचारों को हमारे दिमाग का रास्ता दिखा देगा। पहला विचार सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है। इस उलझन को समझने के लिए खुद के साथ प्रयोग किया जा सकता है। हम अपने दिमाग में यह बात लाएं कि हम कल सुबह पांच बजे उठेंगे। इसी क्षण के साथ हमारा दिमाग हमें सकारात्मक विचारों की श्रृंखला से भर देगा। हरेक नया विचार हमें सुबह जल्द उठने के फायदे से लेकर सुबह के सदुपयोग जैसे विचारों से भर देगा। इसके विपरीत हम सोचें कि मैं आज तक तो जल्दी नहीं उठा, अब जल्दी उठ कर क्या होगा? ऐसा सोचने के बाद हम पाएंगे कि हमारा दिमाग कितनी दृढ़ता से हमारे विचार के समर्थन में ठोस तर्कों की बौछार कर देगा। हम यह मानने को तैयार हो जाएंगे कि हमारा दिमाग सही राय दे रहा है। जबकि विचार-श्रृंखला की शुरुआत हमने ही की थी। हालांकि इस बात का हमें शायद अहसास भी नहीं होगा!

किसी व्यक्ति से अस्वीकृति या 'रिजेक्शन' के कुछ क्षणों या दिनों को ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। समय के इस दौर में उठाया गया कोई भी गलत कदम हमें गहरी निराशा के दलदल में धकेल सकता है। इसके संकेतों को समझने के लिए 'अस्वीकृत' व्यक्ति पर गहरी नजर रखना जरूरी है। सबसे पहली बात जो उसके स्वभाव में नजर आएगी वह यह कि सबसे पहले उसकी उन कामों में दिलचस्पी खत्म होने लगेगी, जिनमें वह पारंगत था। उसका व्यवहार लापरवाह हो जाएगा और रहन-सहन में चुस्ती-फुर्ती गायब हो जाएगी। इस मोड़ पर ही उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी।

ऐसे समय में उसकी मदद उसके सबसे निकटस्थ साथी से आ सकती है। अक्सर परीक्षा परिणामों के बाद कुछ विद्यार्थी अपने को नहीं संभाल पाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपने आप से इतनी अपेक्षा कर लेता है कि जो तर्कसंगत नहीं होती। जीवन के सामने सारी भौतिक और मानसिक आकांक्षाएं गौण हैं। अथक प्रयासों के बाद भी कुछ हासिल न हो तो अपने को दोष न दें। व्यावहारिकता यह सिखाती है कि शिखर पर सब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां इतनी जगह ही नहीं है। निचले पायदान का व्यक्ति भी अपने काम को बेहतर करते हुए या तो शिखर पर पहुंच कर सकता है या फिर अपने पायदान को भी गौरवान्वित कर सकता है। यहां बरसों पहले दूरदर्शन पर प्रसारित विख्यात खलनायिका ललिता पंवार का साक्षात्कार याद आता है, जिसमें वे बता रही थीं कि आपको किसी भी काम के लिए रखा गया है तो आपका प्रदर्शन इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसकी भी मिसाल दें कि यह काम फलां से बेहतर कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। विदित हो कि ललिता पंवार द्वारा निभाए गए क्रूर सास के पात्र आज भी लोगों के जेहन में मौजूद हैं।

विख्यात गायक रिकी मार्टिन ने क्या खूब कहा है- 'अगर कोई आपको खारिज कर दे, तो निराश न हों। लोग अक्सर मूल्यवान चीजों को नकार देते हैं, क्योंकि वे उनका भार नहीं उठा सकते।' यह बात सकारात्मक विचारों को अपनाने में मदद कर सकती है।

संस्कृत की उपेक्षा

हाल में नई शिक्षा नीति के मसौदे में तीन भाषा फॉर्मूले के अंतर्गत हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने पर दक्षिणी राज्यों समेत अन्य जगह पर जिस प्रकार विरोध हुआ और सरकार को हिंदी अनिवार्य न करने का आश्वासन देना पड़ा, ठीक उसी प्रकार सीबीएसई ने अगस्त 2014 में हफ्ते भर तक सभी स्कूलों में संस्कृत सप्ताह मनाने और संस्कृत भाषा से बच्चों को रूबरू कराने को कहा था। इस पर भी काफी विवाद हुआ था और कई राजनीतिक दलों ने तो इसे कट्टरपंथ तक कह डाला था। इससे यह पता चलता है कि हमारा वर्तमान समाज इस अनुरूप ढल चुका है कि हम सुधारात्मक प्रक्रिया में नहीं, बल्कि निजी हित और क्षणिक लाभ में विश्वास करने लगे हैं। सामुदायिक सोच का दायरा सिमट चुका है। वैश्वीकरण के आधुनिक प्रगतिशील समय में बाजारवाद हम पर हावी हो चुका है जो हमे संरक्षण के स्थान पर उपभोग को तवज्जो देता है। यही मूल वजह है कि वर्तमान में हमारी परंपरागत भाषाओं पर अन्य भाषाएं हावी होती जा रही हैं और लोग उन्हें तव्वजो भी दे रहे हैं। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा के प्रति भारतीय छात्रों के मन में हीन भावना और 'अनुपयोगी' भाषा की छवि बन चुकी है। बेहतर कैरियर और अवसर के अभाव की भावना के कारण वे इस भाषा से विमुख होते जा रहे हैं। स्कूलों में भी संस्कृत भाषा पढ़ाने पर बिल्कुल भी पहल नहीं की जा रही है। आज देश के चौदह प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालयों की हालत बदतर है। उनमें पैसे की कमी के साथ साथ आवश्यक सुविधाएं, शिक्षकों और छात्रों का अभाव है।

इन सारी कमियों के पीछे बुनियादी कारण यह है कि आजादी के सात दशक बाद भी सरकार द्वारा संस्कृत को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। संस्कृत को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए नीति नहीं बनाई गई, आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संस्कृत भाषा को जोड़ा नहीं गया, विश्वविद्यालयों में पैसे की कमी से शिक्षक नहीं हैं, प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में संस्कृत को अध्ययन की भाषा के रूप में बढ़ावा नहीं दिया और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया। हमें समझना चाहिए कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा ही नहीं, बल्कि विचार, संस्कृति और भारतीय संस्कार है जिसमे विश्व-कल्याण, शांति-सहयोग, एकता, समरसता, बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित हैं। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि संस्कृत ही पूरे भारत को भाषाई एकता में बांध सकती है।

● *शिवांशु राय, दिल्ली विश्वविद्यालय*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

भीड़ की हिंसा

किसी न किसी आरोप की आड़ में देश में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आश्चर्य है कि लोगों में कानून का जरा भी भय नहीं रह गया है, बल्कि उसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पीड़ित को धर्म विशेष के नारे लगाने पर विवश किया जाता है। सवाल है कि क्या जबरदस्ती भय के साए में विशेष धार्मिक नारे लगवाने से पीड़ित का अपना धर्म बदल जाता है या फिर वह उस धर्म का अनुयायी हो जाता है। निसंदेह धर्म आस्था से जुड़ा होता है और उसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। अगर प्रताड़ित कर ऐसा किया जाता है तो कदापि उचित नहीं है। सभ्य समाज इसे कभी स्वीकार नहीं सकता। संकीर्ण मानसिकता के लोग अपने व्यवहार से जिस दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, स्वयं उनका धर्म ऐसे कृत्यों को घृणित समझता है। भारत एक ऐसा पंथनिरपेक्ष देश है जो हिंदू, जैन, बौद्ध जैसे धर्मों का उद्गम स्थल रहा है और यहां की संस्कृति सभी धर्मों को सम्मान भी देती है। परंतु कुछ संकीर्ण सोच के लोग इसकी छवि को धूमिल करने में लगे हैं जो चिंताजनक और शर्मनाक है। देश व प्रदेश की सरकारों को ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाने चाहिए। समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा जो सामाजिक तानेबाने को कमजोर करने पर तुले हैं।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

अवसरवाद का रोग

हरियाणा में दलबदल की राजनीति तेज हो गई है। बेहतर छवि वाले भाजपा विरोधियों को शामिल करने की मुहिम चलाई जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि दलबदल होना या नहीं होना चाहिए? प्रश्न यह है कि आखिर दलबदल कितना लोकतंत्रिक है? ज्यादातर यह देखने में आया है कि सत्ता सुख पाने के इरादे से ही अवसरवादी दलबदल करते रहे हैं, फिर चाहे स्थानीय संस्थाएं हों या विधानसभाएं अथवा लोकसभा और राज्यसभा। बड़ी पार्टियां सत्ता के लिए बहुमत लाने अथवा बहुमत को मजबूत बनाने के लिए दलबदल का खेल खेलती रहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो दलबदल को लोकतांत्रिक तो नहीं कह सकते। हां, इसे अवसरवादी अवश्य कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्वार्थ साफ-साफ जुड़े नजर आते हैं। अनेक बार दलबदल कानून लाने के लिए आवाजें उठी हैं, किंतु स्वार्थ की राजनीति के चलते और अवसरवादी भावना के मद्देनजर यह आवाज ठंडे बस्ते में ही चली गई। देखा जाए तो दलबदल लोकतंत्र के लिए ठीक नही है और न ही लाभकारी। अवसरवादियों के लिए भले ही ये फायदेमंद हो। इस पर खुली बहस होना चाहिए और अवसरवादिता के खिलाफ व लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह बंद होना चाहिए. क्योंकि मतदाता जिन्हें, जिस पार्टी के लिए और जिस उद्देश्य हेतु चुनते हैं, यह उनके मतों और विचारों के प्रति कुठाराघात ही माना जाना चाहिए।

● *महेश नेनावा, इंदौर*

प्रदूषित नदियां

आज भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। नदी जल प्रदूषण भी ऐसी ही गंभीर समस्या है। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला जल और रसायन नदियों को ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। इस दूषित जल की वजह से नदियों के कई जीव-जंतु, पशु-पक्षी और सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आज इस दूषित जल को पीने की वजह से कई जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, जैसे- टाइफाइड, पीलिया, पेट से संबंधित अन्य बीमारियां आदि। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पानी को साफ करने के नाम हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। गंदे पानी से हर साल देश में सात लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। विडंबना यह है कि विकसित देशों में प्रदूषित जल व गंदगी से मरने वालों की तादाद एक फीसदी से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की मानें तो पीने के साफ पानी और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने पर समूची दुनिया में तकरीब सात अरब 34 करोड़ डालर बचाए जा सकते हैं। साथ ही दस अरब डालर की सालाना उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

● *अमित कुमार, दिल्ली विवि*

धीमी गति से चल रहा है स्मार्ट सिटी का कार्य

पहले चरण में चयनित 20 शहरों में से 18 को अब तक 196-196 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बाकी दो विशाखापत्तनम और सूरत को 291-291 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें खर्च करने वालों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओड़ीशा और तमिलनाडू आगे हैं। बाकि असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में काफी कम रकम खर्च की गई है। कुछ शहरों के निगमों ने बताया कि फरवरी के बाद चुनावी आचार संहिता जारी होने के बाद काम ठप हो गया था, जिसकी वजह से कई काम अटके पड़े हैं।

मुकदमों के ढेर में न्याय का इंतजार

राजीव जैन
जयपुर।

देश भर की अदालतों में ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित होने के कारण फरियादी को न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि उसकी चप्पलें ही घिस जाती हैं। ऐसे ही हालात राजस्थान में भी है। प्रदेश की अदालतों में 14 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित चल रहे हैं। इनमें से दस फीसद मुकदमे तो वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं की तरफ से दायर किए गए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने हाल ही में पुराने मुकदमों को तय समय सीमा में निपटाने का निर्देश सभी जिला न्यायाधीशों को दिया है। इसमें 30 साल से ज्यादा पुराने मुकदमों को तीन महीने में, 20 से 30 साल पुराने मुकदमों को चार महीने में और 10 से 20 साल पुराने मुकदमों के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

मुकदमे लंबे चलने के पीछे सबसे बड़ा कारण अदालतों और संसाधनों की कमी को माना जाता है। इसकी पीड़ा पक्षकारों को उठानी पड़ रही है। इस पीड़ा को कम करने के लिए ही लोक अदालतों का सहारा लिया जा रहा है पर इसके बावजूद लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि न्याय व्यवस्था में अपराधी को भी सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। इसके कारण भी सुनवाई प्रक्रिया लंबी खिंचती है और मुकदमों के निपटारे में बहुत समय लग जाता है।

10 साल पुराने एक लाख मुकदमे

इस वर्ष मार्च तक राजस्थान में 14 लाख से ज्यादा मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है। इनमें से करीब एक लाख मुकदमे तो दस साल से ज्यादा लंबे अरसे से सुनवाई में ही चल रहे है। हाईकोर्ट का जोर है कि पुराने मुकदमों की संख्या कम से कम रहे, इसके लिए नियमित तौर पर पुराने मुकदमों की समीक्षा की जाए। अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मुकदमे अब तय समय सीमा में निपटाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

फाइल फोटो

राजस्थान

कितने मुकदमे

1569243 मुकदमे हैं राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में अभी।

57092 है 10 से 20 साल पुराने मुकदमों की संख्या।

4205 है 20 से 30 साल पुराने मुकदमों की संख्या।

खाली पद और दबाव

पिछले साल संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि देश की अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 5746 पद रिक्त हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 31 पदों में से सात और उच्च न्यायालयों में 1048 पदों में 406 पद रिक्त हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के 1348 पद, बिहार में 835 और मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या 728 है।

कुछ वर्षों में स्पेशल कोर्ट जरूर खोले गए है। लेकिन मुकदमों की प्राथमिकता तय नहीं होने से इन अदालतों में भी मुकदमों की संख्या बढ़ी है। इसी वजह से इन अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक समान तरीके से सुनवाई में लगाया जाता है। स्पेशल कोर्ट में सिर्फ जल्द ट्रायल वाले मामले आने चाहिए पर न्यायाधीशों की कमी के कारण दूसरी अदालतों के मामले भी इनमें ट्रांसफर कर दिए जाते है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों का निपटारा छह महीने में करने को कहा है। ऐसे मामलों में भी कई वर्ष तक सुनवाई चलती रहने से फैसला देरी से हो पाता है। इसमें पुलिस की जांच में उदासीनता और गवाहों से होने वाली जिरह के चलते भी मुकदमों के निपटारे में देरी होती है।

- अधिवक्ता आरएन गुप्ता

मुकदमों के समय पर निपटारे के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। इन्हें अमल में लाए जाने पर ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी हो सकती है। जल्द न्याय के लिए सरकार को समुचित संख्या में अदालतों की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही न्यायाधीशों की कमी को दूर करते हुए मुकदमों की प्राथमिकता तय करते हुए उनकी सुनवाई करनी चाहिए। किसी मामले की एक बार सुनवाई होने के बाद उस केस को दूसरी अदालत में नहीं सौंपा जाए। इस तरह के कदम उठाने से ही जल्द न्याय मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

-पीके पांडे, हाईकोर्ट के वकील

डॉक्टरों की हड़ताल से खुली स्वास्थ्य ढांचे की कलई

प्रभाकर मणि तिवारी
कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद अब राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं धीरे-धीरे भले ही सामान्य हो रही हैं। लेकिन इस हड़ताल ने बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे की कलई खोल दी है। हजारों मरीजों को हुई परेशानियों और 24 से ज्यादा मरीजों की मौत के बाद यह सवाल उठने लगा है कि डॉक्टरों की यह हड़ताल कितनी जायज थी और क्या दूसरे पेशों की तरह डॉक्टरों को हड़ताल करने का अधिकार है?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सुरक्षा का भरोसा देने और दूसरी मांगो पर विचार करने के बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म जरूर हो गई लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है कि क्या यह समस्या का स्थायी समाधान है और आगे से ऐसी घटना की स्थिति में क्या डॉक्टर दोबारा हड़ताल पर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राज्य भर से जुटे जूनियर डॉक्टरों ने आधारभूत ढांचे की कमियों पर जो सवाल उठाए उससे बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आ गई है।

बंगाल में हड़ताल की शुरुआत एक सप्ताह पहले तब हुई जब कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ कथित रूप से मारपीट की। उसमें दो लोग घायल हो गए। उस घटना के विरोध में पहले एनआरएस के जूनियर डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया। अगले दिन से बंगाल के तमाम सरकारी अस्पतालों में काम बंद हो गया। कोलकाता में मारपीट की ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और उनके खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन भी। लेकिन पहली बार राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ ज्यादातर निजी अस्पतालों और निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने भी एनआरएस की घटना के विरोध में काम बंद कर दिया। नतीजतन राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं। धीरे-धीरे यह आग देश के दूसरे हिस्सों में फैल गई और तमाम डॉक्टर के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस हड़ताल के समर्थन में आ गया।

ममता की टिप्पणियों ने भी आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने आंदोलन में बाहरी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों को दो घंटे के भीतर काम पर लौटने या सरकारी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दे दी। इससे डॉक्टरों की नाराजगी बढ़ गई और वे ममता बनर्जी से ही माफी की मांग करने लगे। केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को परामर्श भेजा। इसके बाद ममता ने भाजपा पर आंदोलन को उकसाने का आरोप लगा कर मामले को सियासी रंग दे दिया।

यह हड़ताल अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। मसलन आगे फिर ऐसी मारपीट हुई तो क्या होगा। बैठक में ममता ने भी माना कि तमाम सावधानियों के बावजूद ऐसी एकाध घटनाएं होती ही रहेंगी। क्या वैसे में डॉक्टर दोबारा हड़ताल पर चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल उनके हड़ताल के अधिकार को लेकर उठ रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही कई फैसले दे चुका है। शीर्ष अदालत एक मामले में कह चुका है कि चिकित्सा अधिकारी और सरकारी अस्पताल मानव जीवन को बचाने के कर्तव्य से बंधे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने छह मई 1996 को पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में अपने फैसले में कहा था कि अगर सरकारी अस्पताल किसी जरूरतमंद व्यक्ति का समय से इलाज मुहैया कराने में विफल रहता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा की गारंटी का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में तमाम अदालतें डॉक्टरों को उनके हिपोक्रैटिक शपथ की भी याद दिला चुकी हैं। बंगाल के मामले में भी एक जनहित याचिका के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को मरीजों की जान बचाने की उक्त शपथ की याद दिलाई थी। वकील सुनील सरकार कहते हैं कि कोई भी पीड़ित मरीज डॉक्टरों की हड़ताल की स्थिति में उनके खिलाफ मामला दायर करा सकता है।

लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों की दलील है कि डॉक्टर भी आखिर हाड़-मांस के सामान्य इंसान ही हैं। उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। एक वरिष्ठ डॉक्टर सुकुमार सेन कहते हैं कि डॉक्टरों के कामकाज के लिए भयमुक्त माहौल बनाना जरूरी है ताकि वे लोग निडर होकर अपने पेशे पर ध्यान दे सकें। वे कहते हैं कि कई बार आधारभूत सुविधाओं की कमी का खामियाजा भी खासकर जूनियर डॉक्टरों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं जायज थीं।

फाइल फोटो

बंगाल

बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र पहले से ही बदहाल है। हालांकि बैठक में ममता ने दावा किया कि वर्ष 2011 में इस क्षेत्र का बजट महज छह सौ करोड़ था जो अब बढ़ कर 9600 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने माना कि सरकार के पास आधारभूत सुविधाओं की बेहतरी के लिए संसाधनों का अभाव है। ममता का कहना था कि सरकार को ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के लिए डॉक्टर और नर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों पर भारी दबाव रहता है। रोजाना दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग बेहतर इलाज की आस में इन अस्पतालों में पहुंचते हैं।

गाजियाबाद से मुगलसराय तक

रेलयात्रियों की सुरक्षा के लिए सीमेंट की चहारदीवारी

दिनेश शाक्य
इटावा।

यूपी

देश के सबसे अहम दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर आए दिन होने वाली मवेशी दुर्घटनाओं पर अकुंश लगाने के लिए गाजियाबाद से मुगलसराय तक सीमेंट की मजबूत चहारदीवारी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। मुगलसराय से गाजियाबाद तक रेलवे ट्रैक पर स्लीपर बारबेड वायर से जहां बाड़बंदी की जाएगी, वहीं आबादी वाले क्षेत्रों में आरसीसी दीवार का निर्माण भी कराया जाएगा । इटावा सेक्शन में फर्रुखाबाद क्रासिंग के पास आबादी वाले क्षेत्र में आरसीसी दीवार बनाने का काम शुरू हो गया है। पांच फुट ऊंची दीवार बनाई जा रही है।

इलाहाबाद डिवीजन के पांच खंडों में दीवार बनाने का कार्य शुरू किया गया है। सबसे पहले 40 किलोमीटर की दीवार पांचों खंडों में बनाई जाएगी। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी कार्य होगा। इसके लिए ढाई सौ करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।

पांच चरणों मे होगा कार्य

पांच चरणों में सबसे पहले मुगलसराय से इलाहाबाद का काम हाथ में लिया जाएगा। दूसरे चरण में इलाहाबाद से कानपुर, तीसरे चरण में कानपुर से टूंडला, चौथे चरण में टूंडला से अलीगढ़ तथा पांचवें चरण में अलीगढ़ से गाजियाबाद तक कार्य कराया जाएगा।

सीपीआरओ का तर्क

सीपीआरओ सुनील गुप्ता का कहना है कि सबसे पहले 40-40 किलोमीटर की दीवार पांच खंडों में बनाई जाएगी। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी कार्य होगा। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के मुताबिक इटावा सेक्शन में अम्बियापुर से सरायभूपत तक 22 किलोमीटर की आरसीसी दीवार बनाई जाएगी। वहीं अन्य 22 किलोमीटर क्षेत्र में स्लीपर बारबेड वायर फेनशिंग भी की जाएगी। यहां के बाद जसवंतनगर से मक्खनपुर के क्षेत्र में इसी प्रकार का काम होगा।

वंदेभारत हाईस्पीड लेकर है चिंता

रेलवे के उच्चाधिकारियों के लिए देश की पहली सेमीहाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद पशु कई बार इस ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अराजक तत्वों के द्वारा इस पर कई बार पथराव भी किया जा चुका है। इटावा में इस ट्रेन की सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है।

स्मार्ट शहरों को नहीं मिली ढेले भर रकम

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली।

स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाले लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि क्या दो करोड़ के बजट में भी किसी सिटी को स्मार्ट बनाया जा सकता है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मिली जानकारी तो यही बता रही है। पांच चरणों (जिसमें एक फास्ट ट्रैक राउंड) में स्मार्ट सिटी की घोषणा होने के बाद भी कई शहरों को अभी पूरा बजट नहीं मिल सका है, वहीं कुछ शहरों को अभी दो करोड़ से 50 करोड़ रुपए की राशि ही जारी किए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना को 2019-20 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

नवंबर 2018 और फरवरी 2019 में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। इसमें अभी तक चुने गए शहरों के बजट और उनमें हुए कार्यों की जानकारी मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू और श्रीनगर को चौथे चरण के तहत 2017 में स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था लेकिन पहले तो इसे मात्र दो करोड़ रुपए ही जारी किए गए, उसके बाद 2017-18 और 2018-19 में 52 और 54 करोड़ रुपए ही जारी हुए। पांचवे चरण के तहत 2018 में चुने गए लक्ष्यद्वीप के कवरत्ती शहर को सूचना के मुताबिक एक भी रुपए जारी नहीं हो सका है। महाराष्ट्र अमरावती को दौड़ में शामिल होने के समय में ही 2015-16 में दो करोड़ रुपए जारी किए गए थे लेकिन 2017 में चयन होने के बाद एक भी रुपए जारी नहीं किया गया है। मेघालय के शिलांग को चौथे चरण में 2018 में चुना गया लेकिन इससे पहले 2015-16 में दो करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अभी तक इस शहर को बाकी की रकम जारी नहीं की गई है।

प्रस्ताव तैयार करने में खर्च

जानकारी मांगी गई थी कि स्मार्ट सिटी में चयन से पहले ही कई शहरों को दो-दो करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी वह किस मद में थी। इसके जवाब में मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार चरण एक में छंटनी किए गए सभी संभावित स्मार्ट शहरों को दो करोड़ रुपए प्रति शहर जारी किए गए हैं। तमिलनाडू के इरोड, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिहार का बिहार शरीफ और मेघालय का शिलांग कुछ ऐसे शहर हैं जिनका चयन तो 2018 में अंतिम चरण में किया गया था लेकिन दो-दो करोड़ रुपए की धनराशि 2015-16 में ही जारी कर दी गई थी। हालांकि इन रुपए के मद के बारे में जानकारी नहीं दी गई लेकिन निगमों के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी में चयन के लिए प्रोजेक्ट बनाने में खर्च किया गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, रामपुर, मेरठ, रायबरेली, ग्रेटर मुंबई और तमिलनाडू का डिंडीगुल आदि कई शहर चयनित नहीं हो सके लेकिन फिर भी यहां 2015-16 और 17-18 के बीच दो-दो करोड़ रुपए जारी किए गए थे। हालांकि कई शहर इसमें भी आधी रकम खर्च कर सके हैं। शहरों का प्रस्तावित प्रोजेक्ट बनाने के लिए मंत्रालय की ओर से शार्ट लिस्टेड किए गए परामर्शी फर्मों पर भी जानकारी मांगी गई थी जिसके बारे में बताया गया कि इनका चुनाव शहरों की ओर से खुद किया गया था, हालांकि इन फर्मों का चुनाव मंत्रालय की ओर से चयनित 48 फर्मों में से करना था। पांच चरणों के दौरान 27 शहरों को मात्र 50 करोड़ के आसपास ही रकम जारी की गई है।

देश

अभी तक शहरों को जारी की गई रकम

	रकम
पहला चरण 2015-16 :	1467.2 करोड़ रु.
दूसरा चरण 2016-17 :	4492.5 करोड़ रुपए
तीसरा चरण 2017-18 :	4585.5 करोड़ रुपए
चौथा चरण 2018-19 :	2942 करोड़ रुपए

आबंटित राशि से कम खर्च

पहले चरण में चयनित 20 शहरों में से 18 को अब तक 196-196 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें असम में 196 करोड़ में 12.80 करोड़, नई दिल्ली में 196 करोड़ में 72.81 करोड़, कर्नाटक के बेलगावी में 15.41 करोड़ और दावनगेरे में 26.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केरल के कोच्चि में 5.38 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के सोलापुर में 32.30 और पुणे में 83.56, लुधियाना में 16.40, जयपुर में 65.98 और उदयपुर में 36.54 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। कुछ शहरों के निगमों ने बताया कि फरवरी के बाद चुनावी आचार संहिता जारी होने के बाद काम ठप हो गया था। हालांकि संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि स्मार्ट सिटी की 5151 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जिनमें 379 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 732 पर काम चल रहा है।

बंगाल में आइएस से जुड़े संगठन के चार आतंकी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 25 जून।

कोलकाता पुलिस ने यहां सियालदह और हावड़ा इलाकों से इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े आतंकी संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक गोपनीय सूचना के आधार पर विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के अधिकारियों ने नियो-जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन बांग्लादेशी नागरिक हैं। एक अन्य व्यक्ति राज्य के बीरभूम जिले का रहने वाला है।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो लोगों-मोहम्मद जिया-उर-रहमान (44) और मैमन-उर-रशीद (33) को सोमवार को सियालदह इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर मंगलवार को हावड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक से दो अन्य लोगों-बांग्लादेश के मोहम्मद शाहीन ईलम (23) और रबी-उल-इस्लाम (35) को गिरफ्तार किया गया। रबी-उल-इस्लाम बीरभूम का रहने वाला है। उक्त अधिकारी ने बताया कि तीनों बांग्लादेशी नागरिक अपने देश में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे अरसे से भारत में रह रहे थे। वह लोग यहां इस्लामिक स्टेट के लिए युवकों की भर्ती करने आए थे। पुलिस के मुताबिक, भारतीय नागरिक इस काम के अलावा पैसे जुटाने में उन तीनों की सहायता कर रहा था।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन में फोटो, वीडियो और जिहादी साहित्य है। प्राथमिक जांच के मुताबिक यह लोग सोशल मीडिया पर अपने एजंडे का भी प्रचार कर रहे थे। उनके कब्जे से कई डिजिटल दस्तावेज, वीडियो और आडियो फाइलें और जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया है।

ध्यान रहे कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े जेएमबी के कई आतंकी राज्य से पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोई पांच साल पहले बर्दवान जिले के खागड़ागढ़ इलाके में हुए विस्फोटों की जांच से इस बात का खुलासा हुआ था जेएमबी ने बंगाल में अपने कई ठिकाने बना लिए हैं। यह संगठन राज्य में इस्लामिक स्टेट के लिए युवकों की भर्ती करने के अलावा उनको हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण भी दे रहा था। बाद में इस मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने अपने हाथों में लिया था।

राहुल महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली के नेताओं से जल्द करेंगे चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी को नई धार देने में जुट गए हैं। बीते एक महीने से अपने इस्तीफे पर अड़े गांधी इसी महीने उन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे जहां इस साल के अंत में अथवा अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अपनी इन बैठकों में राहुल विभिन्न प्रदेशों के नेताओं से लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा करेंगे।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल 27 जून को महाराष्ट्र व हरियाणा के पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे जबकि उन्होंने 28 जून को दिल्ली के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। झारखंड के नेता भी इस माह के अंत तक राहुल से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं जबकि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं।

हरियाणा के नेताओं की बैठक को लेकर सूबे के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सूबे के विधानसभा चुनाव में अब महज तीन महीने का वक्त ही बाकी रह गया है और आलम यह है कि प्रदेश में पार्टी का संगठन तक नहीं खड़ा हो पाया है। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों तक की नियुक्ति होनी है। आला नेताओं के बीच की सियासी लड़ाई की वजह से ये नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जाहिर तौर पर 27 जून को कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रदेश के चुनिंदा वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चुनावी तैयारियों के बीच इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सूबे के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद लोकसभा चुनाव में हार को लेकर अपनी एक रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान को देंगे। दिल्ली के नेता भी 28 जून को कांग्रेस अध्यक्ष के सामने लोकसभा चुनाव में हार की वजह गिनाएंगे और विधानसभा चुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक में दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित, तीनों कार्यकारी अध्यक्ष व लोकसभा का चुनाव लड़े सातों प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इन प्रत्याशियों में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली भी शामिल होंगे। चुनावी हार के बाद चाको और शीला दीक्षित गुट में जिस प्रकार की तल्खी देखी जा रही है, उसके मद्देनजर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल के सामने भी सूबे के कांग्रेसी एक-दूसरे को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

बहरहाल, राहुल गांधी के इस बदले तेवर से कांग्रेसी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद हर हाल में गांधी परिवार के पास ही रहना चाहिए, अन्यथा पार्टी को इसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चुनाव वाले राज्यों के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक तय होने के बाद कांग्रेसी नेताओं में यह उम्मीद बंधी है कि गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। हालांकि इस बारे में अंतिम तौर पर फैसला जल्दी ही बुलाई जा रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में होने के आसार हैं। राहुल ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद 25 मई को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के नेताओं से दूरी भी कायम कर ली थी।

जम्मू कश्मीर में उर्दू दैनिक के संपादक गिरफ्तार, जमानत

पेज 1 का बाकी

के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जिस कानून के तहत कादरी को गिरफ्तार किया गया है, वह सरकार द्वारा स्थापित क़ानून के तहत लोगों या किसी भी वर्ग के लोगों में आतंक फैलाने, लोगों के बीच विभाजन करने या विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द एवं भाईचारे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के इरादे से कोई भी कार्य या बात करते हैं।

यह मामला 1990 में आतंकी संगठनों के समाचारों के प्रकाशन से संबंधित है। कश्मीर एडिटर्स गिल्ड एवं कश्मीर यूनियन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट सहित विभिन्न पत्रकार संगठन कादरी के समर्थन में आए और यहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस गिरफ्तारी का विरोध किया। कश्मीर एडिटर्स गिल्ड ने बयान जारी कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संपादक को जमानत देने के बाद पुलिस को यह बताने के लिए कहा कि उसने पिछले तीन दशकों में केस की जांच कैसे की। कादरी के परिजनों ने बताया कि उन्हें बालगार्डन इलाके में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कश्मीर यूनियन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट समेत विभिन्न पत्रकार संगठनों ने कादरी की आधी रात में की गई गिरफ्तारी की निंदा की।

पानी के मुद्दे पर 28 को मिलेंगे आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्री

हैदराबाद, 25 जून (भाषा)।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पानी के मसले पर मतभेदों को सुलझाने के लिए तीन साल में पहली बार 28 जून को आधिकारिक तौर पर मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बीच सितंबर 2016 में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। देश की तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने यह बैठक बुलाई थी। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (के चंद्रशेखर राव) और नायडू के बीच संबंध अच्छे नहीं है।

एक सूत्र ने बताया, 'पिछले तीन साल में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जल के मसले पर पहली बैठक होने जा रही है। दोनों राज्यों के बीच सद्भाव का माहौल है। विवादास्पद मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किए जाने की उम्मीद है। पानी के मुद्दे पर 28 जून को दोनों के बीच बैठक होगी और उम्मीद है कि जगन और केसीआर एक दूसरे से भी मुलाकात करेंगे।' दोनों राज्यों के सिंचाई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 24 जून को एक बैठक होने वाली थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में उस दिन जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव एल वी सुब्रमण्यम ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच जल के मुद्दे पर (28 जून को) यह बैठक होगी।

सुनवाई पूरी होने पर भारत के हवाले हो सकता है चोकसी

पेज 1 का बाकी

हासिल की थी। उसने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 13,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत किए जाने से कुछ दिन पहले पिछले साल जनवरी में भारत छोड़ दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं सीबीआइ को चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की भारत की सबसे बड़ी बैंकिग धोखाधड़ी को कथित तौर पर अंजाम देने के लिए पूछताछ की जरूरत है। नीरव इस समय लंदन की जेल में है।

प्रधानमंत्री ब्राउनी ने कहा कि अरबपति हीरा कारोबारी की नागरिकता उसके द्वारा सारे वैधानिक विकल्पों के इस्तेमाल के बाद रद्द कर दी जाएगी। 'एंटीगुआ ऑब्जर्वर' की खबर में प्रधानमंत्री ब्राउनी के हवाले से कहा गया है, 'उसकी नागरिकता के आवेदन की जांच की गई थी। उसे नागरिकता मिल गई है लेकिन उसे रद्द किया जाएगा एवं उसे वापस भारत भेजा जाएगा, पर इसका एक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हम वित्तीय अपराधों में लिप्त अपराधियों को पनाहगाह उपलब्ध करा रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमें तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। उनके खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है और हमने भारत सरकार को कहा है कि अपराधियों के भी मौलिक अधिकार होते हैं और चोकसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने एवं अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब वह अपने पक्ष में सभी वैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका होगा तो उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा।' सीआइपी के तहत कोई व्यक्ति देश में एनडीएफ निवेश कोष में 1,00,000 डॉलर के न्यूनतम निवेश के जरिए एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट हासिल कर सकता है।

नई दिल्ली में सूत्रों ने मंगलवार को बताया, 'हम चोकसी के प्रत्यर्पण के मुद्दे को लेकर एंटीगुआ और बरबुडा के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।' प्रवर्तन निदेशालय ने बंबई हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह चोकसी को भारत लाने के लिए एक एअर एंबुलेंस उपलब्ध कराने को तैयार है। वहीं एंटीगुआ में चोकसी ने उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मुकदमे से बचने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सकीय उपचार के लिए भारत छोड़ा था। उसने कहा कि वह शारीरिक रूप से यात्रा के लिए ठीक होने पर भारत लौटेगा।

राहुल को मनाने उनके निवास पर आज जुटेंगे देश भर के युवा कांग्रेसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी को पद पर बनने रहने के लिए मनाने देश भर के युवा कांग्रेसी बुधवार को उनके तुगलक रोड आवास पर जुटेंगे।

भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव ने बताया कि संगठन से जुड़े देश भर के युवक कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के निवास पर जुटेंगे और एक स्वर से यह मांग करेंगे कि वे अपने पद पर बने रहें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की अवधारणा को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी।

उन्होंने सच्चाई, न्याय व एकता के पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व देने का काम किया है।

ऐसे में आज जबकि हम लोकतंत्र व देश के आम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें।

भारतीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी जुटेंगे।

इस मौके पर भारतीय युवक कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू तथा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास बी. वी. भी मौजूद रहेंगे।

'कट मनी' लेने वालों को हो सकता है आजीवन कारावास

पेज 1 का बाकी

बीच, राज्य विधानसभा में लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बयान दिए जाने और मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि दोषी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आरोपी बनाया जाएगा जो कि लोकसेवक, बैंकर, एजंट द्वारा आपराधिक विश्वास हनन से संबंधित है। इस कानून के तहत दोषी ठहराया जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा या जुर्माने के अलावा 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया।

जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा

पेज 1 का बाकी

गुजरात की दूसरी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता अमित शाह और स्मृति ईरानी के पिछले महीने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थीं। नियमानुसार कोई मंत्री, जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है, उसका शपथ ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी न किसी सदन के लिए चुना जाना जरूरी होता है।

पोम्पिओ भारत पहुंचे, वार्ता में व्यापार मुद्दों पर सहमति का प्रयास करेंगे जयशंकर

नई दिल्ली/गांधीनगर, 25 जून (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद यह किसी भी देश से होने वाली पहली उच्चस्तरीय यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पोम्पिओ बुधवार को भारत द्वारा रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद, आतंकवाद, एच1बी वीजा, व्यापार और ईरान से तेल खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाली स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

पोम्पिओ की यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर होने वाली बैठक से पहले हो रही है। जी-20 शिखर सम्मेलन 28-29 जून को जापान के ओसाका में होने वाला है। इस बीच, मंगलवार को गांधी नगर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ चर्चा के दौरान भारत व्यापार के मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा। भारत सरकार और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बुधवार को आतंकवाद, अफगानिस्तान, हिद प्रशांत, ईरान, व्यापार मुद्दे और बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा होगी।

विदेश मंत्री ने गुजरात से राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हम सकारात्मक रुख के साथ मिलने जा रहे हैं।' जयशंकर ने कहा, 'माइक पोम्पिओ के साथ बैठक अहम होगी। देश में आम चुनाव संपन्न होने के बाद माइक पोम्पिओ पहले ऐसे अमेरिकी मंत्री हैं जो भारत आ रहे हैं । हम निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।' गुजरात भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, 'दोनों देशों के अपने हित हैं, और इस वजह से कुछ टकराव स्वाभाविक है। हम कूटनीति का इस्तेमाल कर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। हम अमेरिका से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा करेंगे।'

कांग्रेस इतनी ऊंची हुई कि जड़ों से उखड़ गई : मोदी

पेज 1 का बाकी

के महापुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। पूरे देश को जेल बना दिया गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की सत्ता नहीं चली जाए। उन्होंने कहा कि इस दिन का बार-बार स्मरण करते रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि इस पाप के रास्ते पर चलने का कोई साहस भी नहीं कर सके।

कांग्रेस पर प्रहार जारी रखते हुए उन्होंने कहा, 'आपका और भी ऊंचा होना मेरे लिए संतोष और आनंद की बात है।' गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही 52 सीटें मिली हो, लेकिन उसकी ऊंचाई कम नहीं हो सकती।

चर्चा के दौरान विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ने चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर पिछली कांग्रेस नीत सरकारों की उपलब्धियों को पूरी तरह से नकार देने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर मोदी ने कहा कि उनकी चुनौती है कि कोई भी ऐसा साक्ष्य दिखा दें कि 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिंह राव सरकार की तारीफ की हो। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, 'इस सदन में बैठे हुए इन लोगों ने तो एक बार भी मनमोहन सिंह जी का जिक्र तक नहीं किया।' उन्होंने

पंडित नेहरू को याद किया

पेज 1 का बाकी

कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय चुनाव से पहले पंडित नेहरू ने कहा था, 'दुनिया को भारत की सीख यह है कि यहां सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और कर्तव्य से ही अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक एवं भौतिकतावादी विश्व में जहां हर जगह टकराव दिखाई देता है, वहां हर कोई अधिकारों एवं सुविधा की बात करता है... शायद ही कोई अपने कर्तव्य की बात करता हो। यही टकराव की वजह है।'

राजग सरकार के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने का भी जिक्र किया ।

मोदी ने कहा, 'हमे सुनाने का हक उन्हीं को है, जिन्होंने किसी को स्वीकार किया हो। वरना इनके कार्यकाल में नरसिंह राव जी को भारत रत्न मिलता, मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन ये परिवार से बाहर किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते।' पूर्व की सरकारों के योगदान को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि शायद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने लाल किले की प्राचीर से दो बार कहा कि आजादी के बाद जितनी सरकारें रहीं, उन सभी का देश में योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' का मजाक उड़कार कुछ लोगों को भले ही रात को अच्छी नींद आ जाए लेकिन इससे देश का भला तो नहीं हो पाएगा। 'मेक इन इंडिया' का आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा सपना नया भारत बनाना है जिसके लिए 'मेक इन इंडिया' जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में इस बात का एक खाका खींचने का प्रयास किया गया है कि हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं।

गुजरात : दो सीटों पर रास उपचुनाव साथ कराने की याचिका पर विचार नहीं

पेज 1 का बाकी

के लिए रिक्त हुए स्थानों को अलग-अलग रिक्तियां माना जाता है और इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी होती है, भले ही इनका कार्यक्रम एक समान हो। धनानी ने आयोग के इस निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि आयोग का यह निर्णय असंवैधानिक, मनमाना और गैरकानूनी है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि आयोग को इन दोनों सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए।

आयोग ने 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट के 1994 और 2009 के फैसलों का हवाला दिया था जिनमें जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत एक ही राज्य में अलग-अलग उपचुनाव कराने की प्रणाली का समर्थन किया गया था। कांग्रेस का कहना था कि इन दोनों सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराने के बजाए अलग-अलग चुनाव कराने की वजह से भाजपा दोनों स्थानों पर जीत हासिल कर लेगी।

दो सौ करोड़ की शादी से निकला दो सौ टन कूड़ा, खर्च वसूली का फरमान

पेज 1 का बाकी

दलील थी कि 18 जून से 22 जून तक होने वाले इस विवाह समारोह से क्षेत्र में पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में वीवीआइपी मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए बनाए गए आठ हेलिपैडों पर भारी तादाद में हेलिकॉप्टरों की आवाजाही होगी। साथ ही कूड़े के भारी ढेर लगेंगे।

नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने गुप्ता बंधुओं को शादी समारोह से पहले पांच करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए थे। परंतु गुप्ता बंधुओं ने हाई कोर्ट से दो करोड़ रुपए जमा करने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने इस शादी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। साथ ही चमोली जिला प्रशासन को शादी के बाद कूड़ा निस्तारण के आदेश देते हुए इस शादी से पर्यावरण के नुकसान की रिपोर्ट सात जुलाई तक न्यायालय में जमा करने के आदेश भी दिए थे। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

जोशीमठ नगरपालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार का कहना है कि विवाह स्थल से टेंट से बनी कॉलोनियों को उखाड़ने का काम जारी है। कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। विवाह स्थल से कूड़ा उठाने के लिए गुप्ता बंधुओं ने नगरपालिका के खजाने में केवल 54 हजार रुपए ही जमा करवाए थे।

पर्यावरणविद् डॉ दिनेष चंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से औली में 18 जून से 23 जून तक हेलिकॉप्टरों की आवाजाही हुई और क्विंटलों कूड़ा कचरा इस क्षेत्र में फैला उससे पर्यावरण को बहुत हानि हुई है।

फासीवाद की ओर बढ़ रहा है देश : महुआ

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस की नवनिर्वाचित सदस्य महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को राजग सरकार पर देश को फासीवाद की तरफ ले जाने का आरोप लगाया और दावा किया कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और वैज्ञानिक सोच को पीछे धकेला जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए महुआ ने दावा किया कि देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। नए तरह के राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल सांसद ने कहा कि आज भीड़ द्वारा हत्या का सिलसिला चल रहा है। देश को फासीवाद की तरफ ले जाया गया है। वैज्ञानिक सोच को पीछे कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार में 2.77 एकड़ भूमि (अयोध्या) की चिंता हो रही है, जबकि पूरे देश की चिंता करने की जरूरत है। उनके संबोधन के बाद भाजपा के निशिकांत दुबे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि महुआ ने एनआरसी और अयोध्या मामले का जिक्र किया जो अदालत में लंबित हैं। ऐसे में इनको रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए।

इस पर तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि दुबे और भाजपा के राजीव प्रताप रुडी विपक्ष के लोगों की आवाज को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान दोनों ओर से नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली।

केंद्र तमिलनाडु पर हिंदी लाद रहा है : मारन

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

लोकसभा में सोमवार को द्रमुक के दयानिधि मारन ने तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए कावेरी नदी जल संबंधित मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी कि जिन राज्यों के लोगों ने वोट दिया और जिन राज्यों के लोगों ने वोट नहीं दिया..उसे सभी को साथ लेकर चलना चाहिए।

द्रमुक सदस्य की कुछ टिप्पणियों को लेकर भाजपा और द्रमुक सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के दयानिधि मारन ने कहा कि भाजपा की ताकत का कारण वह नहीं विपक्ष का कमजोर होना है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को विजय के उल्लास के बजाय इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने भाजपा एवं उनके सहयोगियों को वोट नहीं दिया। सत्तारूढ़ पार्टी को सोचना चाहिए कि वहां के लोगों ने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया।

द्रमुक नेता ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार की बात की थी और आज देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार तमिलनाडु में है जहां राजग के सहयोगी दल (अन्नाद्रमुक) की सरकार है। द्रमुक सदस्य के इस बयान पर भाजपा के निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूड़ी ने आपत्ति व्यक्त करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि सदन में राज्य सरकार और विधानसभा के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला जा सकता।

सदन में अन्नाद्रमुक के एकमात्र सदस्य रवींद्रनाथ कुमार भी विरोध जताते हुए देखे गए। हालांकि मारन ने कहा कि भ्रष्टाचार पर बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में जल संकट गहरा रहा है और खासतौर पर तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में विकट स्थिति है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा।

मारन ने कहा कि एक तरफ तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है।

ढुल्ल व जाकिर ने उतारी ऐनक, थामा कमल

पेज 1 का बाकी

पर निर्दलीय विधायक चुना गया था। इनेलो के एक विधायक के निधन के बाद जींद की सीट भाजपा के पास चुकी है और एक विधायक जननायक जनता पार्टी में शामिल हो चुका है।

इनेलो के तीसरे विधायक परमिंदर सिंह ढुल्ल के भाजपा में जाने के बाद जींद जिला में इनेलो के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। इसी तरह मेवात जिला को भी शुरू से ही इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है।

चौटाला कार्यकाल में ही मेवात को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। पिछले चुनाव में मेवात जिला की कुल तीन विधानसभा सीटों में से नूंह व फिरोजपुर झिरका से इनेलो तथा पुन्हाना से निर्दलीय विधायक ने जीत दर्ज की थी। पुन्हाना के विधायक नसीम अहमद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब जाकिर हुसैन भाजपा में चले गए हैं।

बस खाई में गिरी, छह यात्रियों की मौत, 43 घायल

गढ़वा, 25 जून (भाषा)।

झारखंड के गढ़वा जिले के गढ़वा-रंका मार्ग पर मंगलवार तड़के करीब तीन बजे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से गढ़वा आ रही एक निजी स्लीपर यात्री बस अंधा मोड़ पर गहरी खाई में गिर गई जिससे छह यात्रियों की मौत हो गई और 43 घायल हो गए।

बस अंबिकापुर से गढ़वा की ओर आ रही थी। आशंका है कि चालक के नियंत्रण खोने से दुर्घटना हुई। घटना के समय सभी यात्री सोए हुए थे।

गढ़वा की पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी ने बताया कि गढ़वा के शकर सोता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दर्जन से अधिक यात्री भर्ती हैं जिनमें एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बस अंबिकापुर से गढ़वा की ओर आ रही थी। आशंका है कि चालक के नियंत्रण खोने से दुर्घटना हुई। घटना के समय सभी यात्री सोए हुए थे जिससे हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि घायलों में तीन की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल रैफर किया गया है।

झारखंड के गढ़वा जिले में मंगलवार सुबह बस खाई में गिरने के बाद बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मी।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना से पूछा

'क्या उसकी वापसी की गारंटी कोई रिश्तेदार लेगा'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर प्रकरण से संबंधित धनशोधन मामले में वादा माफ गवाह राजीव सक्सेना से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या उसके स्वदेश लौटने की गारंटी लेते हुए उसके दो रिश्तेदार पांच-पांच करोड़ रुपए जमा कराएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है और प्रवर्तन निदेशालय इसका विरोध कर रहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के अवकाशकालीन पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की इन आपत्तियों का संज्ञान लिया कि राजीव सक्सेना की जड़ें भारत में नहीं हैं और यदि उसे इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह शायद वापस नहीं लौटेगा। पीठ ने कहा-आपकी आशंका सही या गलत हो सकती है लेकिन क्या आप (सरकार) इसे वापस लाने में असहाय हैं?

पीठ ने कहा- हम आपकी आशंका को समझते हैं। उनका (सक्सेना का) पासपोर्ट सीमित अवधि के लिए है। आप कुछ अन्य शर्तों का सुझाव दे सकते हैं, जिन्हें लगाया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा- कोई भी देश यह नहीं कहेगा कि वह शक्तिहीन है। अदालत ने सक्सेना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि वे बुधवार तक उसे अवगत कराएं कि क्या सक्सेना की बहन और एक अन्य रिश्तेदार उसके वापस लौटने और मुकदमे का सामना करने के लिए गारंटी के रूप में पांच-पांच करोड़ रुपए जमा कराने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले मेहता ने सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के आदेशों की आलोचना की और कहा-भारत में उसकी जड़ें नहीं हैं। उसका भारत में कोई रिश्तेदार या संपत्ति नहीं है और हो सकता है कि वह लौट कर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सक्सेना की बीमारियों का इलाज भारत में उपलब्ध है।

जसोल हादसे में 10 लोगों की मौत करंट लगने से हुई

बाड़मेर, 25 जून (भाषा)।

बालोतरा के जसोल गांव में रविवार को हुए हादसे में मरने वाले 15 लोगों में से 10 की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी।

यह हादसा तब हुआ था जब तेज अंधड़ और बारिश के बीच रामकथा सुन रहे लोगों के ऊपर पंडाल गिर गया। हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक घायल ने जोधपुर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 24 लोगों का उपचार बालोतरा के नाहटा अस्पताल में अभी भी जारी है।

बालोतरा के सरकारी नाहटा अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलराम पंवार ने बताया कि हादसे में मरने वालों में से 10 की मौत बिजली का करंट लगने से हुई। तीन लोगों की मौत सिर में चोट लगने और एक की व्यक्ति की मौत अंदरूनी रक्तस्राव के कारण हुई। इन 14 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि जोधपुर अस्पताल में सिर की चोट के कारण भर्ती कराए गए व्यक्ति ने रविवार रात अस्पताल में दम तोड़ा था।

कथा के लिए तंबू लगाने और अन्य प्रबंध करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (लोगों की जिदगी को खतरे में डालने) और 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013 (भारत)
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

शुद्धिपत्र

कृपया 23 जून, 2019 को इस समाचार पत्र में पेज नं. 10 में प्रकाशित अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बोलियों के आमंत्रण के लिये हमारा विज्ञापन देखें। कृपया ध्यान रहे कि दूसरे पैराग्राफ "उक्त सम्पत्ति की बिक्री 2 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा की जायेगी" गलत प्रिन्ट की गई है। अतः इस पैरा को इस प्रकार पढ़ें:

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 27 जनवरी 2018 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 1,39,45,414.40 (रुपए एक करोड़ उन्तालिस लाख पैंतालिस हजार चार सौ चौदह मात्र) की राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. का बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की **7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 9 जुलाई, 2019 को 2.00 बजे अप. में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा** पर इंटर से बिडिंग द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ बोली टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 8 जुलाई, 2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व में प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जैसा इस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

हस्ता./-
श्री आयन भट्टाचार्य
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.
तिथिः 25.06.2019 — मो.नं. 7290010751

मध्य प्रदेश : बच्ची से बलात्कार, मामला दर्ज

नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश), 25 जून (भाषा)।

नरसिंहपुर के एक क्षेत्र में एक बच्ची से बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिला पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह ने कहा कि सोमवार-मंगलवार की रात्रि साढ़े पांच साल की बच्ची से एक अज्ञात व्यक्ति ने बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि बसअड्डे के पास खाली पड़े मैदान में कुछ परिवार रहते हैं, जहां सोमवार-मंगलवार की रात पीड़िता अपनी छोटी बहन और मां के साथ सोई हुई थी।

रात में आरोपी बच्ची को उठा कर ले गया व अंडरब्रिज के समीप उसके साथ बलात्कार किया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह किसी व्यक्ति से पीड़ित परिजनों को अंडरब्रिज के पास बच्ची के अर्द्धमूच्छित अवस्था में पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और तत्काल एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है।

घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह मौके पर पहुंचे। सिंह ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। यहां एक पत्थर पर खून लगा मिला। पत्थर सहित मौके से अन्य चीजें साक्ष्य के तौर पर एकत्र की गई हैं।

पुलिस द्वारा मामले की सूक्ष्मता से विवेचना की जा रही है। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (एबी) व 363 (अपहरण) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बच्ची के परिजनों ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची को कोई उठा ले गया है तो वे रात करीब तीन बजे थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंह ने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत पर एक प्रधान आरक्षक को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

LUMAX ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DK JAIN GROUP
सीआईएन : L31909DL1981PLC349793
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष : 011-4760000
ईमेलः shares@lumaxmail.com वेबसाइटः www.lumaxautotech.com

गैरभुगतान लाभांश और इनवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) के अंतर्गत शेयरों का हस्तांतरण

प्रिय शेयरधारक,
समय-समय पर संशोधित अनुसार इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षित, हस्तांतरण व रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में, प्रत्येक कंपनी को आईईपीएफ, कंपनी के गैर-भुगतान लाभांश खाते में राशि जो ऐसे खाते में हस्तांतरित किए जाने की तिथि से 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए गैरभुगतान या गैरदावे से बचे हैं को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता होती है।
उक्त के संदर्भ में, हम को सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी के गैरभुगतान लाभांश खाते में पड़े गैरभुगतान/गैरदावा लाभांश के आईईपीएफ में हस्तांतरित के लिए देय तिथि 27 सितंबर, 2019 है। तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों को गैरचुकता लाभांश का दावा करने का अनुरोध किया जाता है।
ऐसे शेयरधारकों के पड़े शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जाना है। ऐसे शेयरों का आईईपीएफ में हस्तांतरित किए जाने के बाद, उस पर सभी वोटिंग अधिकार फ्रिज कर दिए जाएंगे और आप आपके शेयरों अर्थात् लाभांश पर व्यय सभी लाभ खो देंगे क्योंकि यह आईईपीएफ में हस्तांतरित किए जाएंगे।
शेयरधारकों की पूरी सूची जिनके लाभांश(ओं) वित्तीय वर्ष 2011-12 तक कंपनी के गैर भुगतान लाभांश खाते में अपने फोलियो/डीपी-आईडी क्लाइंट आईडी के विरुद्ध गैर-भुगतान पड़े हैं और आईईपीएफ में हस्तांतरण के लिए देय उनके शेयरों को इनवेस्टर सेक्शन के अंतर्गत www.lumaxautotech.com पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
यदि कंपनी संबंधित शेयरधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं करती है, कंपनी देय तिथि अर्थात् 27 सितंबर, 2019 तक आईईपीएफ को लाभांश हस्तांतरण नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों और गैरदावा लाभांश राशि के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेगा, शेयरधारक नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर आईईपीएफ प्राधिकरण से ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित आईईपीएफ को हस्तांतरित समान शेयरों और लाभांश पर दावा, यदि कोई है कर सकते हैं।
उक्त मामले में किसी भी पूछताछ के लिए, शेयरधारकों से कंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, पहली मंजिल वंसत ओसिस के सामने, मकवाना रोड, अंधेरी, -ईस्ट, मुबंई, महाराष्ट्र-400059 टेलीः 022-62638200, ई-मेल आईडीः vinod.y@bigshareonline.com पर संपर्क करने का अनुरोध कर सकते हैं।

ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,
स्थानः नई दिल्ली — अनिल त्यागी
दिनांकः 25.06.2019 — कंपनी सचिव

ओरियंट बेल लिमिटेड
सीआईएन : एल14101यूपी1977पीएलसी021546
पंजी. कार्यालय : 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, जिला बुलंदशहर, (उ.प्र.)
कार्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110 046
फोन : +91-11-47119100, वेबसाइट : www.orientbell.com
ई-मेल : customercare@orientbell.com, investor@orientbell.com

42वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ओरियंट बेल लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को पूर्वा. 11.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, जिला बुलंदशहर, (उ.प्र.) में आयोजित की जाएगी।
आगे सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित तदधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिबार, 18 जुलाई, 2019 से बुधवार, 24 जुलाई, 2019 तक (दोनों तिथियों सहित) इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, के संबंध में ग्राह्य सदस्यों के नामों के निर्धारण हेतु बंद रहेंगी।
17 जुलाई, 2019 की तिथि (अर्थात विच्छेदन तिथि) को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य 42वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों के संबंध में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सर्विसेज के माध्यम से, डाल सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने से पहले अनुदेश (सूचना के नोट संख्या xviii पर वर्णित नोट) ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :
क) 42वीं एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित, उन सभी सदस्यों, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीबद्ध है, को उनकी ई-मेल आईडी'ज पर तथा अन्य सदस्यों को भौतिक रूप में उनके पंजीकृत पते पर अनुमत विधि से भेजी जा रही है।
ख) रिमोट ई-वोटिंग 21 जुलाई, 2019 को (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी तथा 23 जुलाई, 2019 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। 23 जुलाई, 2019 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
ग) कोई भी व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात 17 जुलाई, 2019 को शेयर धारक है, evoting@nsdl.co.in पर अथवा admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
घ) एजीएम में मत पत्र/पोलिंग पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे वे सदस्य, जिन्होंने अपने रिमोट ई-वोटिंग के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, बैठक में मत पत्र/पोलिंग पेपर द्वारा वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
ङ) कोई भी सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु उसको एजीएम में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
च) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मत पत्र/पोलिंग पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
छ) 42वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.orientbell.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
ज) किसी संदेह की स्थिति में सदस्यगण अधोहस्ताक्षरी से +91-11-47119100 पर सम्पर्क कर सकते हैं तथा अधोहस्ताक्षरी को investor@orientbell.com पर अथवा कार्पोरेट कार्यालय के पते आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110 046 पर लिख सकते हैं।

वास्ते ओरियंट बेल लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान : नई दिल्ली — योगेश मेंदीरत्ता
तिथि : 25 जून, 2019 — कम्पनी सेक्रेटरी एवं हेड-लीगल
orientbell tiles

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
अवंथा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीआईएनः U72300DL2004PLC128864) जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**" से "**हरियाणा राज्य**" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए एवं कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 9 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

सुश्री अंजली शर्मा
कंपनी सचिव
अवंथा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली -110001
ईमेल आईडीः sect.atl@avanthabsl.com

कृते एवं हेतु अवंथा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
हस्ता/-
अंजली शर्मा
दिनांकः 25.06.2019 — कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली — सदस्यता संख्याः A52701

नोटः जो भी लागू होने योग्य नहीं हैं उसे काट दें।

थाने में शराब पी रहा थानेदार गिरफ्तार, निलंबित

भागलपुर, 25 जून (जनसत्ता)।

- थानेदार के खिलाफ बिहार मद्य निषेध कानून 2016 के तहत मामला दर्ज
- इसी दिन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, डीआइजी दफ्तर से लेकर तमाम थाने में सभी पुलिसकर्मियों ने शराब से तौबा करने की लिखित शपथ ली थी

एक तरफ सोमवार को पुलिस वालों ने बिहार में नशाखोरी से दूर रहने की शपथ ली दूसरी तरफ शाम ढलते ही खरीक थानेदार दिलीप कुमार थाने में ही बोतल खोल कर बैठ गए। नौगछिया की एसपी निधि रानी देर रात करीब 11 बजे सूचना पाकर थाना पहुंच कर थानेदार को अस्पताल भेज मेडिकल जांच कराई। जहां उनके शराब पीने की डॉक्टरी रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है।

डीआइजी विकास वैभव ने थानेदार दिलीप कुमार के शराब पीने और गिरफ्तार करने की पुष्टि करने के साथ ही बताया कि उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध कानून 2016 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अपने कर्तव्य में कोताही बरतने के आरोप में भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले इसी 20 जून को डीजीपी नौगछिया थाना सादे लिबास में पहुंच कर शराबबंदी और अपराध पर काबू पाने की हिदायत दी थी। रंगरा और परबत्ता थाने के तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसियों को हटाने का आदेश दिया था। उनके आदेश पर एसपी ने अमल भी किया। मगर निचले अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को पुलिस महकमा ने मद्य निषेध शपथ ग्रहण दिवस मनाया था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, डीआइजी दफ्तर से लेकर तमाम थाने स्तर पर लिखित तौर पर सब ने शराब से तौबा करने की लिखित शपथ ली। मगर शाम होते ही खुद थानेदार ही बोतल लेकर बैठ गए।

कार हादसे में दूल्हे सहित दो की मौत

मथुरा, 25 जून (भाषा)।

जनपद में मंगलवार को दुल्हन को विदा करा कर अन्य रिश्तेदारों के साथ लौट रहे दूल्हे की कार हादसे की शिकार हो गई, जिसमें दूल्हे व उसकी बुआ की मौत हो गई और नवविवाहिता सहित चार लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसा मांट थानाक्षेत्र के गांव प्रेमनगर के पास तब हुआ, जब गांव आंधरे गढ़ी निवासी पिंटू अपनी दुल्हन सर्वेश को थाना राया क्षेत्र के गांव बल्टीगढ़ी से विदा करा कर कार से लौट रहा था।

kotak Kotak Mahindra Bank — कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिन्द्रा बैंक लि. प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, नोएडा, डेल कैम्पस के पास, उ.प्र.-201313

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक/ वित्तीय संस्थानों जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, से ऋण (णों) सुविधा (एं) प्राप्त की हैं तथा उसके भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा सभी अधिकारी, टाइटल्स तथा हितों, लाभों, वसूल की जाने वाली बकायों के साथ उक्त ऋण खाताओं को यहां नीचे वर्णित पृथक एसाइन्मेन्ट प्रलेखों के माध्यम से कोटक महिन्द्रा बैंक लि. को सौंप दिया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि की वसूली के लिए बैंक ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।
ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, प्रतिभूतियों, लैण्डर बकाया राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	1. लैण्डर का नाम 2. एसाइन्मेन्ट की तिथि 3. मांग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि रु. में
1.	श्रीमती देविन्दर कौर, पत्नी श्री गुरभजे सिंह एवं गुरभज सिंह, पुत्र हरदित सिंह, दोनोंः 2472, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली-110009 एवं श्रीमती देविन्दर कौर, पत्नी श्री गुरभजे सिंह, साथ हीः मै. के.एस. सर्विसेस 155, बेस्मेन्ट, बैक साइड एन्ट्री, कमला नगर, दिल्ली-110007 ऋण खाता सं.: 8878115 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 16,67,564/- (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार पांच सौ चौंसठ मात्र)	सम्पत्ति का विवरण टाइटल दस्तावेज के अनुसारः भूमि का सम्पूर्ण प्लॉट आवासीय प्लॉट नं. 2472, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली, क्षेत्रफल माप 160 वर्ग यार्ड्स अथवा उसके लगभग जो ग्राम ढ़ाका में स्थित है। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 2473, पूर्वः सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. 2471, पश्चिमः 81 लेन। मार्टगैजर का नामः गुरभज सिंह पुत्र हरदित सिंह	1. सिटी फाइनांसियल कंज्यूमर फाइनांस इंडिया लिमिटेड (सीसीएफआईएल) 2. 09.04.2013 3. 29.04.2019 4. सम्पूर्ण भुगतान तक 30.4.2019 से लागू ब्याज के साथ 29.04.2019 के बकाया तथा देय रु. 53,18,773/- (रुपये तिड़ेपन लाख अठारह हजार सात सौ तिहत्तर मात्र)
2.	श्रीमती उषा कुमार, पत्नी स्व. श्री रघुवीर कुमार एवं श्रीमती चारू कुमार, पुत्री स्व. श्री रघुवीर कुमार एवं सुश्री छवि कुमार, पुत्री स्व. श्री रघुवीर कुमार सभीः निवासीः 65/41, 2रा तल, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 एवं साथ हींः 1470, गली अशोक, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली- 110006 ऋण खाता संख्या- 16427861 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 10,01,000/- (रुपये दस लाख एक हजार मात्र)	भूमि माप 275.69 वर्ग यार्ड्स पर तथा मुख्य प्रवेश तथा उसकी सीढ़ियों के उपयोग के सामूहिक अधिकार के साथ डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. 65/41 (प्लॉट नं. 41, ब्लॉक नं. 65) में आगे मंजिल के निर्माण के सभी अधिकारों के साथ टैरेस/ छत के अधिकारों के साथ सम्पूर्ण दूसरे तल का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 65/40, उत्तरः सम्पत्ति सं. 65/42 मॉर्टगैजर का नामः श्री रघुवीर कुमार, पुत्र श्री खैराती लाल कुमार (अब मृतक)	1. सिटी फाइनांसियल कंज्यूमर फाइनांस लिमिटेड (सीसीएफआईएल) 2. 30.6.2014 3. 15.03.2019 4. सम्पूर्ण भुगतान तक 15.3.2019 से लागू आगे के ब्याज के साथ 14.3.2019 को देय रु. 14,87,519/- (रुपये चौदह लाख सतासी हजार पांच सौ उन्नीस मात्र)
3.	श्री ललित कुमार रैना, पुत्र जगननाथ रैना, एवं श्रीमती मेघना, पूर्व में नंदा भूयन के नाम से विदित, पत्नी ललित कुमार रैना, दोनोः बी-2/2322, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110077 ऋण खाता सं.: 597211 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र)	सेक्टर-बी, पॉकेट 2 एवं 3, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110078 में दूसरे तल पर सम्पत्ति फ्लैट नं. 2322 एसएफएस फ्लैटस कैटगरी-II मार्टगैजर का नामः श्रीमती मेघना, पूर्व में नंदा भूर्या के नाम से विदित, पत्नी ललित कुमार रैना	1. सिटी फाइनासिंयल कंज्यूमर फाइनांस इंडिया लिमिटेड (सीसीएफआईएल) 2. 31.10.2012 3. 18.04.2019 4. सम्पूर्ण भुगतान तक 15.3.2019 से लागू ब्याज के साथ 14.03.2019 को देय रु. 14,87,519/- (रुपये चौदह लाख सतासी हजार पांच सौ उन्नीस मात्र)

अतएव, आप ऋणधारक/कों तथा सह-ऋणधारक/कों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्त्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
आपका ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा आप उपरोक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना आप बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित

WELSPUN CORP
PIPES AND PLATES

WELSPUN CORP LIMITED

CIN: L27100GJ1995PLC025609
Registered Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat - 370 110, India.
Corporate Office: Welspun House, 5th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.
Tel.: +91 22 6613 6000; Fax: +91 22 2490 8020; E-mail: companysecretary_wcl@welspun.com; Website: www.welspuncorp.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE HOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF WELSPUN CORP LIMITED FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations") for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buyback Regulations.

OFFER FOR BUYBACK OF UP TO 28,888,888 (TWENTY EIGHT MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND AND EIGHT HUNDRED EIGHTY EIGHT) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH FULLY PAID UP ("EQUITY SHARES") AT A PRICE OF ₹ 135/- (RUPEES ONE HUNDRED THIRTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE IN CASH ON A PROPORTIONATE BASIS FROM ALL THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY THROUGH TENDER OFFER PROCESS USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM.

1 DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1. The Board of Directors (hereinafter referred to as the "**Board**"), which expression includes any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by the resolution) of Welspun Corp Limited ("**Company**"), at its meeting commenced on May 14, 2019 and concluded on May 15, 2019 ("**Board Meeting**") approved the proposal for the buyback of Equity Shares at a price to be finalized by the Buyback Committee (defined herein below) subject to a maximum price of ₹ 140/- (Rupees One Hundred Forty Only) per Equity Share payable in cash (**"Buyback Price"**) for a maximum aggregate amount up to ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million only) ("**Buyback Size**") (being less than 25% of the aggregate paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company as per latest audited accounts as on March 31, 2019), from the equity shareholders/ beneficial owners of Equity Shares ("**Shareholders**") of the Company on a proportionate basis through a tender offer in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("**Companies Act**" or "**Act**") and, the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (the "**Share Capital Rules**"), the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "**Management Rules**") and in compliance with the Buyback Regulations ("**Buyback**" or "**Buyback Offer**"). The Buyback Size does not include any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), brokerage, applicable taxes (such as securities transaction tax, stamp duty and goods and services tax), advisors' fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses. The Shareholders of the Company approved the Buyback of the Equity Shares from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares, on a proportionate basis (subject to the reservation for small shareholders), through the tender offer process pursuant to Article 4A and Clause V of Part A of Schedule 1 (Affirmative Vote Items) to Article 241 of the Articles of Association of the Company and in accordance with Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, the Share Capital Rules, the Management Rules and the Buyback Regulations, by way of a special resolution, through the postal ballot ("**Postal Ballot**"), the results of which were announced on June 24, 2019 and which was deemed to be passed on June 22, 2019 (i.e. the last date of voting for the Postal Ballot) ("**Shareholders' Approval**"). The Buyback is subject to receipt of any approvals of lenders, statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, including the Reserve Bank of India **(RBI)**, the SEBI, and the stock exchanges on which the Equity Shares are listed, namely, National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and the BSE Limited ("**BSE**") (hereinafter together referred to as the "**Stock Exchanges**"). The Buyback Committee pursuant to its resolution dated June 24, 2019 has approved the Buyback of up to 28,888,888 (Twenty Eight Million Eight Hundred Eighty Eight Thousand And Eight Hundred Eighty Eight) Equity Shares at a Buyback Price of ₹ 135/-(Rupees One Hundred Thirty Five only) per Equity Share aggregating up to ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million only).

1.2. The Buyback would be undertaken on a proportionate basis from the Shareholders as of Friday, July 5, 2019 ("**Record Date**") through the tender offer route, prescribed under Regulation 6 of the Buyback Regulations using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/ 2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, including any further amendments thereof. For the purpose of this Buyback, BSE will be the designated stock exchange (the **"Designated Stock Exchange"**) and the Company will request BSE to provide a separate acquisition window ("**Acquisition Window**") to facilitate the Buyback.

1.3. In terms of the Buyback Regulations, under tender offer route, the Promoters and Promoter Group of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the Promoters and Promoter Group of the Company have vide their letters dated May 14, 2019, expressed their intention to participate in the Buyback. The extent of their participation in the Buyback has been detailed in Paragraph 3.5 of this Public Announcement.

1.4. The Buyback Size is up to ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million only) representing 24.76% and 14.60% of the aggregate paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account), as per the audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2019 on standalone and consolidated basis respectively. The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the market prices of the Equity Shares on the Stock Exchanges, the net worth of the Company, price earnings ratio, impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the earnings per Equity Share.

1.5. The Buyback Price of ₹ 135/- (Rupees One Hundred Thirty Five only) per Equity Share represents a discount of 3.57% and 3.81% over the closing price of the Equity Shares on the BSE and on the NSE respectively, as on May 9, 2019, being the date on which the Company intimated the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board wherein proposal of the Buyback was to be considered. Further, the Buyback Price represents a premium of 9.25% and 9.26% over the average closing market prices of the Equity Shares on BSE and on NSE, respectively, during the three months preceding May 9, 2019, being the date on which the Company intimated the Stock Exchanges of the date of the meeting of the Board of Directors, wherein the proposal of the Buyback was to be considered.

1.6. The aggregate paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as on March 31,2019 (the audited financial statements available as on the date of the Board Meeting recommending the proposal of the Buyback) is ₹ 15,748.98 Million and ₹ 26,705.29 Million on standalone basis and consolidated basis respectively. Under the provisions of the Act, the funds deployed for the Buyback cannot exceed 25% of the aggregate paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company i.e. ₹ 3,937.25 Million and ₹6,676.32 Million on standalone basis and consolidated basis respectively. The amount proposed to be utilized for the Buyback is ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million Only) and is therefore within the limit of 25% of the Company's aggregate paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited accounts for the financial year ended March 31, 2019 on standalone basis and consolidated basis. Further, under the Act, the number of Equity Shares that can be bought back in any financial year cannot exceed 25% of the total paid-up equity capital of the Company in that financial year. Accordingly, the maximum number of Equity Shares that can be bought back in the current financial year is 6,63,06,527. Since the Company proposes to buyback up to 28,888,888 Equity Shares, the same is within the aforesaid 25% limit.

1.7. A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.welspuncorp.com, and is expected to be available on the SEBI website www.sebi.gov.in during the period of the Buyback and on the websites of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

2 NECESSITY FOR BUYBACK

The Board at the Board Meeting considered the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the audited accounts for the financial year ended March 31, 2019 and considering these, the Board decided to allocate a maximum sum of ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million Only) excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., for returning to the Shareholders of the Company through the Buyback. After considering several factors and benefits to the Shareholders of the Company, the Board decided to recommend Buyback of its fully paid up Equity Shares at a price to be finalized by the Buyback Committee subject to a maximum price of ₹ 140/- (Rupees One Hundred Forty Only) per Equity Share for a maximum aggregate amount of ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million Only) excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. The total number of Equity Shares to be bought back would be 27,857,142 (Twenty Seven Million Eight Hundred Fifty Seven Thousand One hundred Forty Two only) Equity Shares (representing 10.50% of the total paid up equity share capital of the Company) or such other number depending upon the final Buyback Price and Buyback Size fixed by the Buyback Committee. Further, the Buyback Committee has vide its resolution dated June 24, 2019 decided to Buyback up to 28,888,888 Equity Shares at a Buyback Price of ₹ 135/- (Rupees One Hundred Thirty Five Only) for a Buyback Size aggregating up to ₹ 3,900 Million (Rupees Three Thousand Nine Hundred Million Only).

Buyback is a more efficient form of returning surplus cash to the Shareholders of the Company, inter-alia, for the following reasons:

i. Share buyback is the acquisition by a company of its own Equity Shares. The Buyback will help the Company to return surplus cash to its Members holding Equity Shares broadly in proportion to their shareholding, thereby, enhancing the overall return to the Shareholders;

ii. The Buyback, which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buyback Regulations, would involve allocation of higher number of Equity Shares as per their entitlement or 15% of the number of Equity Shares to be bought back, reserved for the small shareholders. The Company believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "small shareholders";

iii. The Buyback may help in improving return on equity, by reduction in the equity base, which may consequentially lead to a long term increase in shareholders' value; and

iv. The Buyback gives an option to the Shareholders of the Company, who can choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback offer or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post the Buyback, without any additional investment.

3 DETAILS OF PROMOTERS' SHAREHOLDING AND INTENTION OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP TO PARTICIPATE IN THE BUYBACK

3.1 The aggregate shareholding of the Promoters and Promoter Group and of the directors of the members of the Promoters and Promoter Group, where such member is a company and persons who are in control of the Company as on May 15, 2019, i.e. the date of the postal ballot notice is as follows:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1.	Rajesh R. Mandawewala	200	Negligible
2.	Balkrishan Gopiram Goenka	140	Negligible
3.	Dipali B. Goenka	2	Negligible
4.	B.K. Goenka (Beneficial Owner of Welspun Group Master Trust)*	110,449,818	41.64
5.	MGN Agro Properties Private Limited	6,915,000	2.61
6.	Welspun Investments and Commercials Limited	6,523,000	2.46
7.	B.K. Goenka (Beneficial Owner of B. K. Goenka Family Trust)	5	Negligible
8.	Intech Metals S.A.**	6,010,850	2.27
	TOTAL	**129,899,015**	**48.98**

*Under and pursuant to the Scheme of Amalgamation between Welspun Pipes Limited and Welspun Corp Limited and their respective shareholders and creditors as approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench vide its order dated May 10, 2019, the shareholders of Welspun Pipes Limited i.e. Welspun Group Master Trust has become the shareholder of the Company by operation of law.

** As on the date of this Public Announcement, an application for re-classification from Promoter to Public shareholder is pending with Stock Exchanges.

3.2 The aggregate shareholding of the directors of companies, which are part of the Promoters and Promoter Group:

Sr. No.	Name of Director	Name of Corporate Promoter	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1.	Dipali Goenka	MGN Agro Properties Private Limited	2	Negligible
2.	Atul Desai	Welspun Investments and Commercials Limited	200	Negligible
3.	Lal Hotwani	Welspun Investments and Commercials Limited	50	Negligible
	TOTAL		**252**	**Negligible**

3.3 Details of shareholding of the Directors of the Company:

Sr. No.	Name of Director	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
1.	Rajesh Mandawewala	200	Negligible
2.	Atul Desai	200	Negligible
3.	Balkrishan Gopiram Goenka	140	Negligible
4.	S Krishnan	12,000	Negligible
5.	Vipul Mathur	11,000	Negligible
	TOTAL	**23,540**	**0.01**

3.4 No Equity Shares of the Company have been purchased/sold by any of the Promoters and the Promoter Group of the Company, directors of the Promoters and Promoter Group, and persons who are in control of the Company as on the date of the postal ballot notice, during the period from six months preceding the date of the Board Meeting at which the Buyback was proposed and from the date of the Board Meeting till the date of the postal ballot notice except mentioned below:

B.K. Goenka (Beneficial Owner of Welspun Group Master Trust)

Aggregate No. of Shares Purchased/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price
110,449,818	Scheme*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

*Pursuant to Scheme of Amalgamation of Welspun Pipes Limited with Welspun Corp Limited and their respective shareholders and creditors, as approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench vide its order pronounced on 10th May, 2019 (which became effective on 10th May, 2019).

MGN Agro Properties Private Limited

Aggregate No. of Shares Purchased/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price
915,000	Purchase	136.66	08/01/2019	135.91	08/01/2019

Intech Metals S.A.

Aggregate No. of Shares Purchased/ Sold	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price
289,150	Sale	144.80	26/12/2018	133.20	09/01/2019

3.5 In terms of the Buyback Regulations, under the Tender Offer route, the Promoters and Promoter Group have the option to participate in the Buyback. In this regard, the Promoters and Promoter Group have expressed their intention vide their letters dated May 14, 2019 to participate in the Buyback and offer up to an aggregate maximum of 13,260,000 Equity Shares as detailed below or any such lower number of shares in accordance with the Buyback Regulations:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares held	Maximum number of Equity Shares intended to tender
1.	MGN Agro Properties Private Limited*	6,915,000	6,915,000
2.	Welspun Investments and Commercials Limited*	6,523,000	6,523,000
3.	Intech Metals S.A.**	6,010,850	6,010,850
	TOTAL	**19,448,850**	**13,260,000***

* MGN Agro Properties Private Limited and Welspun Investments and Commercials Limited have individually expressed their intention for maximum of 6,915,000 and 6,523,000 Equity Shares, respectively. MGN Agro Properties Private Limited and Welspun Investments and Commercials Limited have also confirmed that in the event Intech Metals S.A. is a Promoter as on the Record Date, the maximum number of Equity Shares intended to be tendered by MGN Agro Properties Private Limited and Welspun Investments and Commercials Limited and Intech Metals S.A. collectively shall be 13,260,000. Further, MGN Agro Properties Private Limited and Welspun Investments and Commercials Limited have also confirmed that in the event Intech Metals S.A. is reclassified as Public Shareholder as on the Record Date, the maximum number of Equity Shares intended to be tendered by MGN Agro Properties Private Limited and Welspun Investments and Commercials Limited collectively shall be 7,249,150.

** As on the date of this Public Announcement, an application for re-classification from Promoter to Public shareholder is pending with Stock Exchanges.

3.6 Details of the date and price of acquisition of the Equity Shares that the Promoters and Promoter Group of the Company intend to tender are set out below:

MGN Agro Properties Private Limited ("MGN")

Date	Number of Shares	Nominal Value (₹)	Issue Price/ Transfer Price (₹)	Consideration (₹)	Nature of Transaction
25/04/2017	60,00,000	5	82.89	49,73,23,914.30	Purchase
08/01/2019	9,15,000	5	136.45	12,48,47,548.00	Purchase
TOTAL	69,15,000				
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered.					**69,15,000**
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered by MGN and Welspun Investments and Commercials Limited and Intech Metals S A collectively, in the event Intech Metals S.A. is a Promoter as on the Record Date					**1,32,60,000**
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered by MGN and Welspun Investments and Commercials Limited collectively, in the event Intech Metals S.A. is reclassified as Public Shareholder as on Record Date					**72,49,150**

Welspun Investments and Commercials Limited ("WICL")

Date	Number of Shares	Nominal Value (₹)	Issue Price/ Transfer Price (₹)	Consideration (₹)	Nature of Transaction
12/06/2009	40,33,000	5	NA	NA	Scheme*
18/04/2013	12,00,000	5	52.38	6,28,52,426.52	Purchase
26/07/2018	12,90,000	5	109.35	14,10,65,078.20	Purchase
TOTAL	65,23,000				
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**65,23,000**
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered by WICL and MGN and Intech Metals S.A. collectively in the event Intech Metals S.A. is a Promoter as on the Record Date					**1,32,60,000**
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered by WICL and MGN collectively in the event Intech Metals S.A. is reclassified as Public Shareholder as on Record Date					**72,49,150**

*Acquired pursuant to scheme of arrangement between Welspun India Limited and Welspun Global Brands Limited and Welspun Investments Limited and their respective shareholders and creditors.

Intech Metals S.A.

Date	Number of Shares	Nominal Value (₹)	Issue Price/ Transfer Price (₹)	Consideration (₹)	Nature of Transaction
18/03/1997	90,00,000	10	10	9,00,00,000	Allotment
03/05/2005	(27,00,000)	10	NA	NA	Scheme*
26/12/2018	(9,779)	5	142.45	13,93,060	Sale
27/12/2018	(17,897)	5	142.50	25,50,311	Sale
07/01/2019	(92,134)	5	137.86	1,27,01,435	Sale
08/01/2019	(69,020)	5	135.37	93,43,035.2	Sale
09/01/2019	(26,218)	5	135.47	35,51,694.5	Sale
11/01/2019	(74,102)	5	137.64	1,01,99,245	Sale
Total	6,010,850				
Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**6,010,850**

*Pursuant to High Court Order approving Scheme of Arrangement in the nature of merger of Eupec Welspun Pipe Coatings India Limited with the Company and re-organization of share capital and change in the face value from ₹ 10/- to ₹ 5/-, number of shares held by Intech Metals S.A. reduced from 90,00,000 to 63,00,000.

3.7 The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposit or interest payment thereon, redemption of debentures or interest payment thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banking company.

4. CONFIRMATIONS FROM THE BOARD

The Board of Directors of the Company has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion:

I. That immediately following the date of Board Meeting held and the date on which the special resolution approving the Buyback is passed, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts.

II. That as regards the Company's prospects for the year immediately following the Board Meeting as well as for the year immediately following the date on which the special resolution approving the Buyback is passed, and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting and within a period of one year from the date on which the special resolution approving the Buyback is passed; and

III. In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Act and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities).

5. REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY'S AUDITOR ON PERMISSIBLE CAPITAL PAYMENT AND OPINION FORMED BY DIRECTORS REGARDING INSOLVENCY.

The text of the report dated May 15, 2019, from the Statutory Auditors of the Company, addressed to the Board is reproduced below:

Quote

The Board of Directors

M/s. Welspun Corp Limited

Welspun House, 5th Floor,

Kamala City, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai - 400 013

Auditors' Report on Buy Back of Shares pursuant to the requirement of Clause (xi) of Schedule I to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018

1. This report is issued in accordance with our agreement dated May 14, 2019.

2. We have been engaged by M/s. Welspun Corp Limited (the "Company") to perform a reasonable assurance engagement on determination of the amount of permissible capital payment as detailed in the accompanying Annexure I in connection with the proposed buy back by the Company of its equity shares in pursuance of Section 68 and Section 70 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and The Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and Clause (xi) of Schedule I as specified in the 'Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018' and amendments thereto (the "Regulations") and on the opinions expressed by the Board of Directors of the Company, as required under the Regulations. We have initialled the Annexure I for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility

3. The Board of Directors of the Company is responsible for the following:

i) The amount of capital payment for the buy-back is properly determined; and

ii) It has made a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting ('BM') for buyback and from the date on which the result of the postal ballot will be declared.

Auditor's Responsibility

4. Pursuant to the requirement of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance on the following "Reporting Criteria":

i) whether the amount of capital payment for the buy-back is within the permissible limit computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act; and

ii) whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Board of Directors, as specified in Clause (x) of Schedule I to the Regulations and as approved by the Board of Directors, is unreasonable in all the circumstances.

5 A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the Reporting Criteria. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the Reporting Criteria. Within the scope of our work, we performed the following procedures:

i) Examined the authorisation for buy back from the Articles of Association of the Company;

ii) Examined that the amount of capital payment for the buy-back as detailed in Annexure I is within the permissible limit computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act;

iii) Examined that the ratio of the debt owned by the Company, if any, is not more than twice the capital and its free reserves after such buy-back;

iv) Examined that all the shares for buy-back are fully paid-up;

v) Inquired into the state of affairs of the Company with reference to the audited financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019 (the "Audited Financial Statements") which has been prepared by the Management of the Company; and examined budgets and projections prepared by the Management;

vi) Examined minutes of the meetings of the Board of Directors;

vii) Examined Directors' declarations for the purpose of buy-back and solvency of the Company; and

viii) Obtained appropriate representations from the Management of the Company.

6 We conducted our examination in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7 We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews

Contd...

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)
विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
कैल्स रिफायनरीज लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	कैल्स रिफायनरीज लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25 जुलाई, 1984
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L51909DL1984PLC018775
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 209, 2रा तल, सुनेजा टावर-II, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	10 जून, 2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की अनुमानित तिथि	10 जून, 2019 (आदेश 10.6.2019 को जारी हुई लेकिन एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित सच्ची प्रति परिसमापक को 25.06.2019 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम सरिता जोशी IBBI/IPA-001/IP-P00726/2017-18/11184
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	पताः बी 415, एलजीएफ, निर्माण विहार, नई दिल्ली-110092 ईमेलः saritajoshi70@yahoo.in
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ई-478, दूसरा तल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 ईमेलः saritajoshi70@yahoo.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	24.7.2019 (परिसमापक द्वारा आदेश की प्रमाणित सच्ची प्रति की प्राप्ति की तिथि अर्थात् 25.6.2019 से 30 दिन)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने 10.06.2019 को कैल्स रिफायनरीज लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा कैल्स रिफायनरीज लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 24.07.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 26.6.2019 **हस्ता. सरिता जोशी**
स्थानः नई दिल्ली IBBI/IPA-001/IP-P00726/2017-18/11184

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 30.07.2019** को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि को हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।
नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र हैं।

क्रं. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य अर्नेस्ट मनी (EMD) न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमे ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखाः- तिलक रोड देहरादून** **ऋणीः मेसर्स शुभरिका कंटेनर,** कार्यालयः खसरा संख्या 477 इंडस्ट्रियल एरिया ढालवाला तहसील नरेंद्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल। 249137, श्री अमित जैन पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार जैन (**पार्टनर/ऋणी/बंधकर्ता**) श्रीमती शुभारिका जैन पत्नी श्री अमित जैन, श्रीमती निर्मल जैन पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार जैन (**पार्टनर**) सभी निवासी गण 560 मुनीम कॉलोनी संजय मार्ग नयी मंडी मुजफ्फरनगर 211001	03.12.2018 रू0 **1,32,44,363.12** +ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2018 से	**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक संपत्ति प्लॉट संख्या E-30/4 SIDCUL सेलाकुई तहसील विकासनगर उत्तराखंड कुल क्षेत्रफल 833.20 वर्ग मीटर। सीमाएं- उत्तरः 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या ई-31, पूर्वः प्लॉट संख्या ई-7/1, पश्चिमः प्लॉट संख्या ई-830/3, **स्वामी-श्री अमित जैन पुत्र श्री विजेंद्र कुमार जैन** **सम्पत्ति नं0 2.** दृष्टिबंधक प्लॉन्ट एवं मशीनरी और अचल **आस्तियां। सम्पत्ति स्वामी- मेसर्स शुभरिका कंटेनर (पट्टे की सम्पत्ति)**	सांकेतिक	रू0 9980000/- (सम्पत्ति-1. रू0 7600000/- + सम्पत्ति-2. रू0 238000/-) रू0 998000/- रू0 200000/-	**29.07.2019** सायं 05:00 बजे तक	**पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या** 1087003171160 **(आईएफएससी कोडः** PUNB0108700)	**30.07.2019** दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।
ई-नीलामी के लिये नियम व शर्तें : विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट **www.pnbindia.biz, www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in** पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।
ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चा सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चो सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक-25.06.2019 **स्थान - देहरादून** **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

8 The financial statements referred to in paragraph 5 (v) above, have been audited by us on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 15, 2019. Our audit of these financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

Opinion

9 As a result of our performance of aforementioned procedures, we report that:

i) The amount of capital payment of Rs. 3,900 million for the shares in question, as stated in the accompanying certified extract of the minutes of the Board of Directors' meeting held on May 15, 2019, which we have initialed for identification, is within the permissible capital payment of Rs. 3,937.25 million on standalone basis and Rs. 6,676.32 million on consolidated basis, as calculated in Annexure I based on the Audited Financial Statements, which, in our opinion, is properly determined in accordance with Section 68 of the Act, and

ii) We are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the directors in their declaration, as specified in Clause (x) of Schedule I to the Regulations and as approved by the Board of Directors in their meeting held on May 15, 2019, is unreasonable in all the circumstances.

Restriction on Use

10 Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities with reference to the Regulations. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by any other role we may have (or may have had) as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Company.

11 This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Regulations solely to enable the Board of Directors of the Company to include in the explanatory statement to be included in the postal ballot notice to be circulated to the shareholders of the Company and in the Public Announcement to be made to the shareholders of the Company, which will be filed with (a) the Registrar of Companies as required by the Regulations (b) the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited for the purpose of extinguishment of equity shares, (c) the authorised dealer as approved by the Board of Directors or committee of the Board of Directors thereof, for the purpose of capital payment, (d) Securities and Exchange Board of India, BSE Limited and the National Stock Exchange of India, and should not be used for any other purpose. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP does not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report, or the explanatory statement to be included in the postal ballot notice to be circulated to the shareholders of the Company and the Public Announcement which includes our report, is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP
Firm Registration Number: 012754N/N500016
Sd/-
Mehul Desai
Partner
Membership Number: 103211
UDIN: 19103211AAAAAD5920

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019

Annexure I

Statement of Permissible Capital Payment for Buyback of Equity Shares:

Particulars	Standalone (Rs. In million)	Consolidated (Rs. In million)
Issued, Subscribed and Paid-up share capital as at March 31, 2019	1,326.13	1,326.13
Free reserves including Security Premium as at March 31, 2019		
- Securities Premium	7,769.82	7,769.82
- Surplus in Statement of Profit and Loss	6,299.44	17,255.75
- General Reserve	353.59	353.59
Total	**15,748.98**	**26,705.29**
Maximum amount permissible for the Buy-back i.e. 25% of total paid-up equity capital, free reserves and securities premium	3,937.25	6,676.32

Notes:

Calculation in respect to buyback is done on the basis of Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2019.

For and on behalf of Welspun Corp Limited
Sd/-
Mr. Percy Birdy
(Chief Financial Officer)
Date: 15th May, 2019
Unquote

6 **PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUYBACK PROCESS:**

6.1 **Process:**

(a) The Buyback is open to all Shareholders holding Equity Shares as on Record Date (hereinafter referred to as the **"Eligible Sellers")**. Any person who does not hold Equity Shares of the Company on Record Date will not be eligible to participate in the Buyback and shares tendered by such person(s) shall be rejected.

(b) The Eligible Shareholders holding shares on the Record Date in physical form can participate in the Buy-Back after such Equity Shares are dematerialized by approaching depository participant.

(c) The Buyback will be implemented by the Company through the Stock Exchange mechanism, as provided under the Buyback Regulations and circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, issued by SEBI and in accordance with the procedure prescribed in the Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee/persons authorized to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

(d) For the implementation of the Buyback, the Company has appointed Axis Capital Limited ("**Company's Broker**") as the registered broker through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

AXIS CAPITAL LIMITED
5th Floor, Axis House,
C-2 Wadia International Centre,
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025
Tel.: +91 22 4325 5579
Fax: +91 22 4325 5599
Contact Person: Mr. Ram Shinde
Email: qib@axiscap.in
SEBI Registration No.: INZ000189931

(e) The Company will request BSE to provide a separate Acquisition Window to facilitate placing of sell orders by Eligible Sellers who wish to tender their Equity Shares in the Buyback. The details of the platform will be as specified by BSE from time to time. In case, the Eligible Sellers' registered stock broker is not registered with BSE, Eligible Seller may approach Company's Broker to place its bid.

(f) At the beginning of the tendering period, the order for buying Equity Shares shall be placed by the Company through the Company's Broker. During the tendering period, the order for selling the Equity shares will be placed by the Eligible Sellers through their respective stock brokers ("**Seller Member**") during normal trading hours of the secondary market. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Sellers after Eligible Sellers have completed their KYC requirement as required by the Company's Broker.

(g) The reporting requirements for Non-Resident Shareholders under Reserve Bank of India Act, 1934, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Seller and/or the Seller Member through which the Equity Shareholder places the bid.

(h) Modification/cancellation of orders and multiple bids from a single Eligible Seller will be allowed during the tendering period of the Buyback. Multiple bids made by single Eligible Seller for selling the Equity Shares shall be clubbed and considered as "one" bid for the purposes of acceptance.

(i) The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading sessions and will be updated at specific intervals during the tendering period.

6.2 **Procedure to be followed by Eligible Sellers holding Equity Shares in the dematerialized form:**

(a) Eligible Sellers who desire to tender their Equity Shares in the electronic/dematerialized form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.

(b) The Seller Member would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Sellers who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. Before placing the bid, the Eligible Seller would be required to transfer the tendered Equity Shares to the account of the Indian Clearing Corporation Limited (the "**Clearing Corporation**"), by using the early pay in mechanism as prescribed by BSE or the Clearing Corporation, prior to placing the bid by the Seller Member. The details of the early pay-in account will be intimated in the circular to be issued in this regard.

(c) For custodian participant orders early pay-in is mandatory prior to confirmation of the order/bid by the custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

(d) Upon placing the order, the Seller Member shall provide transaction registration slip ("**TRS**") generated by the stock exchange bidding system to the Eligible Seller. TRS will contain details of order submitted like bid ID No., DP ID, Client ID, no. of Equity Shares tendered, etc.

(e) In case of non-receipt of the completed tender form and other documents, but receipt of Equity Shares in the accounts of the Clearing Corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the bid for Buyback shall be deemed to have been accepted.

6.3 **Procedure to be followed by Eligible Sellers holding Equity Shares in the Physical form:**

All Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares in physical form should note that pursuant to provisions of the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") read with press release no. 12/2019 dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy-Back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED.

IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUY-BACK BEFORE BUY-BACK CLOSING DATE.

6.4 **METHOD OF SETTLEMENT**

Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations:

(a) The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

(b) The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule.

(c) For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds pay-out to respective Eligible Seller's bank account as provided by the depository system. If the Eligible Seller's bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/Bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Seller Members settlement bank account for onward transfer to the respective Eligible Seller.

(d) In case of Eligible Sellers where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out, which do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Seller Members settlement bank account for onward transfer to the Eligible Sellers. For this purpose, the client type details would be collected from the Registrar to the Buyback.

(e) The Equity Shares bought back would be transferred directly to the demat account of the Company opened for Buyback ("**Special Demat Account**") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Special Demat Account on receipt of the Equity Shares from the Clearing Corporation.

(f) Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account. If the securities transfer instruction is rejected in the Depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the respective Eligible Shareholder.

(g) Eligible Sellers tendering Equity Shares will have to ensure that they keep the depository participant ("**DP**") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance of shares under the Buyback.

(h) The settlements of fund obligation for Equity Shares shall be effected as per the SEBI circulars and as prescribed by BSE and Clearing Corporation from time to time.

(i) In case of certain shareholders viz., NRIs, non-residents etc. (where there are specific regulatory requirements pertaining to funds payout including those prescribed by the RBI) who do not opt to settle through custodians, the funds payout would be given to their respective Shareholder Broker's settlement accounts for releasing the same to such shareholder's account.

(j) Company's Broker would issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

6.5 Eligible Sellers who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member for any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Seller Member upon the Eligible Sellers for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Seller, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company, Manager to the Buyback and Registrar to the Buyback accept no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Sellers.

6.6 The Equity Shares lying to the credit of the Special Demat Account will be extinguished in the manner as prescribed in the Buyback Regulations.

7. **RECORD DATE AND SHAREHOLDER'S ENTITLEMENT**

7.1 As required under the Buyback Regulations, the Company has announced the Record Date as Friday, July 5, 2019 for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders, who are eligible to participate in the Buyback i.e. the Eligible Sellers.

7.2 The Equity Shares to be bought back as a part of this Buyback is divided into two categories:

1. Reserved category for small shareholders; and
2. General category for all other shareholders.

7.3 As defined in Regulation 2(i)(n) of the Buyback Regulations, a **'small shareholder'** means a shareholder of a company, who holds shares or other specified securities whose market value, on the basis of closing price of shares or other specified securities, on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such security is recorded, as on record date is not more than ₹ 2,00,000/- (Rupees Two lakhs Only).

7.4 In accordance with the proviso to Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% (Fifteen per cent) of the number of Equity Shares which the Company proposes to Buyback, or number of Equity Shares entitled as per shareholding of small shareholders as on Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the small shareholders as part of this Buyback.

7.5 On the basis of shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Seller to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Seller will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Seller as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Seller belongs.

7.6 In order to ensure that the same Eligible Seller with multiple demat accounts/folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Equity Shares held by such Eligible Seller with a common Permanent Account Number ("**PAN**") shall be clubbed together for determining the category (small shareholder or General) and entitlement under the Buyback. In case of joint shareholding, the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical shall be clubbed together. In case of Eligible Sellers holding physical shares, where the sequence of PANs is identical and where the PANs of all joint shareholders are not available, the Registrar will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and name of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, insurance companies, foreign institutional investors/foreign portfolio investors etc. with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes/sub-accounts and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the Registrar as per the shareholder records received from the depositories. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body - broker" as per the beneficial position data as on Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

7.7 Shareholders' participation in the Buyback will be voluntary. Eligible Sellers can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding post Buyback, without additional investment. Eligible Sellers may also tender a part of their entitlement. Eligible Sellers also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Shareholders, if any.

7.8 The maximum tender under the Buyback by any Eligible Seller of the Company cannot exceed the number of Equity Shares held by such Eligible Seller of the Company as on the Record Date.

7.9 The Equity Shares tendered as per the entitlement by the Eligible Seller as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buyback Regulations.

7.10 Detailed instructions for participation in the Buyback (tendering of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Sellers. Eligible Sellers which have registered their email ids with the depositories/the Company, shall be dispatched the Letter of Offer through electronic means. If Eligible Sellers wish to obtain a physical copy of the Letter of Offer, they may send a request to the Company or Registrar at the address mentioned at para 8 or 9 below.

Eligible Sellers which have not registered their email ids with the depositories/the Company, shall be dispatched the Letter of Offer through physical mode.

8. **INVESTOR SERVICE CENTRE AND COMPLIANCE OFFICER**

The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:

Name	Mr. Pradeep Joshi
Designation	Company Secretary
Address	Welspun House, 5th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.
Tel.	+91 22 6613 6000
Email id	companysecretary_wcl@welspun.com

In case of any clarifications or to address investor grievance, the Shareholders may contact the Company Secretary on any working day (except Saturday, Sunday and Public Holidays) between 2:00 p.m. and 4:00 p.m.

9. **REGISTRAR TO THE BUYBACK**

The Company has appointed the following as the Registrar to the Buyback:

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
Address : C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India
Contact Person : Mr. Sumeet Deshpande
Phone : +91 22 4918 6200
Fax : +91 22 4918 6195
Email: welspuncorp.buyback@linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058

In case of any query, the Shareholders may contact the Registrar, from Monday to Friday between 10 am to 5 pm on all working days except public holidays at the above mentioned address.

10. **MANAGER TO THE BUYBACK**

The Company has appointed the following as Manager to the Buyback:

AXIS CAPITAL LIMITED
Address: 1st Floor, Axis House,
C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg,
Worli, Mumbai - 400025
Phone: +91 22 4325 2183
Fax: +91 22 4325 3000
Contact Person: Mr. Sagar Jatakiya
Email: wcl.buyback2019@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
SEBI Registration Number: INM000012029

11. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for all the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of **Welspun Corp Limited**

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Vipul Mathur **Managing Director& CEO**	**Mr. S. Krishnan** **Executive Director & CEO (PCMD)**	**Mr. Pradeep Joshi** **Company Secretary**
DIN: 0007990476	**DIN: 02592194**	**Membership No. FCS-4959**

Date : June 25, 2019
Place : Mumbai

PRESSMAN

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ब्रह्मपुत्र वैल्ली फर्टीलाईजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
में
निदेशक (वित्त)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **27 अगस्त, 2019** (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD.
Office of the Dy. Project Manager, Mechanical Unit-I,
Aishbagh, Lucknow - 226 004, email : mu1lucknkow@gmail.com
No. 245/MU-1/E-Tender/19-20 Dt. 25/06/2019

Short Term Tender Notice

E-Tenders are hereby invited from the firm registered with GST Bridge Corporation and having experience in the repair of crane so as to reach this office latest by **3.00 P.M.** on **26.06.2019** for the supply/Repair of Japani crane 335 AS CSN 103069 The E-tenders shall be opened on the same day at 3.30 P.M. in presence of E-tenderer's present at time of opening. E-Tender documents can be purchased from the office of the undersigned on any working day upto **04.07.2019** on **12.30 P.M.** at the cost of Rs. 1000/- + 18% GST.

(Ashok Tiwari),
Dy. Project Manager (M)

बी एण्ड आर B AND R
ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
द्वितीय तल, जेवीएल प्लाजा, नं0 626, अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है :

क्र0 सं0	कार्य का विवरण तथा निआसू सं0	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	बिहार एवं उत्तराखंड में संस्थापित लेड लाइट के प्रकाश नियंत्रण हेतु सीसीएमएस/ सीसीएमएस बॉक्स आधारित स्मार्ट मीटर/ अन्य संबंधित स्ट्रीट लाइट नियंत्रित प्रौद्योगिकी की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन व प्रचालन, जांच तथा अनुरक्षण। निआसू सं0 : बी एंड आर/ एमडीएस/ 71107/ ईईएसएल/ एनआईटी-सीसीएमएस/ बीआर एंड यूके दिनांक 21.06.2019	21.06.2019	01.07.2019

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

TATA
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत)
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 20829794 (कुलदीप कुमार कान्त)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा कर लिया गया है, की 1. कुलदीप कुमार कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 2. संजय कान्त मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 3. मीनाक्षी कान्त मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 4. रूप राज बैंक्वट एंड रेस्ट्रोबार, द्वारा उसके पार्टनर, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, साथ ही: 1 बीडब्ल्यू 196, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 5. विमल कुमार कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 6. सारिका कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, 7. ज्योति कान्त, मकान सं. 1 बीडब्ल्यूएच-23, ब्लॉक बी पार्क, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 से 4 मार्च, 2019 को रु. 3,03,94,389.55 की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर 29 जुलाई, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 14 मार्च, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 3,03,94,389.55/- की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 29 जुलाई 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त 28 जुलाई, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य रु. / धरोहर राशि रु.
पंजीकृत कॉन्वीयन्स डीड तिथि 31.03.2016, विधिवत पंजीकृत दस्ता. सं. 346, बुक नं. 1, 8.4.2016 को पंजीकृत के अनुसार एच. नं.-1बी/196, एनएच-1, एनआईटी, फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, क्षेत्रफल 174 वर्ग गज, सम्पत्ति सं. 1-बी-196, क्षेत्रफल माप 223 वर्ग यार्ड्स तथा भूमि माप 174 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति सं. 1-बी-196के समीप, कुल क्षेत्रफल माप 407 वर्ग यार्ड्स जो न्यू टाउनशिप फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित है। उत्तरः मकान सं. 1-बी/195, दक्षिणः मकान सं. 1-बी/197, पूर्वः रोड तथा खाली प्लॉट, पश्चिमः मकान सं. 1-बी/38	सांकेतिक	रु. 4,96,00,000/- / रु. 49,60,000/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज एवं लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रतिभूत ऋण की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 29 जुलाई, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो प्राधिकृत अधिकारी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का **निरीक्षण 11 जुलाई, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक** किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्य, ई-मेलः Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली हस्ता./-
तिथिः 26.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
आईएनसी-26
केन्द्र सरकार
नैगम कार्य मंत्रालय,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
अमित्रा हैबिटेक हॉस्पिटालिटी सर्विसेज प्रा.लि. (CIN-U55101DL2011PTC212398)
पंजीकृत कार्यालय 304, एम्पायर अपार्टमेंट, एम.जी. रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030
..... **याचिकादाता**

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा बुधवार, **5 जून, 2019** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन, केन्द्र सरकार (शक्तियां क्षेत्रीय निदेशक को प्रति निधानित) के समक्ष, प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित तथा आवेदन के विरोध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या क्षेत्रीय निदेशक, नैगम कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्नवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भिजवाई जानी चाहिएः
304, एम्पायर अपार्टमेंट, एम.जी. रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030

कृते एवं हिते
अमित्रा हैबिटेक हॉस्पिटालिटी सर्विसेज प्रा.लि.
हस्ता/-
संजीव कुमार
निदेशक
डीआईएनः00156380
स्थानः दिल्ली पताः ई-71, सेक्टर-39,
दिनांकः 25.06.2019 नोएडा-उ.प्र.

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
CIN : L15133UR1990PLC023970
पंजी. कार्या.: लाल तप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पो. ओ. रेशम मांजरी, हरिद्वार रोड, देहराडून (उत्तराखण्ड), **फोन :** +91-135-2499262, **फैक्स :** +91-135-2499235
वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, **इमेल :** secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्क्युलर तिथि 06/11/2018 अर्थात SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी के लिए अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल की गई है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की आपति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी कों लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपति भेजें, जिसमें विफल रहनें पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वितीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उतरदायी नहीं होगी।

फोलियो सं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
19099	36099	6709801 - 6709900	अमित गंगवाल रूप चंद गंगवाल	राजीव गुप्ता	100
25726	42726	7372501 - 7372600	मोहित कुमार बाफना	राजीव गुप्ता	100

बोर्ड के आदेश द्वारा
हस्ता./-
(राजेश धीर)
कम्पनी सचिव
FCS No. : 3060
स्थान : नोएडा पताः ए-64, ऑर्डनैन्स अपार्टमेन्ट्स, ब्लॉक-एच,
तिथि : 25.06.2019 विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

प्रकाशन सूचना
टी0ए0 संख्या 220 वर्ष 2018 में
(डीआरटी, लखनऊ का पुराना ओ0ए0 संख्या 816/2016)
ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम 1993 की धारा 19 की उपधारा (4) जोकि समय समय पर संशोधित ऋण वसूली प्राधिकरण, (प्रक्रिया) 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पढ़ा जाए, के अंर्तगत सम्मन
डायरी संख्या 69 **दिनांकः 11.06.2019**
पंजाब नैशनल बैंक बनाम श्रीमती रेखा गोयल एवं अन्य
सेवा मे,
1. **श्रीमती रेखा गोयल, पत्नी स्व0 कुलभूषण गोयल,** 558, गली नं0 सी- 15, टर्नर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
द्वितीय पताः गली नं0 4, चमन विहार, **देहरादून, उत्तराखण्ड**
2. **निशा गोयल, पत्नी रवि गोयल,** गली नं0 4, चमन विहार, देहरादून, उत्तराखण्ड

कृपया ध्यान दें कि **ओ0ए0 संख्या 816/2016** आवेदक बैंक द्वारा अपने **रू026,83,446.56/- की ऋण वसूली के लिए** डीआरटी, लखनऊ में आपके विरूद्ध लंबित थी, जिसे 16 फरवरी 2017 को Gazette Notification S.O. 454 (E) दिनांकित 15.02.2017, S.O.784 (E) दिनांकित 23.02.2018, एवं Corrigendum Gazette Notification S.O. 816(E) दिनांकित 27.02.2018 द्वारा डीआरटी, देहरादून को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित वाद को **टी.ए. संख्या 220/2018** अंकित किया गया हैं तथा माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के समक्ष **10.06.2019** को सूचीबद्ध किया गया था।

जहां तक कि ट्रिब्यूनल की संतुष्टि के लिए यह बता दिया गया है कि साधारण प्रक्रिया से आपको सम्मन सर्व करना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन के माध्यम से यह सूचना जारी की जा रही है, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप **दिनांक 27.07.2019** को प्रातः **10:30** बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट अथवा विधिक प्रेक्टिशनर के माध्यम से उपस्थित हों।
कृपया नोट करें कि निर्धारित दिन एवं समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते है, तो मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर लिया जाएगा।
सम्मन **जून 2019 के 11वें** दिन अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के अधीन जारी किया जाता है।

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (प्रभारी), ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, **CIN No. U67190MH2008PLC187552**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रवाधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
9204697 एवं 9452493	श्री मनीश कुमार श्रीवास्तव (ऋणधारक) एवं श्रीमती कृष्णलता श्रीवास्तव (सह-ऋणधारक)	22 मार्च, 2019 को रु. 13,54,633/-	21 जून, 2019
प्रतिभूत परिसम्पति/ अचल सम्पत्तियों का विवरणः राई बरेली रोड स्कीम, लखनऊ, उ.प्र.-226002 में शारदा नगर योजना, वार्ड-शारदा नगर के रजनी खंड में स्थित मकान सं. 6/77 का सभी भाग तथा हिस्सा, क्षेत्रफल माप 30 वर्ग मी., चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः मकान सं. 6/86, पश्चिमः 6मी. चौड़ी सड़क, उत्तर मकान सं. 6/76, दक्षिणः मकान सं. 6/78			
9925392	श्रीमती उषा शुक्ला (ऋणधारक) एवं श्रीमती मालती मिश्रा (सह-ऋणधारक)	18 मार्च, 2019 को रु. 9,90,215/-	21 जून, 2019
प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों का विवरणः जुगज विहारी, वार्ड फैजुल्लागंज, लखनऊ, उ.प्र.-226020 में स्थित खसरा नं. 419, 420 एवं 445 के भाग में प्लॉट नं. 21 पर निर्मित आवासीय मकान सं. 537बी/025/पी-19-20 के साथ भूमि, क्षेत्रफल माप 151.022 वर्ग मी.। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः प्लॉट नं. 19 एवं 20, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।			

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए
तिथिः 26.06.2019 हस्ता./-
स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
आस्ति वसूली प्रबंध शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्रा भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110125, फोनः 011-25854371
ईमेलः bo4168@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र जनसत्ता हिन्दी समाचारपत्र में दिनांक **20.06.2019** को प्रकाशित हुए अचल संपत्ति के बिक्री की सूचना के सन्दर्भ में है। जिसमें बिक्री की तिथि **18.07.2019** प्रकाशित हो गई है। इसे परिवर्तित करके **29 जुलाई 2019** किया गया है। अन्य सभी नियम व शर्ते यथावत रहेंगी।
स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक 25.06.2019 पंजाब नेशनल बैंक

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन करने के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
एम्पायर कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1984PTC017613) जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए-3/58-59, न्यू कोण्डली, दिल्ली-110096 में है, के मामले में
---- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 25 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
पंजीकृत कार्यालयः ए-3/58-59, न्यू कोण्डली, दिल्ली-110096
आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
एम्पायर कन्टेनर्स प्राईवेट लि. के लिए
हस्ता./-
तिथिः 25.06.2019 **विपिन वर्मा (निदेशक)**
स्थानः नई दिल्ली **DIN: 00275389**

स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि ब्रह्मलीन

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 25 जून।

देश के आध्यात्मिक जगत की बड़ी हस्ती भारत माता जनहित ट्रस्ट के परमाध्यक्ष पद्मभूषण, निवर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि का मंगलवार तड़के चार बजे निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस अपने आश्रम भारत माता मंदिर संतकुटी में ली। वे देश के शीर्ष संतों में गिने जाते थे और भानु पूरा पीठ के निवर्तमान शंकराचार्य और श्रीनिरंजनी पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे। उन्हें दो साल पहले भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया था। 88 साल के स्वामी सत्यमित्रानंद के निधन से दशनामी संन्यासी परंपरा के एक युग का अंत हो गया है।

देश के शीर्ष संतों में शुमार, वेद पुराणों के प्रकांड विद्वान, ओजस्वी वक्ता स्वामी सत्यमित्रानंद ब्रह्मलीन हो गए। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। दो दिन पहले उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल से उनके आश्रम में ही अस्थायी आइसीयू बनाकर लाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके देश के कई प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और राजनेताओं से संबंध थे। उनका सभी धर्मों के धर्माचार्य सम्मान करते थे। उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर दौड़ गई।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, योग गुरु स्वामी रामदेव समेत देश के कई राजनेताओं और धर्माचार्यों ने श्रद्ध-ांजलि दी और उन्हें देश का शीर्ष संत बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी सत्यमित्रानंद के ब्रह्मलीन होने पर राज्य में बुधवार को एक दिन के राजकीय शोक का एलान किया है। बुधवार को प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट किया

देहरादून, 25 जून (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं एवं धार्मिक गुरुओं ने प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज निधन पर शोक प्रकट किया है और उनके निधन को अध्यात्म जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों तथा गरीबों की सेवा

बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा के मामले में फिसड्डी : नीति आयोग

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मोर्चे पर पिछड़े बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडीशा एक नई तुलनात्मक रिपोर्ट में पहले से अधिक फिसड्डी साबित हुए हैं। इसके विपरीत हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में हालात में उल्लेखनीय रूप से सुधरा है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से तैयार नीति आयोग की 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग से यह बात सामने आई है। इस रपट में इंक्रीमेंटल रैंकिंग यानी पिछली बार के मुकाबले सुधार के स्तर के मामले में 21 बड़े राज्यों की सूची में बिहार 21वें स्थान के साथ सबसे नीचे है। इसमें उत्तर प्रदेश 20वें, उत्तराखंड 19वें और ओड़िशा 18वें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ वर्ष 2015-16 की तुलना में 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का संपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक 6.35 अंक गिरा है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन सूचकांक में 5.08 अंक, उत्तराखंड 5.02 अंक और ओड़िशा के सूचकांक में 3.46 अंक की गिरावट आई है।

यह रैंकिंग 23 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। इन संकेतकों को स्वास्थ्य परिणाम (नवजात मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के समय स्त्री-पुरूष अनुपात आदि), संचालन व्यवस्था और सूचना (अधिकारियों की नियुक्ति अवधि आदि)और प्रमुख इनपुट / प्रक्रियाओं (नर्सों के खाली पड़े पद, जन्म पंजीकरण का स्तर आदि) में बांटा गया है।

यह दूसरा मौका है जब आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिग की है। इस तरह की पिछली रैंकिग फरवरी 2018 में जारी की गई थी। उसमें 2014-15 के आधार पर 2015-16 के आंकड़ों की तुलना की गई थी। इस रिपोर्ट में पिछले बार के मुकाबले सुधार और कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तीन श्रेणी में की गई है। पहली श्रेणी में 21 बड़े राज्यों, दूसरी में आठ छोटे राज्यों और तीसरी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है।

सूचकांक में सुधार के पैमाने पर हरियाणा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। उसके 2017-18 के संपूर्ण सूचकांक में 6.55 अंक का सुधार आया है। उसके बाद राजस्थान (दूसरा), झारखंड (तीसरा) और आंध्र प्रदेश (चौथे) का स्थान रहा। छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले पायदान पर रहा। उसके बाद मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड का स्थान रहा। इसमें सबसे फिसड्डी अरूणाचल प्रदेश (आठवें), सिक्किम (सातवें) और गोवा (छठे) का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर व नागर हवेली और चंडीगढ़ में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लक्षद्वीप सबसे नीचे और दिल्ली पांचवें स्थान पर है। संदर्भ वर्ष की संपूर्ण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे निचले 21वें स्थान पर है। उसके बाद बिहार, ओड़ीशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। वहीं शीर्ष पर केरल है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान हैं।

रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा-यह एक बड़ा प्रयास है,.जिसका मकसद राज्यों को महत्त्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा के लिये प्रेरित करना है। आयोग के सदस्य डा. वीके पॉल ने कहा- स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी काफी काम करने की जरूरत है...इसमें सुधार के लिए स्थिर प्रशासन, महत्वपूर्ण पदों को भरा जाना और स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की जरूरत है।

नई वाणिज्य नीति साल भर के अंदर : गोयल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

सरकार एक साल के अंदर राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति जारी कर देगी। इस नीति से इंटरनेट से आनलाइन मंच के जरिए होने वाले कारोबार का समग्र विकास करने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-वाणिज्य कंपनियों सहित विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ लगातार दूसरे दिन चली बैठक के दौरान यह बात कही।

सूत्रों के मुताबिक अगले 12 माह के दौरान एक राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति लाने के लिए संस्थागत रूपरेखा बनाई जाएगी। सरकार ने इससे पहले फरवरी में राष्ट्रीय ई-कामर्स नीति का मसौदा जारी किया था। इसमें सीमा पार आंकड़ों और जानकारी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए वैधानिक और प्रौद्योगिकी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।

इसके साथ ही इसमें कारोबारियों के लिए संवेदनशील आंकड़ों और जानकारियों को स्थानीय स्तर पर जुटाने और उसका प्रसंस्करण करने व विदेशों में उसे रखने को लेकर नियम और शर्तें भी रखी गए थीं।

इंटरनेट के जरिए आनलाइन कारोबार करने वाली कई विदेशी ई-वाणिज्य कंपनियों ने नीति के मसौदे में दिए गए कुछ बिंदुओं को लेकर चिंता जताई थी। उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के तहत एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ई-वाणिज्य नीति के मसौदे को लेकर संबद्ध पक्षों की शिकायतों का समाधान करेगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में यह भी कहा कि ई-वाणिज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जिक्र करने वाले प्रेस नोट-2 अपने आप में चीजों को पूरी तरह स्पष्ट करता है और इस मामले में सरकार ने मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। बैठक में भाग लेने वाली कंपनियां भी इससे सहमत हैं।

गोयल ने बैठक में यह भी साफ किया कि आंकड़ों और ई-वाणिज्य के मुद्दे पर भारत पूरी दुनिया के साथ जुड़ाव रखना चाहता है, लेकिन इस मामले में एक-दूसरे की तरफ से बराबरी का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है।

बैठक में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नेपडील, पेटीएम, ईबे, मेकमाइट्रिप, स्वैगी और अन्य कंपनियां मौजूद थीं। इस मामले में खुदरा और ई-वाणिज्य कंपनियों से मंत्री की एक दौर की बैठक होगी जिसमें उनकी समस्याओं का आगे और समाधान हो सकेगा। ई-वाणिज्य कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जीएसटी और छूट से जुड़े मुद्दों को बैठक में उठाया। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि देश में गतिशील ई-वाणिज्य बाजार और डिजिटल भारत बनाने के उद्देश्य से सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की कंपनी सराहना करती है। वालमार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि व्यावसायिक जगत के साथ मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की जा रही बैठकों का कंपनी स्वागत करती है।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VI
दिल्ली जल बोर्ड, जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024
सम्पर्क सं. 011-29818103
एनआईटी सं. 01 (2019/20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/ धरोहर राशि/अप्रतिदेय निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा डाउनलोड प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	2.5 एमजीडी डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस तथा कनेक्टेड राइजिंग मैन्स के निर्माण द्वारा लाडो सराय एवं आस-पास के क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली का सुधार (पुनर्आमंत्रित) सिविल कार्य ईएंडएम कार्य निविदा आईडीः 2019_DJB_174909_1	लम्पसम रु. 15,90,000/- रु. 1500	24.6.2019	19.7.2019 के 2.45 अप. 19.7.2019 के 3.00 बजे अप.

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2018-19/101
हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VI

मानसून की प्रगति में सुधार से शेयर सूचकांक 312 अंक उछला

मुंबई, 25 जून (भाषा)।

मानसून की प्रगति में तेजी से सुधार आने से उत्साहित निवेशकों की लिवाली समर्थन से स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी दर्ज की गई। कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में नरमी की खबर से भी बाजार धारणा को बल मिला।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 311.98 अंक के उछाल के साथ 39,434.94 अंक यानी 0.80 फीसद पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 96.80 अंक यानी 0.83 फीसद की गिरावट के साथ 11,796.45 अंक पर बंद हुआ।

आरआइएल के शेयर में 2.63 फीसद की सर्वाधिक बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, पावरग्रिड, एचडीएफसी ट्विंस, भारती एअरटेल, एमएंडएम, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ और बजाज फाइनेंस के शेयर में 2.51 फीसद तक की तेजी देखने को मिली। वहीं येस बैंक, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, टेकएम, एचयूएल, टीसीएस, एलएंडटी, हीरो मोटोकॉर्प और एचसीएल टेक के शेयर में 1.70 फीसद तक की गिरावट देखने को मिली।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के बुनियादी शोध विभाग (निवेश सेवाओं) के प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि मॉनसून के आधे भारत पर छाने और इस सप्ताह मध्य और पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने के लिहाज से परिस्थितियों के अनुकूल होने संबंधी मौसम विभाग के बयान के बाद बाजार शुरुआती गिरावट से उबरा है।

उन्होंने कहा- बैंकिग, धातु और रीयल इस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की लिवाली से दोपहर के सत्र में धारणा और मजबूत हुई। इसी बीच शंघाई, हांगकांग, तोक्यो और सिओल में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं शुरुआती कारोबार में यूरोप के बाजार में भी गिरावट का रुख देखने को मिल रही थी।

वायदा बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल 0.36 फीसद की गिरावट के साथ 63.95 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

कब्जा सह नीलामी बिक्री सूचना DCB BANK
वित्तीय परिसम्पत्ति तथा सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का लागू के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण अन्तर्गत बैंक हेतु शुल्क अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋणप्राप्तकर्ता एवं विशेष में प्रत्याभूतिदाताओं हेतु सूचना प्रदान की जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. दिल्ली हेतु रेहन प्रस्तुत सम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण तथा सुरक्षा अधिनियम, 2002 का लागू के प्रावधान अन्तर्गत तिथि 19.06.2019 के अन्तर्गत अधिकार ग्रहण सम्पत्ति निम्नलिखित देयकों की वसूली हेतु निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी तथा आगे ब्याज, शुल्क तथा लागत इत्यादि जैसा कि निम्नलिखित विवरण अनुसार है तथा सम्पत्ति जैसा है तथा जहाँ है तथा बिना किसी आश्रय आधार में बिक्री की जाएगी यह सूचना अंकित तिथि में नीलामी-सह-बिक्री के आयोजन कार्य के विषय में उपरोक्त कथित ऋण के प्रत्याभूतिदाता तथा ऋण प्राप्तकर्ता हेतु एक सूचना भी है यदि उनकी शेष बकाया देयक राशियों पूर्ण रूप में पुनः नहीं चुकाई गई है:

ऋणप्राप्तकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाताओं का नामः गुप्ता न्यूजपेपर एवं मैग्जीन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रवीन कुमार गुप्ता, मिनाक्षी गुप्ता

बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण : दुकान नं० -72/A, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं०-72 बालुपुरा कॉलोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201005

सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ई.एम.डी.)	निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय
रु. 17,10,000/- (रु. सत्तरह लाख दस हजार मात्र)	रु. 1,71,000/- (रु. एक लाख इकहत्तर हजार मात्र)	तिथि 19.07.2019 प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे	तिथि 30.07.2019 प्रातः 12:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक

शेष बकाया राशिः रु. 16,36,548.89/- (रु. सोलह लाख, छत्तीस हजार, पाँच सौ अड़तालिस तथा पैसे नवासी मात्र) तिथि 20.06.2019 अनुसार

प्रस्ताव कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कथित सम्पत्ति के क्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं से मुहरबन्द आवरण में **डीसीबी बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में धरोहर राशि** हेतु मांग देय प्रपत्र के साथ कार्यालय डीसीबी बैंक लि. 7/56, तृतीय मंजिल, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110055 में **तिथि 29.07.2019 में अप. 6:30 बजे अथवा पूर्व** प्रेषित कर सकते है तथा मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि 30.07.2019 में अप. 12:30 बजे खोले जाएंगे तथा धरोहर राशि बिना ब्याज राशि के बिना वापिस योग्य है यदि बोली सफलता पूर्ण नहीं है तथा इच्छुक क्रेतागण उपरोक्त अंकित तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है तथा जिसके हेतु वह सम्पर्क कर सकते है **श्री श्यामसुन्दर चण्डोक या श्री मयंक दत्त चौधरी** (011-45016060/ 45016055) धरोहर राशि बिना प्रस्ताव संक्षिप्त रूप में निरस्त कर लिए जाएंगे तथा कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु इसका बिना कोई कारण निरूपित किए बिक्री को भंग/अगली तिथि तक स्थगित अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित है तथा यदि प्रस्ताव है क्रेता हेतु 25% राशि धरोहर राशि शीघ्रता से बिक्री मूल्य की राशि शामिल करके जमा करना होगा तथा यदि वह उक्त की जमा राशि जमा करने हेतु असफल है धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति आगे पुनः बिक्री की जाएगी तथा क्रय मूल्य की शेष राशि बिक्री की प्रमाणिकता की तिथि से 15 दिन में अथवा पूर्व भुगतान करना होगा तथा उल्लेखित अवधि के अन्दर-अन्दर भुगतान में असफल रहने के मामले में धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति पुनः बिक्री की जाएगी तथा कोई अन्य वैधानिक देयक/कर/टिकट शुल्क/पंजीकरण शुल्क/हस्तांतरण कार्य शुल्क है पृथक रूप से क्रेता द्वारा वहन करना होगा।

SARFAESI अधिनियम, 2002 अन्तर्गत बिक्री सूचना के वैधानिक 30 दिवस
एतद्द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता/प्रत्याभूतिदाता हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ई-मेल नीलामी की तिथि से पूर्व सहायक तथा अधिनस्थ व्यय शामिल करके उपरोक्त अंकित अनुसार राशि का भुगतान कीजिए तथा जिसमें असफल रहने में सम्पत्ति नीलाम की जाएगी तथा शेष देयक, यदि कोई है, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल किए जाएंगे।

हस्ता./-
तिथिः 26.06.2019 अधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद डीसीबी बैंक लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन-L74899DL1960GOI003335
महाप्रबंधक का कार्यालय, एनआईटी वर्क्स, बकोली क्रॉसिंग के समीप, गांव बकोली, अलीपुर, दिल्ली-110036
निविदा आमंत्रण सूचना
एनआईटी सं. : एनबीसीसी/एसबीजी/एनआईडीएम/पैकेज-II/2019/01 दिनांक : 26.06.2019
एनबीसीसी (इंडिया) लि. **"एनआईडीएम परिसर, सेक्टर-29, रोहिणी, दिल्ली-110085 हेतु पैकेज-II के अंतर्गत फर्नीचर कार्य की आपूर्ति, स्थापना, और कमीशनिंग"** के लिए एनआईटी के खंड संख्या 2.0 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य आवेदकों से ऑनलाइन प्रतिशत दर खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत : ₹3,17,04,061.00 । निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 09.07.2019 । कार्यपूर्णता अवधि : 2.5 माह। विस्तृत एनआईटी वेबसाइटों www.tenderwizard.com/NBCC और www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध होंगी। इस प्रकाशन के संबंध में शुद्धिपत्र/अनुशेष, यदि कोई होगा, तो केवल उक्त वेबसाइटों पर ही प्रदर्शित किया जायेगा और प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
महाप्रबंधक - एसबीजी (एनआईडीएम)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा, दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **01/03/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री राजीव कुमार पाण्डेय और श्रीमती अमृता पाण्डेय पत्नी श्री राजीव कुमार पाण्डेय,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.14,15,199/ (चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ निन्यानबे रूपये मात्र)** आगे ब्याज एवं शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 20.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.14,15,199/ (चौदह लाख पन्द्रह हजार एक सौ निन्यानबे रूपये मात्र) आगे ब्याज एवं शुल्क के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
न्यू सताब्दीपुरम, नजदीक गौर होम्स, गोविन्दपुरम, गांव-डासना, गाजियाबाद में स्थित श्री राजीव कुमार पांडे एवं श्रीमती अमृता पांडे के नाम पर प्लॉट नं. 71-72, खसरा नं. 12 के अंतर्गत साम्यिक बंधक भूखण्ड के सभी भाग एवं हिस्से, सम्पत्ति का एरियाः 37.156 वर्ग मीटर, **जो घिरा हैः**
उत्तरः प्लॉट नं. 73 **दक्षिणः** प्लॉट नं. 71-72 का भाग
पूर्वः प्लॉट नं. 71-72 का भाग **पश्चिमः** 18 फीट चौड़ी रोड
स्थानः गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 20.06.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

CITATION
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
TESTAMENTARY AND INTESTATE JURISDICTION
PETITION NO. 54 OF 2019

Petition for Probate of the last Will and Testament of LATE MRIDULA KRISHNA alias MRIDULA SUBODH KRISHNA Hindu, Indian Inhabitant, of Mumbai, married, Occupation - Consultant, resided at the time of her death at B - 3 Mewawala Apartment, St. Mary Road, Vile Parle (West), Mumbai 400056 ... Deceased.

1. SURENDRANATH JAGGANATHAN VUKKADALA Age 70 years, Occupation – Business, Hindu, Indian Inhabitant, of Mumbai, residing at Flat No.1, Raskapur Apartment, Sarojini Road Vile Parle (W), Mumbai 400056
2. MUKESH DILIP MEHTA Age 68 years, Occupation – Business Hindu, Indian Inhabitant, of Mumbai residing at A/23 Ocean Gold, Twin Tower Lane Prabhadevi, Mumbai 400025
3. ARUNKUMAR LAXMIDAS VORA, Age 77 years, Occupation – Business Hindu, Indian Inhabitant, of Mumbai, residing at 161, 2nd Floor, S2 Orchid, 5th Main, Defence Colony, Indiranagar, Bangalore 560038,

Being the Joint Executors named in the Last Will and Testament of the deceased abovenamed .....Petitioners

To,
ALL CONCERNED,
If you claim to have any interest in the estate of the abovenamed deceased, you are hereby cited to come and see the proceedings before the grant of Probate.
In case, you intend to oppose the grant of Probate you should file in the Office of the Prothonotary and Senior Master a Caveat within 14 days from the service of this citation upon you.
You are hereby informed that the free legal services from the State Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committees, District Legal Services Authorities and Taluka Legal Services Committees as per eligibility criteria are available to you and in case, you are eligible and desire to avail the free legal services you may contact any of the above Legal Services Authorities/Committees.
WITNESS SHRI PRADEEP NANDRAJOG CHIEF JUSTICE at Bombay, aforesaid this 11th day of June 2019

Sd/- 14/6/2019
For Prothonotary and Senior Master
Sd/-
SEALER
This 18th day of June 2019

Seal

Sd/-
M/s. Vimadalal & Co.
Advocates for Petitioner
3rd fl, 36, Hamam House
Ambalal Doshi Marg, Fort
Mumbai-400 001.
Code:-665
Tel:- 2265 3008,
Email:- vco@vimadalal.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
1st Floor, Bank of Baroda Bhawan, 16, Sansad Marg, New Delhi-110001, Ph: 011-23441501, 02 Fax: 23441503
Email: overse@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property/ies)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Bank of Baroda** under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred under section -13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated **12.03.2019** calling upon the Borrower **Mrs. Nasira Begum W/o Mr. Mohd Kamil, Mr. Mohd. Kamil S/o Mr. Gayasuddin, Mr. Mohd. Mohsin S/o Mr. Mohd. Kamil** to repay the amount mentioned in the said notice being **Rs.46,75,90,479.20 (Rupees Forty Six Crore Seventy Five Lakh Ninety Thousand Four Hundred Seventy Nine and Twenty Paisa Only)** as on **28.02.2019** together with further Interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of Payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to Borrower and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the security Interest Enforcement Rules, 2002, on this the **24th day of June of the year 2019.**
The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the **Bank of Baroda** for an amount of **Rs.46,75,90,479.20 (Rupees Forty Six Crore Seventy Five Lakh Ninety Thousand Four Hundred Seventy Nine and Twenty Paisa Only)** as on **28.02.2019** together with further Interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of Payment.
The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time, available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property
All that part and parcel of the property consisting of Plot no 17 admeasuring 972.84 Sq. yard along with its roof rights situated in Block-205AA at Babar Road, New Delhi now known as 98 Babar Road, New Delhi 110001 in the name of Mrs. Nasira Begum w/o Mr. Mohd. Kamil. **Bounded:** On the North by - by Service Road, On the South by - Main Road Known as Babar Road, On the East by - Plot No 18 Known as 96 Babar Road, On the West by - Plot No. 16 Known as100 Babar Road

Date: 24.06.2019, Place: New Delhi **Authorised Officer, Bank of Baroda**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
1ला तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः 011-23441501, 02, फैक्सः 23441503, ईमेलः overse@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिये)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.3.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती नसीरा बेगम, पत्नी श्री मोह. कामिल, श्री मोह. मोहसिन, पुत्र श्री मोह. कामिल एवं श्री मोह. कामिल, पुत्र श्री गयासुद्दीन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 28.2.2019 को रु. 28,38,67,207.25 (रुपए अट्ठाईस करोड़ अड़तीस लाख सड़सठ हजार दो सौ सात एवं पैसे पच्चीस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत चार्जेज तथा भुगतान की तिथि तक खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/मार्टगैजरों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 28.2.2019 को रु. 28,38,67,207.25 (रुपए अट्ठाईस करोड़ अड़तीस लाख सड़सठ हजार दो सौ सात एवं पैसे पच्चीस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत चार्जेज तथा भुगतान की तिथि तक खर्चे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती नसीरा बेगम, पत्नी श्री मोह. कामिल, श्री मोह. मोहसिन, पुत्र श्री मोह. कामिल एवं मोह. कामिल पुत्र श्री गयासुद्दीन के नाम में प्लॉट नं. 136-136ए, ब्लॉक-250सी, 9, बाबर रोड के नाम से विदित, दिल्ली-110001, माप 575 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तर पूर्वः मैन रोड, दक्षिण पूर्वः प्लॉट नं. 135, उत्तर पश्चिमः प्लॉट नं. 137, दक्षिण पश्चिमः सर्विस लेन।

तिथिः 24.06.2019, स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

भारतीय स्टेट बैंक
स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी शाखा
द्वितीय फ्लोर, अजीत कॉम्पलेक्स, सहारनपुर रोड, देहरादून-248001
अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर वसूली की बकाया राशि एवं अन्य खर्चे व लागत सहित जो नीचे दी गई है के अनुसार नीचे लिखी तिथि को नीलाम की जायेगी, प्रत्येक संपत्ति के लिए रिजर्व मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है *नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट www.sbi.co.in देखें

ऋणी/गारन्टर के नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि 13(2) के अनुसार जो बिक्री बेची जाएगी	अ. रिजर्व मूल्य / ब. ईएमडी (लाख में) / स. बोली वृद्धि राशि
मैसर्स नितिन ट्रेडर्स 166/1, पटेल नगर, मुजफ्फरनगर, 1. संजय कुमार गोयल (प्रो.) 2. श्रीमती रेनू गोयल, श्रीमती कल्पना गोयल एवं दिनेश गोयल (गारन्टर)	आवासीय प्लॉट स्थित खसरा नं0 1093, भारतीय कॉलोनी (रकबा ग्राम कुकड़ा, बाहर हदूद) मुजफ्फर नगर, क्षेत्रफल 168.036 वर्ग मीटर, सम्पत्

आपातकाल में कैद किए लोगों को मिलेगी पेंशन : फडणवीस

अब तक पेंशन के लिए 3,267 आवेदन स्वीकृत किए गए

मुंबई, 25 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जेल भेजा गया था, उन्हें पेंशन और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

फडणवीस ने प्रश्नकाल के दौरान राज्य विधानसभा में कहा कि उन लोगों के लिए पेंशन पैसे से ज्यादा एक सम्मान है, जो आपातकाल के दौरान जेल में रहे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने पेंशन से इनकार किया। लेकिन कुछ लोग अब भी गरीब हैं, जिन्होंने बिना किसी गलती के गिरफ्तार किए जाने के बाद अपनी नौकरियां खो दी थीं।

इससे पहले बचाव व पुनर्वास राज्य मंत्री मदन येरावर ने राकांपा सदस्य अजित पवार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब तक पेंशन के लिए 3,267 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं। इनमें से 1,179 आवेदनों को सौ रुपए के स्टांप पेपर के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिससे यह साबित हो कि आपातकाल के दौरान आवेदक जेल में रहा था।

पवार ने पूछा कि बिना साक्ष्य के पेंशन कैसे दी जा सकती है और इस बात की क्या गारंटी है कि स्टांप पेपर सही हैं। इसके जवाब में येरावर ने कहा कि आवेदनों की छंटनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति कर रही है और केवल सही स्टांप पेपरों को स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और इसमें से 28 से 29 करोड़ रुपए वितरित किया जा चुका है।

आलोचना करने वाले वरिष्ठ पार्टी नेता को बर्खास्त कर सकते हैं दिनाकरण

चेन्नई, 25 जून (भाषा)।

अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) के वरिष्ठ नेता थंगा तमिल सेल्वन के दल-बदलने की अटकलों के बीच टीटीवी दिनाकरण ने मंगलवार को कहा कि कभी उनके करीबी रहे सहयोगी को बर्खास्त किया जाएगा।

थंगा तमिल सेल्वन के कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उन्होंने यह घोषणा की है। ऑडियो क्लिप में सेल्वन दिनाकरण की कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे थे। राज्य में 18 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही दोनों के बीच तनाव की खबरें थी। सेल्वन जो खुद भी थेनी से चुनाव हार गए थे, उनके

शिकायत मिलने के बाद थंगा तमिल सेल्वन को फटकार लगाई थी

पार्टी छोड़ने की भी खबरें थीं।पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद दिनाकरण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि पूर्व विधायक के खिलाफ कुछ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने थंगा तमिल सेल्वन को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि उन्हें प्रचार सचिव के पद से हटाया जा सकता है... मुझे उन्हें हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगामी हफ्तों में, हम चिनम्मा (अपदस्थ अन्नाद्रमुक नेता वी के शशिकला) से बंगलुरु जेल में मिलने के बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों की सूची जारी करेंगे।' शशिकला दिनाकरण की बुआ हैं जो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में चार साल की सजा काट रही हैं। यह पूछे जाने पर कि थंगा तमिल सेलवन को सिर्फ उनके पद से हटाया जाएगा या प्राथमिक सदस्यता से तो इस पर दिनाकरण ने कहा, 'इसमें सबकुछ शामिल है।'

एक करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त

चेन्नई, 25 जून (भाषा)।

चेन्नई हवाईअड्डे पर श्रीलंका के एक नागरिक के पास से 99.5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। सीमा शुल्क विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक खुफिया सूचना के आधार पर कोलंबो से आने वाले यात्री के पास मुद्रा होने के बारे में संदेह पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। सीमा शुल्क ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसके अस्पष्ट जबाव पर अधिकारियों ने उसके सामान की तलाशी ली जिसमें 99.50 लाख रुपए मूल्य का यूरो, कुवैती दीनार और यूएई दिरहम बरामद किया गया।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीमा शुल्क कानून 1962 के प्रावधानों के तहत उसके पास से मुद्रा बरामद की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानाडे का निधन

पणजी, 25 जून (भाषा)।

दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानाडे का मंगलवार सुबह पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। परिवार के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। वह 90 साल के थे।

उनके मित्र और गोवा में रहने वाले इतिहासकार संजीव सरदेसाई नें संवाददाताओं को बताया कि रानाडे कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने सुबह करीब साढ़े पांच बजे अंतिम सांस ली। पुर्तगाली पुलिस ने 1955 में रानाडे को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें पुर्तगाल में लिस्बन के पास कैक्सियस के किले में कैद कर दिया गया।

गला दबाकर नहीं, गले लगाकर बोला जा सकता है जय श्रीराम : नकवी

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

झारखंड में 24 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को जघन्य अपराध करार देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि लोगों का गला दबाकर नहीं, बल्कि गले लगाकर 'जय श्रीराम' का नारा लगाया जा सकता है।

हज कोआर्डिनेटर, हज असिस्टेंट आदि के दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि झारखंड की घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

बलात्कार मामले में युवक को सात साल सश्रम कारावास

ठाणे, 25 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 31 वर्षीय व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में अभियुक्त मनीष उर्फ मशाल गंगाराम शिंघे पर 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अभियुक्त पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसने 16 वर्षीय छात्रा के साथ दोस्ती की जो उसी इलाके में रहती थी। वह पीड़िता को फोन करता था और उसके घर भी जाता था, जिस पर उसके माता-पिता को आपत्ति थी। 29 मार्च, 2013 को जब लड़की अपनी बहन के साथ घर लौट रही थी उसी समय आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे जबरन अपने दोपहिया वाहन पर बैठा कर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसने किसी से भी घटना का खुलासा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बाद में आरोपी के एक दोस्त ने लड़की को घर छोड़ दिया।

लड़की के माता-पिता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

मौसम विभाग ने मुंबई और गुजरात में मानसून पहुंचने की घोषणा की

मुंबई/गुजरात, 25 जून (भाषा)।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने मंगलवार को मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की घोषणा की, जहां अत्यधिक आर्द्रता के साथ बारिश होने में देरी से पानी की किल्लत की आशंका बढ़ गई है।

साथ ही आइएमडी ने गुजरात में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी है, जहां राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में बौछारें पड़नी शुरू हो गई हैं। मुंबई में मानसून आमतौर पर हर साल 10 जून को पहुंच जाता है, लेकिन इस साल दो सप्ताह गुजर जाने पर भी उसकी कोई खबर नहीं है। पिछले 10 साल में यह पहला मौका है जब मानसून इतनी देरी से आ रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग मुम्बई के उप महानिदेशक एस होसलीकर ने ट्वीट किया, 'आइएमडी की तरफ से आज पूरे महाराष्ट्र को कवर करते हुए मुंबई में मानसून के शुरू होने की घोषणा।' वहीं नागरिक निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि यदि मानसून मंगलवार को तय तिथि पर मुंबई नहीं पहुंचता तो लोगों को एक बार फिर पानी की कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, अमदाबाद में आइएमडी निदेशक जयंत सरकार के अनुसार मानसून दक्षिण सौराष्ट्र पहुंच गया है और देश के बाकी हिस्सों में भी जल्द पहुंच जाएगा। सरकार ने कहा, 'मानसून आज गुजरात पहुंच गया। 'नर्दन लिमिट ऑफ मानसून' (एनएलएम) उत्तरी सीमा अरब सागर से गुजर रहा है। मानसून दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून जल्द ही गुजरात के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा।'

नदी में डंपर गिरने से दो स्कूली बच्चों की मौत

बनिहाल/जम्मू, 25 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में मंगलवार को एक डंपर के सड़क पर फिसलकर चेनाब नदी में गिरने से उसमें सवार दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में चालक और पांच अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा करोल-कुंडी लिंक रोड पर हुआ। उन्होंने बताया कि डंपर का चालक कुंडी गांव की ओर जा रहा था। उन्होंने अपने दो बच्चों समेत स्कूली छात्रों को लिफ्ट दी थी। ये बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि डंपर 400 फुट की गहराई से नदी में गिरा।

प्ररुप सं. आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (झ)छ के खंड (क) छ के मामले मे
और
सारा इन्डिजनस प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 1/6560, यूजीएफ, राइट हैंड साइड, प्लॉट नं. 10, खा नं.-679/310, ईस्ट रोहताश नगर, नियर मंदिर, दिल्ली – 110032 में है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 08.04.2019 को अयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यायल पते पर भी भेजेगा :
1/6560, यूजीएफ, राइट हैंड साइड, प्लॉट नं. 10, खा नं.-679/310, ईस्ट रोहताश नगर, नियर मंदिर, दिल्ली – 110032

आवेदक के लिए और आवेदक ओर से
सारा इन्डिजनस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
सौरभ अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन : 07446465
अपर फ्लोर लाखोटिया कंप्यूटर सेंटर
मौलेश्वरी चौक, सीवान-841226, बिहार

तिथि : 25.06.2019
स्थान : नई दिल्ली

NOTICE

Notice is hereby given that the following sub-broker(s)/Authorized Person(s) is/are no longer affiliated with M/s Religare Broking Limited, (Broking Business of Religare Securities Ltd (RSL) has been transferred and vested in Religare Broking Limited (RBL), pursuant to NCLT order). trading member of NSE /BSE/MSEI with SEBI Registration Numbers - INZ000174330 having registered office at 2nd Floor, Raj lok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019

Trade Name of Sub-broker
Jasleen Singh
NSE Reg. Details
Reg. Date - 15/01/09
Reg. No. - INS236721218
BSE Reg. Details
Reg. Date - 20/04/2009
Reg. No. - INS017306312
MSEI Reg. Details
Reg. Date - 15/04/2013
Reg. No. - 8311
Reg. Office Address
General And Aalied Industries, By Pass, G T Road, Sector 5 U E, Karnal, Haryana - 132001

Any client/constituent/member/ investor/person having any claim/ dispute/grievance with/against above mentioned sub-brokers/APs arising out of trades executed in any Segment of the Exchanges are advised to furnish details of claim in writing to the Arbitration & Investor Grievance Department of the member at the Registered Office address indicated above within 15 days from the date of this notification. No claims/dispute/ grievances filed beyond the said period will be entertained by M/s Religare Broking Ltd. and the above mentioned exchanges.

By Order of Director
M/s Religare Broking Limited
(Mr. Nitin Aggarwal)

ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन सूचना
टी0ए0 संख्या 190 वर्ष 2018 में
(डीआरटी, लखनऊ का पुराना ओ0ए0 संख्या 561/2015)
ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम 1993 की धारा 19 की उपधारा (4) जोकि समय समय पर संशोधित ऋण वसूली प्राधिकरण, (प्रक्रिया) 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पढ़ा जाए, के अंर्तगत सम्मन

डायरी संख्या 79 **दिनांक: 19.06.2019**
पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स सफा मिनरल वाटर एवं अन्य

सेवा मे,
1. मैसर्स सफा मिनरल वाटर, रजिस्ट्रड ऑफिस पर खसरा नं0 995/2, मौजा सेन्ट्रल हॉप टाऊन, तहसील विकासनगर, देहरादून, प्रोपराईटर निसार अहमद, पुत्र पारू शेख
2. निसार अहमद, पुत्र पारू शेख, प्रोपराईटर मैसर्स सफा मिनरल वाटर, खसरा नं0 995/2, मौजा सेन्ट्रल हॉप टाऊन, तहसील विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
द्वितीय पताः निवासी लकड़ी पराओं, कोटद्वार, गढ़वाल, उत्तराखण्ड

कृपया ध्यान दें कि **ओ0ए0 संख्या 561/2015** आवेदक बैंक द्वारा अपने **रू0 88,09,308.37/– की ऋण वसूली के लिए** डीआरटी, लखनऊ में आपके विरूद्ध लंबित थी, जिसे 16 फरवरी 2017 को Gazette Notification **S.O. 454** (E) दिनांकित **15.02.2017, S.O.784 (E)** दिनांकित **23.02.2018,** एवं corrigendum Gazette Notification **S.O. 816** (E) दिनांकित **27.02.2018** द्वारा डीआरटी, देहरादून को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित वाद को **टी.ए. संख्या 190/2018** अंकित किया गया हैं तथा माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के समक्ष **17.06.2019** को सूचीबद्ध किया गया था।

जहां तक कि ट्रिब्यूनल की संतुष्टि के लिए यह बता दिया गया है कि साधारण प्रक्रिया से आपको सम्मन सर्व करना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन के माध्यम से यह सूचना जारी की जा रही है, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप **दिनांक 05.08.2019** को प्रातः **10:30** बजे ट्रिब्युनल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट अथवा विधिक प्रेक्टिशनर के माध्यम से उपस्थित हों।

कृपया नोट करें कि निर्धारित दिन एवं समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते है, तो मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर लिया जाएगा।

सम्मन **जून 2019 के 19वें** दिन अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के अधीन जारी किया जाता है।

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (प्रभारी), ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
कॉनकोर CONCOR एक नवरत्न कंपनी

आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर के माध्यम से)

"सीआईएफएम/तुगलकाबाद, नई दिल्ली में कमरा नं. 106 एवं 107 स्थित डाटा सेंटर के विस्तार का कार्य" हेतु सिर्फ ई-टेन्डर माध्यम से एकल बोली प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) के माध्यम से रु. 1000.00 का ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत बोली दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	कॉन/ठ.डे./अभि./TKD/Data-Centre/2019
अनुमानित लागत	₹ 285.44/- लाख (सभी सहित)
कम्पलिशन पिरियड	स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के 04 माह तक
धरोहर जमा राशि	₹ 2,92,720/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की लागत	₹ 1000/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग फीस	₹ 5,310/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से जो (अप्रतिदेय) है।
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	26.06.2019 को 11:00 बजे से 10.07.2019 को 17:00 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	11.07.2019 को 15:00 बजे तक
ई-निविदा खुलने की तिथि व समय	12.07.2019 को 15:30 बजे

योग्यता अर्हताओं एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से निवेदन है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों को देखें। कॉनकोर किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/ फर्मों से विद्युत पारेषण मंडल, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यों/ आपूर्ति हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल etender.up.nic.in पर दो भागों मे निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा शुल्क आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. तथा धरोहर राशि आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी./ बैंक गारन्टी के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) **Executive Engineer, Electy Tr. Division, Muzaffarnagar के पक्ष में पंजाब नैशनल बैंक की शिव चौक मुजफ्फरनगर** शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 0332002100027440 **(IFSC Code PUNB0033200)** में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी./ बैंक गारन्टी द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथा योज्य यू.टी.आर. संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियॉ (PDF format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं वाणिज्यक नियम व शर्तें ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी। निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। निविदा की वैधता खुलने की तिथि से 90 दिन होगी। ई-निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइजबिड) खुलने की तिथि तदोनुसार वेबसाइट पर सूचित की जायेगी। निविदा भाग प्रथम में सम्बधित प्रपत्रों का अपलोड न किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/ विभाजित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है- ई-निविदा संख्या, कार्य/ सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. **वि.पा.म./ मु./ टी- 80/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 220 के.वी. उपकेन्द्र नरा पर 33 के.वी. स्वतन्त्र बे के पिलफर प्रूफ सीलिंग कार्य। दिनांक 23.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 6000/-, रु. 1180/- (कर सहित)। 2. **वि.पा.म./ मु./ टी- 81/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 220 के.वी. उपकेन्द्र नरा पर 132 के.वी. आइसोलेटर्स के क्षतिग्रस्त बॉक्स को नये बॉक्स उपलब्ध कराकर बदलने का कार्य। दिनांक 23.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 5000/-, रु. 590/- (कर सहित)। 3. **वि.पा.म./ मु./ टी- 82/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के.वी. शामली श्यामला- नानौता पारेषण लाईनों के टावर लोकेशन सं. 11 ए के रिवेटमेंट का कार्य। दिनांक 23.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 5300/-, रु. 1180/- (कर सहित)। 4. **वि.पा.म./ मु./ टी- 83/ 2019-20:** अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड- द्वितीय, सहारनपुर के प्रयोगार्थ 01 अदद डीजल चालित वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु। दिनांक 23.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 2000/-, रु. 590/- (कर सहित)। 5. **वि.पा.म./ मु./ टी- 84/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र झिंझाना पर पेल फेन्सिंग की रिपेयरिंग एवं पेन्टिंग का कार्य। दिनांक 24.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 1400/-, रु. 590/- (कर सहित)। 6. **वि.पा.म./ मु./ टी- 85/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत विभिन्न 132 के.वी. उपकेन्द्रों पर स्थापित पेरीफेरी लाइटिंग पोल की रिपेयरिंग एवं पेन्टिंग का कार्य। दिनांक 24.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 1700/-, रु. 590/- (कर सहित)। 7. **वि.पा.म./ मु./ टी- 86/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र जलालपुर (बनत) व 132 के.वी. उपकेन्द्र कनियान पर ट्रेन्चिज में सेंड बेरियर बनाने का कार्य। दिनांक 24.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 2000/-, रु. 590/- (कर सहित)। 8. **वि.पा.म./ मु./ टी- 87/ 2019-20:** विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र भोकरहेडी पर ट्रेन्चिंग की सफाई का कार्य। दिनांक 24.07.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रु. 1400/-, रु. 590/- (कर सहित)। **"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें", पत्रांक/ No. 1263/ वि.पा.म. (ETC)/ मु. नगर (MZN)/ दिनांक/ DATED 25.06.2019**

In the Court of **"Sh. Nikhil Chopra"**
Additional District Judge-02 (South) Room No. 606, Sixth Floor, Saket Courts, New Delhi
P.C./LA-5868/2016
Date of Hearing 26.08.2019
Venna Bahl & Ors
W/o Late SH. Gulshan Bahl
R/o S-124, Greater Kailash-II, New Delhi.
.... Petitioner
Versus
State (Govt of N.C.T. Delhi) ..... Defendent

Whereas, the petitioner above named has applied by a petition under **Section 278** of the Indian Succession Act, 1925, for grant of letters of Administration or Probate or Succession Certificate in respect of the estates left by the deceased **Late Sh. Gulshan Bahl S/o Sh. Krishan Lal Bahl R/o A/2, Jangpur Extension, New Delhi-110014 died on 04.02.1985**

Notice is hereby given to the **general public** having any interest in the Letters of Administration/ Succession certificate of the estate of the above named deceased may if he/she desires, appears in this court of **26.08.2019 at 10:00 am.** & participate in the proceedings before the grant of Letter of Administrations / Probate / Succession certificate or if desire to oppose the application of the petitioner aforesaid, he/she should enter appearance in persons in this court on the aforesaid date and be prepared to adduce on that day any documentary & oral evidence which he/she may desire to adduce in support of his/her claim to opposition to the application of the petitioner aforesaid.

Given under my hand & the seal of this court on this **06th Day of June 2019.**

(Sh. Nikhil Chopra)
Addl. District Judge-02 South, Saket, New Delhi

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
के जी टूर्स एण्ड एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 126, पॉकेट-13, सैक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली- 110085 इंडिया में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पंजाब राज्य मे स्थानांतरित करने के लिए तारीख 01.05.2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पूष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
के जी टूर्स एण्ड एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(नाचल)
निदेशक
डीआईएन : 07044858

स्थान : दिल्ली
तिथि : 01.05.2019

ICICI Bank आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा-390097

कार्पोरेट ऑफिस : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई – 400 051
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि. एनबीसीसी प्लैस, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003

सार्वजनिक सूचना – प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिकी के लिए निविदा सह नीलामी

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की बिकी के लिये सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ("आईसीआईसीआई बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित उक्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने **23 नवम्बर, 2015** को मांग सूचना जारी कर **मै. एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ऋणी"), मै. एन एम इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड ("कार्पोरेट गारंटर" एवं प्रतिभूति प्रदाता"), मनीष जैन (एचयूएफ) ("गारंटर") ,सुश्री श्रेया जैन (रजनीश जैन एचयूएफ के कोपरसेनर / रजनीश जैन के कानूनी उत्तराधिकारी"), श्री मनीष जैन ("प्

अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर मरी बच्ची गुरप्रीत की मां ने कहा

उसके लिए बेहतर जिंदगी चाहते थे

वाशिंगटन, 25 जून (भाषा)।

अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर लू लगने से मरी छह साल की बच्ची गुरप्रीत के माता-पिता का कहना है कि उन्होंने अमेरिका में शरण इसलिए मांगी थी क्योंकि वे 'उसके लिए बेहतर जिंदगी चाहते थे।' मीडिया में आई खबरों के अनुसार, छह साल की गुरप्रीत कौर का शव अमेरिकी सीमा सुरक्षा अधिकारियों को एरिजोना में ल्यूकविल से करीब 27 किलोमीटर पश्चिम में मिला था। गुरप्रीत की मां उसे अन्य भारतीय आव्रजकों के साथ छोड़ कर पानी की तलाश में गई थी। सीएनएन की खबर के अनुसार गुरप्रीत माता-पिता का कहना है, 'हम अपनी बच्ची के लिए सुरक्षित और बेहतर जिंदगी चाहते थे। इसलिए हमने अमेरिका में शरण मांगने का मुश्किल फैसला किया।' यह बयान अमेरिका सिख कोलिशन के माध्यम से जारी किया गया है।

बयान के अनुसार, 'हमारा मानना है कि धर्म, नस्ल, रंग से इतर सभी माता-पिता समझेंगे कि कोई मां-बाप जब तक हद से

बच्ची की मां एस कौर ने इसी महीने गुरप्रीत के साथ सीमा पार किया था। यह पता नहीं है कि गुरप्रीत और उसकी मां पंजाब से कब निकले थे या फिर वे अमेरिका-मैक्सिको सीमा तक कैसे पहुंचे।

ज्यादा मजबूर ना हों, अपने बच्चे को कभी नुकसान के रास्ते पर लेकर नहीं जाएंगे।' सिख कोलिशन के कार्यक्रम निदेशक मार्क रीडिंग-स्मिथ ने कहा कि बच्ची के पिता ए. सिंह 2013 से ही अमेरिका में रह रहे हैं और उनका शरणार्थी आवेदन न्यूयॉर्क आव्रजन अदालत में लंबित है। बच्ची की मां एस कौर ने इसी महीने गुरप्रीत के साथ सीमा पार किया था। यह पता नहीं है कि गुरप्रीत और उसकी मां पंजाब से कब निकले थे या फिर वे अमेरिका-मैक्सिको सीमा तक कैसे पहुंचे। गुरप्रीत के माता-पिता उसके जन्म के छह महीने बाद, 2013 से ही एक-दूसरे से नहीं मिले थे। और अब जब दोनों साथ हैं, वे अपनी गुड़िया के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं।

कंबोडिया में चीन के चार नागरिकों पर मामला दर्ज

सिहानुकविल (कंबोडिया), 25 जून (एपी)।

कंबोडिया की एक अदालत ने एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 28 कर्मचारियों की मौत के बाद चार चीनी नागरिकों को आरोपित किया है। प्रीह सिहानुक प्रांतीय अदालत ने कहा कि निर्माणाधीन स्थल के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है जबकि तीन अन्य चीनी नागरिकों पर साजिश का आरोप लगाया गया है। चारों को सुनवाई पूर्व हिरासत में रखा गया है। इन आरोपों के लिए दोषी करार दिए जाने पर उन्हें तीन साल कैद तक की सजा हो सकती है।

इस निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले मजदूर रात को वहीं सोते भी थे। शनिवार को जब मजदूर दूसरी मंजिल पर सोए थे तभी इस सात मंजिला इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया, जिसमें वे दब गए।

राहत कर्मियों ने सोमवार को मलबे से दो मजदूरों को जीवित निकाला था। एक शव भी बरामद किया था। इस हादसे में 28 लोगों की मौत हुई है जबकि 26 घायल हुए हैं।

जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग मोदी और शी से मिलेंगे ट्रंप

वाशिंगटन, 25 जून (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान में इस हफ्ते होने वाली जी-20 बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई विश्वनेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जापान के ओसाका में 28-29 जून को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ट्रंप 27 जून को रवाना होंगे।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को कहा, 'हमारा अनुमान है कि वे विश्व नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे।' अधिकारी ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के अलग होने वाली मुलाकातों की सूची में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र

जी-20 सम्मेलन के अलग होने वाली मुलाकातों की सूची में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मन चांसलर एंजेला मरकेल, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, जापानी प्रधानमंत्री शिजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात संभव है। ट्रंप इसके साथ ही सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बातचीत करेंगे।

मोदी, जर्मन चांसलर एंजेला मरकेल, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, जापानी प्रधानमंत्री शिजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात संभव है। ट्रंप इसके साथ ही सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बातचीत करेंगे।

भारत में हाल में हुए आम चुनावों के बाद मोदी और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी। ट्रंप ने फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को फोन पर बधाई दी थी। अमेरिका द्वारा स्टील और अल्यूमीनियम समेत कुछ उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाए जाने के बाद इसके जवाब में भारत ने भी 16 जून को बादाम और अखरोट समेत 28 उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने सामान्य तरजीही प्रणाली (जीएसपी) व्यापार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील राष्ट्र का भारत का दर्जा खत्म कर दिया था।

हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा को लेकर भारत की चिंताओं के निराकरण का भी प्रयास किया है। ट्रंप की शी के साथ यह बैठक अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के बीच होगी।

प्रक्षेपण के दौरान हुए हादसे के बाद अंतरिक्ष यात्री लौटे

जेज़्काज़्गान, 25 जून (एएफपी)।

प्रक्षेपण के दौरान हुई एक हालिया दुर्घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला चालक दल मंगलवार को धरती पर लौट आया। प्रक्षेपण के दौरान हुए हादसे के बाद रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम की वापसी को लेकर संशय बना हुआ था।

नासा के अंतरिक्ष यात्री ऐनी मैकक्लेन, रॉसकॉस्मोस के ऑलेग कोनोनेंको और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी के रिकॉर्ड होल्डर डेविड सेंट-जैक्स अंतरराष्ट्रीय समयानुसार देर रात दो बज कर 47 मिनट कजाख्स्तान पहुंचे।

नासा टेलीविजन पर इनके उतरने का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें वे तीनों कुर्सी पर बैठे दिख रहे थे।

ऑलेग कोनोनेंको ने यहां पहुंचने के बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद अब वह 'किसी भी तरह के मौसम का सामना करने को तैयार हैं।' कजाख्स्तान में अभी मौसम गर्म है।

अक्तूबर में रूस के एलेक्से ओवचिनिन और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग को ले जा रहे सोयुज रॉकेट में प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद गड़बड़ी आने की वजह से उन्हें आपात स्थिति में उतरना पड़ा था। इसके बाद

कजाख्स्तान में मंगलवार को अंतरिक्ष यात्री एलेक्से को उतारते राहत दल कर्मी और नासा के विशेषज्ञ।

तीन दिसंबर को पहली बार तीन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था।

सोयुज रॉकेट में आई गड़बड़ी में कोई हताहत नहीं हुआ था और यह सोवियत संघ के दौर के बाद रूसी अंतरिक्ष अभियान से जुड़ी पहली दुर्घटना थी।

राजकुमार हैरी, मेगन के घर की मरम्मत में करदाताओं के 30 लाख डॉलर खर्च

लंदन, 25 जून (भाषा)।

ब्रिटेन में ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स के घर की मरम्मत के लिए करदाताओं के 30 लाख डॉलर खर्च किए गए हैं। शाही परिवार से जुड़े खातों को मंगलवार को जारी किए जाने के बाद यह बात सामने आई।

राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन का विंडसर कैसल के पास स्थित आवास 'फ्रॉगमोर कॉटेज' में बड़े पैमाने पर मरम्मत के काम किए गए जिनके जरिए शाही जोड़े और उनके बेटे आर्ची के लिए पांच संपत्तियों को मिला कर एक घर तैयार किया गया। विक्टोरिया युग के इस भवन के नवीनीकरण के तहत शाही जोड़े के लिए फर्नीचर एवं साज-सजावट के सामान पर खर्च किया गया।

ये आंकड़े शाही परिवार के खातों की सार्वजनिक जानकारी में सामने आए हैं जिससे पता चला है कि ब्रिटिश करदाताओं ने 2018-19 के दौरान इस शाही भवन पर आठ करोड़ 52 लाख डॉलर खर्च किए जो पिछले वर्ष के मुकाबले 41 फीसद अधिक था।

'प्रिवी पर्स' के रक्षक माइकल स्टीवन्स ने कहा, 'पिछले कुछ सालों से इस संपत्ति पर

ये आंकड़े शाही परिवार के खातों की सार्वजनिक जानकारी में सामने आए हैं जिससे पता चला है कि ब्रिटिश करदाताओं ने 2018-19 के दौरान इस शाही भवन पर आठ करोड़ 52 लाख डॉलर खर्च किए जो पिछले वर्ष के मुकाबले 41 फीसद अधिक था।

कोई काम नहीं हुआ और शाही संपत्ति वाले स्थानों की स्थिति ठीक रखने की हमारी जिम्मेदारी के चलते उसकी मरम्मत पहले से निर्धारित थी।' वहीं मरम्मत के इस काम पर और संपूर्ण व्यय में बढ़ोतरी की उन कार्यकर्ताओं ने निंदा की है जो राजशाही को खत्म को करने की बात करते हैं।

रिपब्लिक अभियान समूह के ग्राहम स्मिथ ने 'द सन' समाचारपत्र से कहा कि इस साल की वृद्धि ऐसे समय में चौंका देने वाली है जब हर जगह खर्च में कटौती की जा रही है।

उन्होंने कहा, 'अगर एक भी स्कूल या अस्पताल इस कटौती का दंश झेल रहा है तो हम शाही परिवार पर एक भी पैसा खर्च किए जाने को सही नहीं ठहरा सकते।'

भारत-अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में पूर्वानुमान की कमी : एंजल

वाशिंगटन, 25 जून (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के नई दिल्ली पहुंचने से एक दिन पहले मंगलवार को अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने उनसे कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में पूर्वानुमान और सामंजस्य की कमी है।

विदेश मामलों की समिति के प्रमुख एवं सांसद इलियट एल एंजल ने पोम्पिओ से अपील की है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को सिर्फ मजबूत न करें बल्कि भारत की न सरकार को सुसंगत उद्देश्यों और पूर्वानुमान का एक ऐसा खाका सौंपे, जो इन संबंधों को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। एंजल ने पोम्पिओ को लिखे पत्र में कहा है, 'मैं प्रशासन की बयानबाजी और भारत के प्रति उठाए जा रहे कदमों में विसंगतियों को लेकर बेहद चिंतित हूं। यह विसंगतियां पिछले दो वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े सहायक सचिव के पद के कारण और बढ़ गई हैं।' उन्होंने कहा कि इसे लेकर चिंता बढ़ रही है कि भारत के साथ अमेरिका एक रणनीतिक साझेदार के रूप में बातचीत करने की जगह जबरन उससे अपनी विभिन्न मांगें मनवाने का प्रयास कर रहा है। 'हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी' के प्रमुख के अनुसार प्रशासन की नीतियां ना केवल अमेरिकी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं, बल्कि भारत के साथ अपनी साझेदारी में तनाव भी पैदा कर लिया है। एंजल ने कहा, 'मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने इस दौरे पर न केवल अमेरिका और भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करें बल्कि उन्हें सुसंगत उद्देश्यों और पूर्वानुमान का एक ऐसा खाका सौंपे जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद मिले।'

मध्य जर्मनी में मिले द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बम

बर्लिन, 25 जून (एएफपी)।

मध्य जर्मनी में फ्रैंकफुर्त से उत्तर गाइसन शहर में सोमवार को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल जर्मन और अमेरिकी बम मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने करीब 2,500 लोगों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। हेस्से राज्य के गाइसन शहर के एक औद्योगिक क्षेत्र में 250 किलोग्राम वजनी जर्मन और 50-किलोग्राम वजनी अमेरिकी बम एक-दूसरे के करीब मिले। पुलिस ने बताया कि जर्मन बम में विस्फोट करना पड़ेगा क्योंकि बेहद खराब स्थिति में होने के करण उसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। वहीं अमेरिकी बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा सकता है।

ईस्टर रविवार को धमाकों में 176 बच्चे अनाथ हुए : कार्डिनल रंजीत

कोलंबो, 25 जून (भाषा)।

एक मीडिया रिपोर्ट ने श्रीलंकाई कैथोलिक चर्च के प्रमुख के हवाले से कहा कि ईस्टर रविवार को हुए बम धमाकों में 176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को या दोनों को खो दिया। इन धमाकों में 258 लोगों की जान चली गई थी। श्रीलंका में 21 अप्रैल को सात आत्मघाती हमलावरों ने तीन गिरजाघरों और एक लग्जरी होटल को निशाना बनाते हुए धमाके किये थे। इन धमाकों में 500 लोग घायल हुए थे।

डेली मिरर ने सोमवार को कार्डिनल मैलकम रंजीत को उद्धृत करते हुए कहा, '21 अप्रैल को हुए बम धमाकों में 176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को खो दिया। चर्च इन समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिससे उन्हें इससे उबरने और सामान्य जीवन की तरफ लौटने में मदद की जा सके।' उन्होंने पिछले हफ्ते अपने रोम दौरे के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि चर्च धमाकों में चर्चों को हुए नुकसान की भरपाई या उनकी साज-सज्जा पर अभी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। इन धमाकों में कोलंबो के सेंट एंथनी चर्चा, पश्चिमी तटीय शहर नेगोंबो के सेंट सेबेस्टियन्स चर्च और पूर्वी शहर बट्टीकलोआ के एक चर्च को निशाना बनाया गया था जब वहां ईस्टर रविवार के मौके पर प्रार्थना चल रही थी।

गिराया गया अमेरिकी ड्रोन ईरान की वायुसीमा में था : रूस

मास्को, 25 जून (एएफपी)।

रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा है कि पिछले हफ्ते ईरान ने जो अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था वह ईरानी वायुसीमा में था।

रूसी संवाद समितियों की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव ने यरुशलम में कहा, 'रूसी विदेश मंत्रालय से मुझे सूचना मिली है कि यह (अमेरिकी) ड्रोन ईरान की वायु सीमा में था।' पात्रुशेव अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए यरुशलम में हैं। 19 जून को ईरान ने अमेरिकी जासूसी ड्रोन को मार गिराया था और इसके बाद से तनाव चरम पर है ।

वार्ता की पेशकश कर 'झूठ' बोल रहा अमेरिका : रूहानी

तेहरान, 25 जून (एएफपी)।

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ सहित ईरान के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ नए अमेरिकी प्रतिबंध दिखाते हैं कि वाशिगटन वार्ता की पेशकश पर 'झूठ' बोल रहा है।

टेलीविजन पर सीधे प्रसारित मंत्रियों के साथ बैठक में रूहानी ने कहा, 'आप विदेश मंत्री पर पाबंदी लगाते हैं और वार्ता की भी अपील करते हैं? साफ है कि आप झूठ बोल रहे हैं।'

उनके इस बयान के पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि वाशिंगटन ने सच्ची वार्ता के लिए दरवाजे खोले लेकिन इसके जवाब में ईरान ने गहरी चुप्पी अख्तियार कर रखी है।

रूहानी ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खुमेनी का नाम काली सूची में डालने के औचित्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह दिखाता है कि वाशिंगटन 'भ्रमित' है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शीर्ष नेता खामेनी और शीर्ष सैन्य प्रमुखों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि वाशिंगटन के साथ वार्ता की पेशकश पर ईरान खामोश है।

बोल्टन ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ने वार्ता के लिए द्वार खोले हैं।'

यरुशलम के दौरे पर आए बोल्टन ने कहा, 'लेकिन जवाब में ईरान गहरी चुप्पी साधे है।'

बेटे की मौत के आठ साल बाद भारतीय महिला को मिली उसकी संपत्ति

दुबई, 25 जून (भाषा)।

एक भारतीय महिला को यूएई में उसके अविवाहित बेटे की मौत के आठ साल बाद उसकी संपत्ति मिली है। मेरीकुट्टी थॉमस का 35 वर्षीय बेटा शिनो दुबई में अच्छे खासे वेतन पर काम करता था। शिनो की मौत के बाद उसकी बचत की रकम केरल में उसके बड़े भाई और मां को मिलने वाली थी।

'गल्फ न्यूज' के मुताबिक उसका बड़ा भाई कंपनी के साथ संपर्क में था और पिछले साल जब उसकी भी मौत हो गई तो थॉमस सदमे में थीं और जरूरी कागजी काम भी नहीं करा पाई थीं। दुबई से वसीयत लिखने वाली एक कंपनी ने उन्हें कॉल कर बताया कि उनका बेटा उनके लिए संपत्ति छोड़ गया है। इससे कुल 75 लाख की धनराशि बनती है इसमें उनका हिस्सा 33 लाख का है।

सेवानिवृत्त नर्स थॉमस ने कहा, 'बस ये बात नहीं है कि इतनी बड़ी रकम है बल्कि यह मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है।' थॉमस ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की बचत की गई रकम के बारे में पता था लेकिन इसे हासिल करने के बारे में पता नहीं था।

इस साल अप्रैल में 10.88 लाख रोजगार हुए सृजित

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

इस साल अप्रैल में 10.88 लाख रोजगार सृजित हुए। यह पिछले साल इसी महीने में हुए 10.77 लाख रोजगार सृजन के मुकाबले थोड़ा अधिक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के सकल वेतन भुगतान के उपलब्ध आंकड़े से यह पता चलता है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सितंबर 2017 से अप्रैल 2019 के रोजगार परिदृश्य के बारे में रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) व पेंशन कोष नियामकीय व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के जरिए संचालित एनपीएस (नई पेंशन योजना) के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। इसके मुताबिक कुल मिलाकर 2018-19 में 1.49 करोड़ नए लोगों का पंजीकरण हुआ। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष के दौरान इतने रोजगार सृजित हुए। सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान कुल 83.31 लाख नए अंशधारक ईएसआई योजना से जुड़े। ईएसआईसी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा चलाता है। इसी प्रकार ईपीएफओ के रोजगार के आंकड़े के अनुसार शुद्ध रूप से अप्रैल 2019 में 10.43 लाख रोजगार सृजित हुए।

आंकड़े के मुताबिक ईपीएफओ के जरिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2018-19 में शुद्ध रूप से 61.12 लाख लोग पंजीकृत हुए। वहीं सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान 15.52 लाख नए अंशधारक जुड़े।

भारत-ब्रिटेन संबंधों को ताकत देने वाली 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में सीतारमण

लंदन, 25 जून (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ब्रिटेन-भारत रिश्तों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में ब्रिटेन की सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पेनी मॉरडाउंट भी शामिल हैं।

ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने सोमवार को भारत दिवस के मौके पर संसद ब्रिटेन भारत रिश्तों में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें सीतारमण को पूर्व में रक्षा मंत्री और अब वित्त मंत्री के रूप में द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली देश की सबसे ताकतवर

● ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने भारत दिवस के मौके पर संसद ब्रिटेन भारत रिश्तों में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की।

महिलाओं में शामिल किया गया है। सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।

ब्रिटेन के मीडिया घराने इंडिया इंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लंदन स्कूल आफ इकनॉमिक्स में पढ़ाई करने वाली सीतारमण पूर्व में ब्रिटेन में काम कर चुकी हैं। वह ब्रिटेन के बारे में अपने अन्य सहयोगियों की तुलना में अधिक समझती हैं। इस सूची में ब्रिटेन की रक्षा मंत्री पेनी मॉरडाउंट भी शामिल हैं। इसके अलावा सूची में ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल और बैरोनेस सैंडी वर्मा, फिल्म निर्माता गुरिंदर चड्ढा, भारतीय विधि कंपनी की प्रमुख जियो मूडी और पल्लवी एस श्रॉफ, अपोलो हॉस्पिटल्स की प्रबंध निदेशक सुनीता रेड्डी और नास्कॉम की अध्यक्ष देवज्ञानी घोष भी शामिल हैं।

सरकार ने राजनीति के पारिवारिक कारोबार होने की धारणा खत्म कीः सूर्या

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले पांच वर्षों में देश की राजनीति बदली और सियासत के 'फैमिली बिजनेस' होने की आम धारणा को खत्म कर दिया। इस वजह से अब आम परिवारों के युवा भी राजनीति में आने के सपने देख सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सूर्या ने कहा, ' मोदी सरकार में नए भारत की बुनियाद रखी गई है और अर्थव्यवस्था साफ-सुथरी और पारदर्शी हो गई है।' उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आजादी के बाद पहली बार देश के लोगों को हिंदू संस्कृति पर गौरव का एहसास हुआ।

जनसत्ता

महासमर

विश्व कप -2019

26 जून, 2019 16

दिलचस्प आंकड़े

रन	13978	सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर
विकेट	422	
छक्के	253	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	75	

विश्व कप डायरी

'83' का करिश्मा आज भी जेहन में ताजा

मैनचेस्टर, 25 जून (भाषा) ।

छत्तीस साल पहले भारत को पहली बार विश्व क्रिकेट का सिरमौर बनाने वाली कपिल देव की टीम को आज भी 'क्रिकेट के मक्का' पर मिली उस ऐतिहासिक जीत का मंजर याद है जब लार्ड्स की बालकनी पर खड़े होकर उन्होंने विश्व क्रिकेट के शिखर पर दस्तक दी थी।

25 जून 1983 को शनिवार था और पूरा देश मानों थम गया था जब दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। उसके बाद से 36 साल बीत गए लेकिन क्रिकेटप्रेमियों को आज भी याद है कप हाथ में थामे कपिल के चेहरे पर खिली मुस्कान। हर चार साल में विश्व कप के दौरान टीवी पर बारंबार वह नजारा आंखों के सामने आ जाता है। उसके बाद भारत को 28 साल इंतजार करना पड़ा जब अप्रैल में वानखेड़े स्टेडियम पर दोबारा विश्व कप उसकी झोली में आया। युवराज सिंह और हरभजन सिंह की आंखों से गिरते आंसू, विराट कोहली के कंधे पर सचिन तेंदुलकर और पूरे देश में मानों दीवाली सा जश्न। सुनील गावस्कर, कपिल देव और क्रिस श्रीकांत की पीढ़ी के जुनून को तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग जैसे सितारों ने आगे बढ़ाया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है, उसका श्रेय 1983 की टीम को जाता है। कपिल ने हाल ही में एक वेब शो पर कहा कि उन्हें बहुत सी बातें याद नहीं है। अपने करिअर में अनगिनत उपलब्धियां हासिल कर चुके दिग्गज के लिए यह स्वाभाविक भी है और उम्र का तकाजा भी। मदन लाल को हालांकि अभी भी सब कुछ याद है। उन्होंने कहा, मैं अपने करिअर की सबसे बड़ी उपलब्धि कैसे भूल सकता हूं। मुझे बहुत कुछ याद है। कपिल की वो पारी, वेस्ट इंडीज को हराना, कीर्ति आजाद का इयान बाथम को आउट करना और आस्ट्रेलिया को हराना।

सेमी फाइनल में पहुंचा आस्ट्रेलिया

इंग्लैंड को 64 रन से हराया, जैसन बेरहनडोर्फ और स्टार्क की कातिलाना गेंदबाजी

लंदन, 25 जून (भाषा) ।

कप्तान आरोन फिंच ने एक और शतकीय पारी खेली और जैसन बेरहनडोर्फ ने पांच विकेट चटकाए जिससे आस्ट्रेलिया ने मंगलवार को यहां इंग्लैंड पर 64 रन से जीत दर्ज विश्व कप सेमी फाइनल में जगह पक्की की और मेहमान टीम को संकट के गहरे गर्त में डुबो दिया।

फिंच (116 गेंदों पर 100) और डेविड वार्नर (61 गेंदों पर 53 रन) से मिली अच्छी शुरुआत से आस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 285 रन बनाए। वह वनडे में अपना 15वां शतक लगाने में सफल रहे। इसके विपरीत इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और उसने 26 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। बाद में भी बेन स्टोक्स (115 गेंदों पर 89 रन) डटकर खेल पाए लेकिन इंग्लैंड 44.4 ओवर में 221 रन पर सिमट गया। बेहरनडोर्फ ने अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 44 रन देकर पांच विकेट लिए। मिशेल स्टार्क ने 43 रन देकर चार विकेट हासिल किए। विश्व में नंबर एक टीम और खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे इंग्लैंड की यह सात मैचों में तीसरी हार है जिससे उसकी सेमी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। इंग्लैंड के आठ अंक हैं और उसे अगर सेमी फाइनल में पहुंचना है तो भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे। आस्ट्रेलिया इस जीत से अंकतालिका में भी शीर्ष पर पहुंच गया है। उसके सात मैचों में 12 अंक हैं। आस्ट्रेलिया ने इस जीत से विश्व कप में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पर दबदबा भी बरकरार रखा। इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में आखिरी बार 1992 में आस्ट्रेलिया को हराया था। फिंच का टूर्नामेंट में दूसरा शतक है।

> ● इंग्लैंड गहरे संकट में, अंतिम चार में पहुंचने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले दोनों मैच जीतने होंगे

इंग्लैंड की शुरुआत से लार्ड्स पर मौजूद उसके प्रशंसक सन्न थे। बेहरनडोर्फ की दूसरी गेंद ही इनस्विंगर थी जिस पर उन्होंने जेम्स विन्से का विकेट थर्राया। स्टार्क ने जो रूट (आठ) को इनस्विंगर पर पगबाधा आउट किया और फिर इयोन मोर्गन (चार) पर बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया जिस पर इंग्लैंड के कप्तान ने फाइन लेग पर कैच थमाया।

जैसन बेरहनडोर्फ

मिशेल स्टार्क

पाक के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला

न्यूजीलैंड से भिड़ंत

समय : दोपहर तीन बजे से

बर्मिंघम, 25 जून (भाषा) ।

दक्षिण अफ्रीका पर मिली जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना वजूद बनाए रखने वाली पाकिस्तानी टीम को विश्व कप में 'करो या मरो' के मुकाबले में बुधवार को शानदार फार्म में चल रही न्यूजीलैंड से खेलना है।

चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से हारने के बाद जबर्दस्त आलोचना झेल रही पाकिस्तानी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पिछले मैच में 49 रन से हराया। उसकी आगे की राह हालांकि आसान नहीं है। पाकिस्तान दो जीत और तीन हार के बाद छह मैचों में पांच अंक लेकर सातवें स्थान पर है। सरफराज अहमद और उनकी टीम को अब न सिर्फ बाकी तीनों मैच जीतने होंगे बल्कि दूसरे मैचों के नतीजे भी अनुकूल आने की दुआ करनी होगी। पाकिस्तान के आक्रमण की धुरी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर रहे हैं जिन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं। दूसरे छोर से हालांकि उन्हें सहयोग नहीं मिल सका। दूसरी ओर न्यूजीलैंड अभी तक अपराजेय रही है और अंकतालिका में शीर्ष पर काबिज है। कप्तान केन विलियमसन ने मोर्चे से अगुआई करके टीम के संकटमोचक की भूमिका निभाई है। दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई। रोस टेलर ने भी रन बनाए हैं लेकिन कोलिन मुनरो और मार्टिन गुप्टिल अभी तक नहीं चले हैं।

विंबलडन क्वालीफायर के दूसरे दौर में अंकिता

लंदन, 25 जून (भाषा) ।

भारत की महिला एकल खिलाड़ी अंकिता रैना ने मंगलवार को यहां तुर्की की कागला बुयुकाकसे पर सीधे सेटों में जीत दर्ज करके विंबलडन क्वालीफायर के दूसरे दौर में प्रवेश किया। डब्लूटीए रैंकिंग में 171वें नंबर पर काबिज अंकिता ने यह मैच 6-4, 6-3 से जीता। उन्होंने पहले सेट के तीसरे गेम में ब्रेक प्वाइंट लिया और फिर आसानी से इसे अपने नाम किया।

मैं ठीक हूं, आज होटल पहुंच जाऊंगा : लारा

मुंबई, 25 जून (भाषा) ।

वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने मंगलवार को कहा कि वह ठीक हैं और बुधवार को होटल के अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। सीने में दर्द के कारण अस्पताल के भर्ती लारा के इस बयान से उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है।

दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शामिल त्रिनिदाद के 50 साल के लारा को परेल के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन इस खिलाड़ी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है।

क्रिकेट समुदाय ने हालांकि उस समय राहत की सांस ली जब क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने लारा का आडियो संदेश पोस्ट किया। लारा ने कहा, मुझे पता है कि जो हो रहा है उससे सभी काफी चिंतित हैं। शायद सुबह जिम में मैंने अतिरिक्त समय बिता दिया। मेरे सीने में दर्द होने लगा और मैंने सोचा कि डाक्टर को दिखाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मुझे अस्पताल ले जाया गया, बेशक दर्द जारी था और कई परीक्षण किए गए। लारा भले ही बीमार हो लेकिन इसके बावजूद वह अस्पताल में भी क्रिकेट से दूर नहीं थे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 220, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।